पंचम माला, खंड 23, अंक 9 गुरुवार, 1 मार्च, 1973/10 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIII, No. 9 Thursday, March 1, 1973/Phalguna 10, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 23 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. XXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—गुरुवार, 1 मार्च, 1973/10 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 9—Thursday, March 1, 1973/Phalguna 10, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
141	कृषि मजदूरों के लिये पुनरीक्षित मजूरी को क्रियान्वित करने में राज्यों की असमर्थता	Inability of States to Implement Revised wages for Agricultural Labourers	1–5
144	विवादग्रस्त भारतीय टापू	Indian Islands under Dispute .	5–7
145	पाकिस्तान अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में से सुरंगों का हटाया जाना	Clearing of Mines in the Indian Territories Occupied by Pakistan .	7–9
146	गुजरात में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Gujarat . .	9–11
147	जैरे के साथ सम्बन्ध दृढ करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee for promoting Ties with Zaire . .	11–12
148	स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एस० ए० आई० एल०) का कार्यकरण	Working of Steel Authority of India Limited	12–15

अल्प सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION

1.	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की मजूरी पुनरीक्षण सम्बन्धी अनुदेश	Instructions on Wage-Revision of Employees in Public Sector Undertakings	15–23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
142	कोयला खान भविष्य निधि संगठन को समाप्त करने की मांग	Demand for disbandment of Coal Mines Provident Fund Organisation	23
143	सैनिकों का प्रशिक्षण	Training of Army Personnel . .	23
149	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करना	Adoption of Minimum Wages of Agricultural Labour by States/Union Territories	24–25
150	रूरकेला इस्पात संयंत्र में अन्य राज्यों से इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers in Rourkela Steel Plant from other States .	25

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—1 L. S. S./73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
151	उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिदे स्थान निर्धारिण के लिये अध्ययन	Study for Location of Second Steel Plant in Orissa . . .	25
152	यूरोप और जापान की तुलना में भारतीय इस्पात अयस्क की लागत	Indian Costs of Steel Ore as compared with those from Europe and Japan	26
153	इस्पात की ब्राइट छड़ों का निर्माण रोक लेना	Suspension of Manufacture of Steel Bright Bars . . .	26
154	उच्च न्यायालयों द्वारा चुने गये न्यायाधिशों की अध्यक्षता के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करने के लिये सुझाव	Suggestion for Appointment of Industrial Tribunals Presided over by Judges Selected by High Courts .	26
155	लुधियाना जिले में विस्थापित खेतिहर व्यक्तियों की आवंटित निष्क्रान्त भूमि से बेदखली	Eviction of Agriculturist Displaced Persons from Allotted Evacuee Lands in Ludhiana District . .	27
156	राष्ट्रीयकृत गैर-कोककारी कोयला खानों के मालिकों से देय भुगतान	Payments due from owners of Nationalised Non-Coking Coal Mines .	27
157	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के मालिकों द्वारा देय भविष्यनिधि का अंशदान	Provident Fund Contribution Payable by Owners of Nationalised Coal Mines	28
158	पश्चिम बंगाल के जूट कारखानों में जबरी छुटटी और तालाबन्दी	Lay offs and Lock outs in Jute Mills in West Bengal	28
159	मास्कों में रूस की 50 वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर रूस के प्रधान मंत्री से वार्ता	Talks with Soviet Premier at 50th Anniversary Celebrations of USSR in Moscow . . .	28
160	नौकरी के अभिलाषी पंजीकृत व्यक्ति	Registered Job Seekers .	29
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1401	लेह मनाली मार्ग का पूरा किया जाना	Completion of Leh Manali Road .	29
1402	निर्माताओं के कोटे से अधिकारियों के रिश्तेदारों को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters to Officers Relations from Manufacturers Quota	30
1403	हेवी इलैक्ट्रीकल (इंडिया) लि० भोपाल को हुआ घाटा	Loss incurred by Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal . . .	30
1404	केरल का भूवैज्ञानिक नक्शा	Geological Map of Kerala . .	30–31
1405	पाथाखेड़ा शाहपुर क्षेत्र में कोयला खनन में विकास	Development of Coal Mining in Pathakhera-Shahpur Region .	31–32
1406	मध्यप्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र का विकास	Development of Singarauli Region of M. P.	32
1407	नानकोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय वाणिज्य त ा उद्योग मण्डल की प्रतिक्रया	Reaction of FICCI to Nationalisation of Non-Coking Coal Mines . .	32
1408	अमरीकी टेलीविजन पर दिखाये गये भारतीय पत्रकारों का अतापता	Whereabouts of Indian Journalists Screened on American T. V. . .	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1409	जम्मू के निकट भारतीय वायुसेना के एक हैलिकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of an IAF Helicopter near Jammu	33
1410	उत्तर प्रदेश में भूमिहीन सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Land less Soldiers in U.P.	33–34
1411	मध्य प्रदेश में कोयले के निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Coal Deposits in Madhya Pradesh	34
1412	राष्ट्रीय ईंधन नीति	National Fuel Policy	34
1413	ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, पटना का बन्द होना	Closure of Britannia Engineering Co. Patna	34–35
1414	कोयले की कमी के कारण गुजरात में कारखानों का बन्द होना	Closure of Factories in Gujarat due to shortage of Coke	35
1416	भारतीय आयुक्त के विरुद्ध दोषारोपण करने वाले पर्चों का हांगकांग में परिचालन	Circulation of Leaflet in Hong-Kong Levelling Charges against Indian Commissioner	35–36
1417	त्रिपुरा में बीड़ी मजदूरी को न्यूनतम मजूरी का भुगतान	Payment of Minimum Wage to Bidi Workers in Tripura	36
1418	गोहाटी के निकट सैनिक छावनी के लिये अर्जित की गई भूमि	Acquisition of Land for Defence Cantonment near Gauhati	36
1419	साल्ट लेक, कलकत्ता क्षेत्र में सेना द्वारा किया गया कार्य	Work done by Army at Salt Lake Area, Calcutta	37
1420	गिरनार स्कूटर का निर्माण	Production of Girnar Scooters	37–38
1421	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और विदेशों/विदेशी फर्मों के बीच औजार बनाने के सम्बन्ध में करार	Agreements between HMT and Foreign Countries/Firms for Manufacture of Tools	38–39
1423	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations with Bharat Heavy Electricals Ltd.	39
1424	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनी औजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता	Capacity of HMT to meet Requirements of Machine Tools	39–40
1425	कारों की कीमतें निर्धारित करने के सम्बन्ध में किस्म नियंत्रण परीक्षण	Quality Control Tests in Fixing Price of Cars	40
1426	रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी के विरुद्ध उसके आय स्त्रोतों से अधिक धन जमा करने का मामला दर्ज किया जाना	Registration of a Case against an Employee of Defence for Possessing money disproportionate to his income	40
1427	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by HMT Units	40–41
1428	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनें पोलैण्ड को निर्यात करने के लिये करार	Agreement for Export of HMT Machines to Poland	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
1429	मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर द्वारा किया गया करार	Agreement Entered into by Machine Tool Corporation of India Limited, Ajmer	41
1430	बंगलोर में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of Tractor Manufacturing Plant at Bangalore	41–42
1431	हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन	Production in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar	42
1432	मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स, कटक को जस्ते की सप्लाई	Supply of Zinc to M/s Kalinga Tubes, Cuttack	42
1433	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा समुद्री टरबाइन का निर्माण	Manufacture of Marine Turbines by Heavy Electricals Ltd., Bhopal	43
1434	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा अपने उत्पादों का निर्यात	Export of Production by HEL Bhopal	43
1435	भूमि से हवा में मार करने वाले आधुनिकतम प्रक्षेपणाशस्त्रों का निर्माण	Manufacture of Sophisticate Surface-to-Air Missiles	43
1436	कोयला खान पेंशन योजना में संशोधन का प्रस्ताव	Proposal to Amend Coal Mines Pension Scheme	43–44
1437	कोयला खान मजदूरों के लिये औषधालय अथवा प्राथमिक उपचार केन्द्र	Dispensary or First-Aid Posts for Coal Mine Workers	44
1438	कोयला तथा गैर कोयला खानों संबंधी औद्योगिक समितियां	Industrial Committees on Coal and Non-Coal Mines	44
1439	पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें मुआवजों का भुगतान	Rehabilitation of Displaced persons who arrived from Pakistan and Payment of compensation to them	45
1440	इंगलैण्ड के चीफ आफ जनरल स्टाफ का भारत का दौरा	Visit of Chief of General Staff of England to India	45
1441	उत्तर प्रदेश के कालेजों और स्कूलों में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना	Introduction of Sea Cadet Corps in Colleges and Schools of U.P.	45–46
1442	औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण श्रम दिवसों की हानि	Man days lost due to Industrial Accidents	46–47
1443	बोकारो इस्पात संयंत्र में कन्वर्टरों का लगाया जाना	Installation of Converters at Bokaro Steel Plant	47
1444	दिल्ली में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना	Sea Cadet Corps Commissioned in Delhi	48
1445	राजस्थान में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना	Setting up a Sea Corps in Rajasthan	48
146	रोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Unemployment	48

अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1447	केरल में पार पत्र जारी करने वाला कार्यालय खोला जाना	Opening of a Passport Issuing Office in Kerala	49
1448	पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान नए आयुध कारखानों की स्थापना	Establishment of new Ordnance Factories during Fifth Five Year Plan .	49
1449	सुकिन्डा निकल संयंत्र में उड़ीसा सरकार द्वारा धन लगाना	Financial Participation by Government of Orissa in Sukhinda Nickel Plant	49–50
1450	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposals for increasing prices of Steel	50
1451	राष्ट्रीयकृत गैर कोककारी कोयला खानों की आस्तियां	Assets of Nationalised Non-coking Coal Mines	50
1452	अग्नि गूंडला में सीसा अयस्क और तांबा अयस्क की खुदाई	Exploration of lead Ore and Copper ore at Agnigundala . . .	51
1453	चान्दा आयुध कारखाने का उत्पादन	Production of Chanda Ordnance Factory	51
1454	मेडरनर्स पेन्ट रोजी पिक्चरर्स आफ विलायत एण्ड गोल्ड	Maid runners paint Rosy Picture of Vilayat and Gold . . .	51–52
1455	तामिलनाडु को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Tamil Nadu .	52
1456	मद्रास पत्तन मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Madras Port Workers .	53
1457	देहूरोड, पूना के निकट किसानों को खेती के लिये दी गई भूमि	Land given to Agriculturists for Cultivation near Dehu Road Poona .	53
1458	ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग में स्टाफ घटाना	Reduction of Staff in Indian High Commission in U.K. . . .	53–54
1459	अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन में हमारे दूतावासों में रखा गया स्टाफ	Staff Employed in Indian Embassies in USA, USSR, France and China	54
1460	भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन	Production at Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants . .	54
1461	महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघों के मजदूरों की मांगें	Demands of Power Loom workers in Maharashtra	
1462	कारखानों में दुर्घटनाएं	Accidents in Factories . .	55
1463	भारत पाक युद्ध में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों को हुई हानि	Loss suffered by Farmers in Border Areas of Punjab during Indo-Pak Conflict	55–56
1464	कोकिंग कोयला खानों को अपने नियंत्रण में ले लेने के पश्चात तथा उससे पूर्व उनमें उत्पादन	Production in Coking Coal Mines after and before take over .	56–57
1465	भविष्य निधि इन्सपेक्टरों (ग्रेड 1) की पदोन्नति	Promotion of Provident Fund Inspectors (Grade I)	57
1466	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये परीक्षा	Examination for Promotion to Accounts Officer in E.P.F.O. . .	57–58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1467	इस्पात बनाने में सहायता देने के लिये जापान की पेशकश	Offer from Japan for Steel Making Technical Assistance . . .	58–58
1468	भारतीय श्रमिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण	Training in Indian Institute of Labour Studies, New Delhi . . .	59
1469	संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यात्रा	Visit of U.N. Secretary General	59–60
1470	राजस्थान के खनन विभाग में श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Labourers in Rajasthan Mining Department . . .	60
1471	भारत की बड़ी शक्ति बनने की क्षमता के बारे में आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान का सुझाव	Observation of Economic and Scientific Research Establishment regarding India's Potentiality for Great Power	60
1472	दिल्ली में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Textile Workers in Delhi.	61
1473	हैदराबाद में मिश्रधातु इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Alloy Plant at Hyderabad	61
1475	नई दिल्ली में एशियाई अफ्रीकी विधि परामर्श दात्री समिति के सम्मेलन में चर्चित विषय	Subjects discussed at the Conference of Asian-African Legal Consultative Committee in New Delhi . .	62
1476	इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग न करने के कारण इस्पात के उत्पादन में स्थिरता	Stagnation in Steel Production due to Non-utilisation of Capacity	62–64
1477	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति के लिये कोयला उत्पादन का पुनर्गठन	Reorganisation of Coal Production to achieve Targets during Fifth Plan	64
1478	मैसूर सरकार द्वारा पश्चिमी तट पर एक और इस्पात कारखाना स्थापित करने का सुझाव	Mysore Government's suggestion for another Steel Plant on West Coast	65
1479	कुर्रा (लाट) के माध्यम से हज यात्रियों के नाम निकालना	Allotment of Passages to Haj Pilgrims through Qurra (Lot) . .	65–66
1480	आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, स्पेन और माल्टा के अस्थायी शिविरों में नागरिकता विहीन एशियाई व्यक्ति	Stateless Asians in Transit Camps in Austria, Belgium, Italy, Spain and Malta	66–67
1481	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वास	Rehabilitation under Special Areas Development Programme . .	67
1482	विदेशी सरकारों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने की पेशकश	Offer for Training Facilities to Foreign Government . . .	67–68
1483	मिश्रधातु इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Alloy Steel Plant and Durgapur Steel Plant . .	68
1484	भारतीय सेना का पुनर्गठन	Re-organisation of Indian Army	68
1486	सादी किस्मों के इस्पात का उत्पादन	Production of Simpler Grade Steel .	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1487	सेलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on Salem, Vijayanagram and Visakhapatnam Steel Plants . . .	69–70
1488	भारतीय सेनाओं द्वारा क्षेत्र खाली किये जाने के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Trade by Pakistan after Vacation of Territory by Indian Forces	70
1489	हिन्दुस्तान स्टील द्वारा आयातित औजारों और मिश्र इस्पात का नियंत्रण अपने हाथ में लेने सम्बन्धी प्रस्ताव को रद्द करना	Rejection of proposal for take over of Imported Tool and Alloy Steel by Hindustan Steel . .	70
1490	टापुओं की प्रभुसत्ता के बारे में भारत और श्रीलंका में मतभेद	Differences between India and Sri Lanka Over Islands . . .	70–71
1492	भड़ोच जिले में खान से फ्लोराइट की अनधिकृत खुदाई	Unauthorised Excavation of Flourite from Mine at Broach District .	71
1493	नगरों और गांवों में गृह निर्माण के लिये इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel for House-Building purposes in cities and Villages .	71
1494	लंदन और वाशिंगटन में भारत के पूर्ति (सप्लाई) मिशन	India Supply Missions in London and Washington	71–72
1495	भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिये सामग्रियों की आयात	Import of Articles for Indian Armed Forces	72
1496	युद्ध बन्दियों के प्रश्न को लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिये विशेष पाकिस्तानी दूत	Special Pak Emissaries to Canavass against India over POWs Issue	73
1497	अत्याचार के विरुद्ध हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों का आन्दोलन	Agitation by Employees of Hindustan Lever Against Victinisation. .	73
1498	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित बेरोजगार कारीगार	Unemploymed ITI Trained Craftsmen	73–74
1499	पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के भाग निकलने में सहायता करने वाले कथित भारतीय नागरिक	Alleged Indian Nationals helping Pakistani POWs to escape . .	74–75
1500	पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता देना	Recognition of Bangladesh by Pakistan	75
1501	इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री का भारत का दौरा	Visit of Indonesian Prime Minister to India	75
1502	नियंत्रण में ली गई कोयला खानों के लिये सलाहाकार बोर्ड	Advisory Board for Taken over Coal Mines	76
1503	अत्याधुनिक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Sophisticated anti-tank Missiles . . .	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1505	मध्य प्रदेश के मलंजखंड में भारतीय भू-सर्वेक्षण दल द्वारा तांबें के निक्षेपों का पता लगाना	Discovery of copper deposits by GSI in Malanjkhand, Madhya Pradesh	76–77
1506	स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य	Powers and functions of the Chairman of SAIL	77–78
1507	बिहार रेजीमेन्ट का निर्माण	Creation of Bihar Regiment	78
1508	जमशेदपुर बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को ठेकेदारों की फर्मों पर लागू करना	Coverage of contractors' firms under EPF Act in Jamshedpur, Bihar	78
1509	हजारी बाग जिले में झुमरीतलैया में सैनिक स्कूल	Sainik School at Jhumaritilaya in Hajaribagh	78–79
1510	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अन्तर्गत भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दर्ज किये गये मुकदमे	Prosecution filed in E.P.F.O. under sections 406 and 409 IPC	79–80
1511	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रबन्ध तथा उत्पादन और कोयले की बिक्री पर प्रभाव	Impact of Nationalisation of coal Mines on Management and production and Sale of Coal	80–81
1512	विदेशी स्वामित्व वाली खान और इंजीनियरी फर्में	Mines and Engineering Units under foreign control	81–82
1513	कोयलाखान मालिकों को मुआवजा देना	Compensation to colliery owners	82
1514	अग्निगुण्टाला तांबा खान का विकास	Development of Agniguntla Copper Mine	82
1515	नवीन औद्योगिक सम्बन्धी नीति की मांग	Demand for new Industrial Relations Policy	82–83
1516	इस्पात और खान मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को रोजगार देना	Employment of Schedule Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings of Ministry of Steel and Mines	83
1517	नेपाल जाने वाले ब्रिटिश राहत विमानों को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ने की अनुमति न देने का कथित समाचार	Alleged withholding of permission to British relief Planes for Nepal to over fly Indian Territory	83
1518	उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता करने का प्रस्ताव	Proposal to aid in the Economic Reconstruction of North Vietnam	84
1519	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Regional Provident Fund Commissioners	84
1520	लन्दन स्थित भारतीय उच्चयोग में कर्मचारियों की संख्या	Number of Staff in Indian High Commission at London	84

अता० प्र० संख्या V. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1521	बाटलीबोई एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड संघ के संयुक्त सचिव को बर्खास्त करना	Dismissal of Joint Secretary of Batliboi and Company Private Limited Union	84
1522	फैक्टरी रोजगार सूचकांक और वास्तविक मजूरी	Factory Employment Index and Real Wages	85
1523	राज्यों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये एक समान कानून	Uniform Laws for Employees working in Shops and Establishments in States	85
1524	बिहार के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में रिक्त पड़े पद	Post lying vacant in Office of R. P. F.C. Bihar	86
1525	दानापुर छावनी क्षेत्र से असैनिक लोगों को हटाने का प्रस्ताव	Proposal to dislodge Civilians from Danapur Cantonment area . .	86
1526	दानापुर छावनी के सर्वे संख्या 214 के पट्टे का नवीकरण	Renew of Lease of Survey No. 214 Danapur Cantonment . .	86–87
1527	हिन्द चीन में शान्ति स्थापना के लिये एशियाई सम्मेलन का प्रस्ताव	Proposal for Asian Conference for securing peace in Indo China .	87
1528	तांबे का आयात और उत्पादन	Import and production of Copper	87–88
1530	शिमला समझौते के कार्यान्वयन के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर की बैठक	Official level meeting between India and Pakistan for implementation of Simla Agreement . . .	88
1531	अध्यादेश के अन्तर्गत कोयला खान मालिकों को दंडित करना	Coal Mine Owners Penalised under the Ordinance	88
1532	बिहार के पूर्णिया जिले में शिविरों में रह रहे शरणार्थी	Refugees living in camps in Purnea District of Bihar . . .	89
1533	पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार	Treatment to Indian POWS in Pakistan	89
1534	विदेशों से भारतीयों का निष्कासन	Expulsion of Indians from abroad	89
1535	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का प्रबन्ध कार्य एन.सी.डी.सी. के माध्यम से चलाना	Running of Nationalised Coal Mines through NCDC	90
1536	जिला पालामऊ की कोयला खानों से निर्यात किया गया कोयला	Coal Exported from Coal Mines of District Palamau . . .	90
1537	इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in production of Steel	90
1538	अलौह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of non ferrous Industries	90
1539	बिहार और अन्य राज्यों में श्रमिक अशान्ति	Labour disturbances in Bihar and other States	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1541	त्रिवेन्द्रम में सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र	Soviet Cultural Centre at Trivandrum	91
1542	खान मालिकों द्वारा खानों पर सरकारी नियंत्रण संबंधी अध्यादेश लागू होने के पश्चात् बैंकों से धन निकालना	Money withdrawn from Banks by Mine owners after promulgation of Ordinance for their take over .	91–92
1543	रक्षा प्रतिष्ठानों के कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना	Bringing Canteen Employees of Defence Establishments at par with Government Employees . .	92
1544	चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक विस्फोटक सामग्री कारखाना	Setting up an Explosive Factory in Orissa during Fourth Five Year Plan.	92
1545	भारत और श्रीलंका के बीच श्रीमावो शास्त्री समझौते की क्रियान्विती	Implementation of Sirimavo Shastri Pact between India and Sri Lanka.	93
1546	युद्ध बन्दियों के परिवारों से प्रधान मंत्री के नाम खुला पत्र	Open Letter to Prime Minister from the Families of P.O.W.s. . .	93
1547	न्यूयार्क में छोटे कार्यों में लगे भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers engaged on Menial Jobs in New York . .	93
1548	कृषि श्रमिक की तुलना में औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय में वृद्धि	Increase in Annual earnings of Industrial Workers vis-a-vis Agricultural Labourer	94
1549	संयुक्त राष्ट्र को भेजे गये शिष्टमंडलों पर हुआ व्यय	Expenditure on Delegation sent to United Nations	94
1550	अनिवार्य बोनस की घोषणा के पश्चात् हुई हड़तालें, ताला बन्दियां और आन्दोलन	Strikes Lockouts and agitation after declaration of Compulsory Bonus	94
1551	श्रीलंका को रक्षा सहायता	Defence Assistance to Sri Lanka	94–95
1552	राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज, देहरादून में प्रवेश के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये आरक्षण	Reservations for States and Union Territories for Admission to Rashtriya Indian Militaty College, Dehradun	95
1553	हिमाचल प्रदेश के लिये सैनिक स्कूल	Sainik School for Himachal Pradesh	95
1554	संसद् सदस्यों को गणतंत्र दिवस के पास देना	Issue of Republic Day Passes to Members of Parliament . .	96
1555	सेना इंजीनियर सेवा के सहाय्यक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Executive Engineers of Military Engineers Service	96
1556	मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के सैनिक/असैनिक अधिकारियों पर व्यय	Expenditure on Army/Civilians Officers of Military Engineering Service	96–98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1557	मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस (एम.ई.एस.) में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का अनुपात	Ratio of Military and Civilian Officers of Military Engineering service	98–99
1558	सैनिक अधिकारियों की विधवाओं को पेट्रोल पम्पो और कुकिंग गैस की एजेंसियों का आवंटन	Allotment of petrol Pump and Cooking Gas Agencies to Widows of Army Officers . .	99
1559	पुर्तगाल साम्राज्यवादियोंके विरुद्ध अफ्रीकी उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति सेनाओं को समर्थन	Support to National Liberation Forces in African Colonies against Portugese Imperialist . . .	99
1560	युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं के पुनर्वास के लिये योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Schemes for Rehabilitation of War Widows .	99–100
1561	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा अन्य कोयला खानों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के परिणामस्वरूप हानि	Losses due to strike by Workers of NCDC and other collieries .	100
1562	बागान श्रमिक अधिनियम का संशोधन	Amendment of Plantation Labour Act	100
1563	बरसुआ लौह अयस्क खान के श्रमिकों की बर्खास्तगी	Dismissal of Workers of Barsua Iron Ore Mine	100–101
1564	भारतीय सेनाध्यक्षों और अन्य देशों के सेनाध्यक्षों की यात्राओं पर हुआ व्यय	Expenditure on Visits of Indian Service Chiefs and Heads of Armed Forces of other Countries . .	101–102
1565	प्रतिरक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों की यूनियनों के पंजीकरण को समाप्त करना	Deregistration of Unions of Civil Employees of Defence Department	102
1566	इस्पात वितरण व्यवस्था संबधी अध्ययन दल की रिपोर्ट	Report of Study Group on Steel Distribution System . .	102
1567	बम्बई मेटल एण्ड अलायस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा आयरन एण्ड मेटल ट्रेडरस लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Bombay Metal Alloys manufacturing Company Limited and Iron and Metal Traders Limited, Bombay . .	102–103
1568	मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिकी एककों को लोहे और इस्पात की सप्लाई	Supply of Iron and Steel to Industrial Units in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat . .	103
1569	मशीनीकरण विषयक समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Report of Committee on Automation	103
1570	पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी गैर-कोकिंग कोयला खानों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for closed non-coking coal mines in West Bengal .	103–104
1571	यूरेनियम और प्लेटिनम के बिना बमों का निर्माण	Manufacture of Bombs without Uranium and Platinum .	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1572	1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत और पश्चिमी सीमान्त पर नियुक्त प्रतिरक्षा विभाग के कर्मचारियों को राशन राशि अदा किया जाना	Payment of Ration Money to Employees of Defence Department Posted in North Western Border and Western Border during Indo-Pak. War 1971	104
1573	भारतीय इंजीनियरों के लिये मलेशिया सरकार का अनुरोध	Malaysian Government request for Indian Engineers . . .	105
1574	1971-72 में सतर्कता निदेशक द्वारा जांच किये गये भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption in 1971-72 investigated by Director of Vigilance	105
1575	परमिटों के द्वारा लोहे और इस्पात की उचित मूल्यों पर सप्लाई	Supply of Iron and Steel at Fair Prices through permits . .	105–106
1576	सहारनपुर में इस्पात के कोटा होल्डर	Steel Quota holders in Saharanpur	106
1577	शहरों में भवन निर्माण के लिये इस्पात की सप्लाई करने हेतु समिति	Committee for supply of Steel for House Building in Cities . .	106–107
1578	इस्पात के सामान के निर्माण के लिये संयंत्रों की स्थापना करने की योजनाएं	Schemes for setting up plants for Manufacture of Steel Items .	107
1579	स्क्रेप रीरोलर मिलों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to scrap Re-Rollers	107
1580	बिलेटों का निर्माण करने की संयुक्त क्षेत्र की योजनायें	Joint Sector Scheme for Manufacturing Billets . . .	108
1581	मेघालय में संघ प्रतिनिधियों की मांगें	Demands of Union Representatives in Meghalaya	108
1582	"औद्योगिक संबंधों" के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत	Prime Minister's Discussion with Chief Ministers on Industrial Relations	109
1583	इस्पात के आयात के माध्यम से सम्बन्धित योजनाके बारे में असन्तोष	Dissatisfaction over Scheme of Import Canalisation for Steel .	109
1584	लौह अयस्क उद्योग को नियमित करने के लिये लौह अयस्क बोर्ड की योजना	Plan of Iron Ore Board to regulate Iron Ore Industry . . .	109–110
1585	कोटा मिलिटरी गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर द्वारा पशुओं का क्रय । विक्रय	Sale/Purchase of Animals by Kota Military Guard Training Centre	110
1586	कोयला क्षेत्रों में स्थापित किये गये बचाव केन्द्र	Rescue stations setup in Coal Fields	110–111
1587	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में सेना को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ दल	Experts Team to advice Army on settlement of Ex-servicemen .	111
1588	मिश्रित इस्पात और छीलन के मानकीकरण के बारे में कार्यकारी दल की रिपोर्ट	Report of Working Group on standardisation of Alloy Steel and Scrap	111–112
1589	पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में रक्षा आयुध कारखाने की स्थापना	Setting up a Defence Ordnance Factory in Madhya Pradesh during Fifth Plan.	112

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1590	पांचवीं योजना के दौरान सैनिक स्कूलों का खोला जाना	Opening of Sainik Schools during Fifth Plan	112
1591	गैर कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण प्रगति	Process of takeover of Non-Coking Coal Mines	112–113
1592	गैर कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण के पश्चात् कोयले की कीमतों में वृद्धि	Increase in prices of Coal after takeover of Non-Coking Coal Mines	113
1593	युद्ध बन्दियों को स्वदेश वापस भेजने सम्बन्धी मामले को सुलझाने के बारे में सरकार की नीति	Government policy res-settlement of repatriations of P. O. Ws. issue .	114
1594	भारत में युद्ध बन्दियों की स्थिति और उनके साथ बर्ताव के बारे में विदेशों में प्रचार	Publicity abroad about conditions and treatment with P.O.Ws. in India	114
1595	दंडकारण्य क्षेत्र में शरणार्थियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Refugees in Dandakaranya Area	114
1596	भारत पाक संबंधों को सुधारने के लिये मध्यस्थता करने के बारे में लेबनान की पेशकश	Offer from Lebanon to mediate for improving Indo-Pak Relations .	115
1597	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में उड़ीसा के कर्मचारी	Employees in NMDC from Orissa	115
1598	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिज उत्पादनों के लिये दी गई मूल्य दरें	Prices for mineral products quoted by NMDC	115
1599	मास्कों में सोवियत संघ के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भारतीय प्रतिनिधि	Indian Representative to 50th Anniversary Celebrations of USSR in Moscow	115–116
1600	बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षत्र में हुई हानि	Losses due to Power shortage in Industrial Sector	116
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	116–117
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	अढ़सठवां प्रतिवेदन	Sixty-eighth Report . . .	117
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . .	117
	स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Requisitioning and Acquisitioning of Immoveable Property (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	117
	धोलपूर के निकट चम्बल पुल को हुई क्षति और दिल्ली बम्बई यातायात के बंद होने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Damage to Chambal Bridge near Dholpur and Suspension of Delhi-Bombay Traffic—	
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur— . . .	117–119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मंत्रियों द्वारा गलत वक्तव्य देने के आरोप के बारे में	Re. Alleged Wrong Statements by Ministers	119–125
नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
मेरठ में एक पाकिस्तानी जासुस की गिरफ्तारी के बारें में मामला—	Reported arrest of a Pakistani spy in Meerut—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	125
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	125–127
आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत —	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to the State of Andhra Pradesh—*Adopted*—	
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . .	128–129
श्री इन्द्र जीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	129–131
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . . .	131–132
श्री मुरोसोली मारन	Shri Murasoli Maran . .	132–133
श्री वी० तुलसी राम	Shri V. Tulsiram . .	133
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . . .	133–134
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao . .	134–135
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	135–136
श्री पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhai Rama Rao . .	136–137
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao . .	137
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	137–138
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao . .	138
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Panday . . .	138
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . . .	138
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . . .	139–141
रेलवे बजट—1973-74—सामान्य चर्चा—	Railway Budget—1973-74—General Discussion—	
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail . .	141

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 1 मार्च, 1973/10 फाल्गुन, 1894 (शक)
Thursday, March 1, 1973/Phalguna 10, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि मजदूरों के लिये पुनरीक्षित मजूरी को क्रियान्वित करने में राज्यों की असमर्थता

*141. **श्री रणबहादूर सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित मजूरी के निर्णय को अनेक राज्य वित्तीय स्थिति के कारण क्रियान्वित नहीं कर सकें है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यावाही की है कि देश में हरित क्रान्ति की सफलता के लिए किसानों तथा कृषि मजदूरों का पूरा सहयोग प्राप्त हो ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :(क) केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कृषि में नियोजन के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने हेतु प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए हैं। इन प्रस्तावों का अनुसरण करने के लिए राज्य सरकारों को नहीं कहा गया है। यह उनका काम है कि वे सम्बधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही के लिए आने वाले कृषि संबंधी नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करें। तथापि, 15 मई, 1972 को श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के बारे में दिए गए सुझाव/की गई आलोचनाएं उनके ध्यान में ला दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रणबहादूर सिंह : केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने संबंधी सिफारिशें किस आधार पर की थी, उनका अंकन किस आधार पर किया गया था ? इन न्यूनतम मजूरियों के निर्धारण के दौरान क्या कृषि क्षेत्र के उत्पादों की न्यूनतम लागत को भी ध्यान में रखा गया था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इन आंकड़ों तक पहुंचते समय सभी संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या उक्त आंकड़े निर्धारित करते समय किसानों तथा कृषि श्रमिकों को भी विश्वास में ले लिया गया था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सम्मतियां जानने के लिये एक सूचना जारी की गई है। जब एक बार राय मांगी जाती हैं तो किसानों के प्रतिनिधियों या अन्य प्रतिनिधियों को अपनी राय देने की स्वतंत्रता होती है। इसके पश्चात् सरकार अपना निर्णय देगी।

Shri Nathau Ram Ahirwar : While the Government decide about the daily wages of the labourers in other factories, I want to know, when would they take up seriously the case of poor labourers in the rural areas who do not get even 50 paise a day and who are being exploited since independence. When would the Government take active interest in fixing up their wages also ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार अपने कार्यक्षेत्र के भीतर ही कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्य-वाही कर रही है। इसी प्रकार संबंधित राज्यों में भी राज्य सरकारें इस विषय पर ध्यान दे रही हैं तथा न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। समस्या की व्यापकता तथा गहनता को देखते हुए हमसें कुछ कठिनाईयां भी हो सकती हैं।

श्री कृष्णचन्द हलदर : हाल ही में समस्त भारत में मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार राज्य सरकारों को कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के बारे में कहने का विचार कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : पुनरीक्षण के लिये मसौदा 25 अगस्त, 1972 को अधिसूचित किया गया था जिसमें संबंधित लोगों से टिप्पणियां तथा सुझाव आमंत्रित किये गये थे। वर्तमान मजूरी दरें मई 1959 में निर्धारित की गई थीं। इस समय प्रस्तावित मजूरी-दरें भी अधिसूचित की गई थीं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें निश्चित रूप से इन तथ्यों पर ध्यान देंगी तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगी।

Shri M. C. Daga : The Minimum Wages Act is in force since 1948. May I know whether there has been any case in the court of law about appeal against non-payment of Minimum Wages ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वर्ष 1948 से अब तक न्यूनतम मजूरी कानून को लागू ही नहीं किया गया है। वह कोई जानकारी दे रहे हैं।।

श्री रघुनाथ रेड्डी : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन कार्य के हर क्षेत्र में न्यूनत मजूरी निश्चित की गई है। इसे यथासंभव क्रियान्वित भी किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : वर्ष 1971 में हुई जनगणना के अनुसार देश में काश्तकारों की संख्या 7 करोड़ 80 लाख है जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या 4 करोड़ 70 लाख है। दूसरे शब्दों में एक श्रमिक के पीछे दो काश्तकार हैं। जब किराय पर लेने वालों की संख्या किराये पर लिये जाने वालों से अधिक है तो क्या कृषि क्षेत्र में इस समय अथवा भविष्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव होगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य इस संबंध में सामने आने वाली कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत हैं।

श्री बी० वी० नायक : यदि ऐसा है तो क्या किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : परस्पर विचारों के आदान प्रदान की बजाये वह कोई प्रश्न क्यों न पूछें ?

श्री बी० बी० नायक : अधिनियम को लागू करने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कुछ मामलों में कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा ही की जाती है तथा कुछ मामलों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें ही कार्यवाही करती हैं। केन्द्र सरकार न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास कर रही है। मैं पहले ही कह चूका हूं कि न्यूनतम मजूरी का पुनरिक्षण अधिसूचना द्वारा किया जाता है तथा उसके लिये विचार आमंत्रित किये जाते हैं। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, हमारा अनुभव यह है कि वे न्यूनतम मजूरी अधिनियम की भावनाओं को यथासंभव क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। उदाहरणार्थ, तमिल नाडु, पांडिचेरी, तथा केरल सरकार ने जहां जहां संभव हुआ उचित मजूरी तथा न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये विशेष कानून पास कर रखे है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that the draft proposals were sent to the States in August and their replies were received in May, 1969, and that they must have examined those proposals. I want to know whether he proposes to seek the opinion of the unions or the representatives of the cultivators besides getting the opinion of the State Governments ? Relief works are going on in different places all over the country. The agriculture labour is getting a wage at the rate of 50 paise a day.

Shri Atal Behari Vajpayee : It is 13 paise in Gujarat.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is 13 paise in Gujrat, Rs 1.50 in Maharashtra and 50 paise in Madhya Pradesh. The hon. Minister perhaps does not have full information, I want to know whether it is not a fact that the labourers are being made to sign at Rs. 3.50 a day whereas they are getting only 13 or 50 paise per day as said by Shri Atal Behari Vajpayee? I have also visited Thana District recently. I want to know as to what steps are being taken to check such mal practices and cheating; and also whether he is prepared to review the quantum of wages fixed at present?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने बताया है न्यूनतम मजूरी अधिनियम को किन्ही मामलों में केन्द्र सरकार तथा किन्ही मामलों में राज्य सरकारें लागू करती हैं। परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 1969 में निश्चित की गई मजूरी में पुनरीक्षण करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है। जानकारी देने के लिये मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। हम इसकी जांच करेंगे कि ऐसा किस प्रकार किया जा रहा है।

श्री ए० पी० शर्मा : यदि राज्य सरकारें कृषि श्रमिकों के बारे में इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार की सलाह को न माने, तो केन्द्र सरकार उसे राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस संबंध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबंध बड़े ही स्पष्ट हैं। मैं कानूनी प्रश्न के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। केन्द्र सरकार तो केवल राज्य सरकारों को कार्यवाही करने की सलाह दे सकती है।

श्री डा० के० एम० इसहाक : क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने में सचमुच ही गंभीरता से काम ले रही है? यदि हां, तो इसके लिये उनका विचार क्या व्यवस्था करने का है क्योंकि मंत्री महोदय जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियोक्ता

एक समान स्तर के नहीं हैं। कुछ तो अमीर हैं परन्तु कुछ नियोक्ता ऐसे हैं जो अन्य दिनों में स्वयं भी श्रमिकों की भांति ही कार्य करते हैं। जब ये नियोक्ता स्वयं भी श्रमिकों की तरह काम करते हैं तो फिर इस अधिनियम की क्रियान्विति कराने के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : राज्यों के कार्यक्षेत्र में तो स्वयं राज्य सरकारों को ही इस अधिनियम को क्रियान्वित कराने का अधिकार है। इसके लिये पहले ही कुछ कार्यालय हैं जिनके कारखाना इन्स्पेक्टर तथा अन्य अधिकारी आदि को राज्य सरकारों ने इस कार्य के लिये लगा रखा है। संभव है यह व्यवस्था पर्याप्त न हो। परन्तु हम राज्य सरकारों पर इस के लिये ज़ोर देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त मशीनरी होनी चाहिये।

श्री डी० के० पण्डा : इस संदर्भ में हम देखते हैं कि उड़ीसा में वर्ष 1948 से यह मजूरी एक रुपया 25 पैसे है और अभी तक यही चली आ रही है। क्या ऐसे राज्यों को कोई विशेष निर्देश देने का विचार है जहां निर्धारित मजूरी वास्तविक मजूरी से भी कम है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अधिनियम के अधीन कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। जबकि माननीय सदस्य ने हमें सूचित किया है तो इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिये हम उड़ीसा सरकार को लिख देंगे।

श्री समर गुहा : इस तथ्य की दृष्टि से कि कृषि श्रमिकों की संख्या औद्योगिक श्रमिकों की संख्या से लगभग 25 गुणा अधिक है, तथा ये कृषि श्रमिक देश के उन बीस करोड़ लोगों की श्रेणी में आते हैं जो कि गरीबी में भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे है तो क्या सरकार इस समस्या को हल करने, कठिनाइयों को दूर करने तथा इस समस्या को हल करने के लिये कि कृषि श्रमिकों के पुनरीक्षित मजूरी ढांचे को कैसे क्रियान्वित किया जाने, राज्य सरकारों के विभिन्न प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Agricultural labourer and employers have diffren conditions. Quite often the crops are eaten up by the insects and there is damage to the produce. I want to know whether the Central Government are going to appoint a commission to go into this and report about the various difficulties of the cultivators and the agricultural labour so as to help both parties?

Mr. Speaker : It is the same question being repeated in different shapes.

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैं श्री समर गुह के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ हम एक बैठक बुलाने जा रहे है जिसमें इन सभी बातों पर चर्चा होगी।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has not answred my question. They are not gods for whose 'darshan' we come here as we go for darshan to Banaras or Vishwanath Ji. We have come here to do our duties.

Mr. Speaker : Why do you go into arguments here ?

Shri Bibhuti Mishra : The hom. Minister must give the reply.

श्री रघुनाथ रेड्डी : स्थिति का मूल्यांकन करने तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के संबंध में मैं माननीय सदस्य

की भावनाओं को समझता हूँ। मैं भी विभिन्न राज्य सरकारों के तथा अन्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार कर रहा हूँ ताकि हम यह निश्चय कर सकें कि हम अपनी उपलब्ध व्यवस्था का कैसे अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करा सकते हैं?

INDIAN ISLANDS UNDER DISPUTE

***144. Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the Islands within the borders, which fall under the sovereignty of India;

(b) the Islands which are under dispute with other countries; and

(c) the names of these countries?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत संघ के द्वीप प्रदेश हैं :—

(1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ;

(2) लक्कादीव, मिनिकाय और अमींदीव समूह ;

(3) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र के तटवर्ती और बाहरी द्वीप समूह।

(ख) और (ग) : कच्छातिवू ही एक ऐसा द्वीप है जिसपर प्रभुसत्ता का प्रश्न अभी भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच विचार-विनिमय का विषय बना हुआ है। भारत और श्रीलंका, दोनों ने ही इस मामले को मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है।

Shri Jagannath Rao Joshi : According to the reply given by the hon. Minister, Kachchativu is the only Island about the sovereignty of which there is some dispute. Therefore, I want to known whether it was a part of the kingdom of the King of Ramnathpuram May I know whether that King did not tell you that the island come within his Kingdom ? Is it a fact that it is a part of his Kingdom ?

Shri Surendrapal Singh : We think and it is our claim that Kachchativu is ours.

Shri Jagannath Rao Joshi : That is what I want to know as to what is the basis for that ? The territory of the King of Ramnathpuram has been merged with us and we claim the island because it was the part of that territory.

Shri Surendrapal Singh : It is not the proper time and place to go into as to why it is ours and why not. We can. only say that it is ours and we have put a claim. That is why Sri Lanka have also placed their claim.........

Mr. Speaker : A straight question has been asked whether the King admits it as his territory or not.

Shri Surendrapal Singh : Formerly, it was the property of the King of Ramnathpuram. Now his property has been acquired by the Government of Tamil Nadu. Therefore, it is ours now.

Shri Jagannath Rao Joshi : Then how does the dispute arise and what is the question for settlement in a friendly way ? The same reply was given in November 1972. When it was in our possession, how does there the dispute arise ? They disputed it because some pilgrims from Sri Lanka come there and thus that country has put the claim. But they can still come there because we are friendly to Sri Lanka . Why don't you then decide forthwith that the island is ours. How would you go on like this ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने हमेशा यही कहा है कि कच्छातिवु हमारा है। यह भी सच है कि श्री लंका ने भी इस टापू पर अपना दावा पेश किया है। क्योंकि श्री लंका के साथ हमारे संबंध मैत्री तथा सदभावनापूर्ण हैं, हम उस मामले को मित्रतापूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं। इसीलिये दोनों प्रधान मंत्री मिले थे तथा उन्होंने चर्चा करके यह निष्कर्ष निकाला था कि यह तथा इस पर तथा मनार की खाड़ी संबंधी मामलों पर चर्चा करके मैत्रीपूर्ण तरीके से उन्हें हल कर लिया जायेगा ?

श्री जगन्नाथराव जोशी : यह मामला काफी लम्बे समय से चल रहा है। यह विवाद तब भी था जब मैं संसत्सदस्य नहीं था और अब भी चल रहा है।

श्री प्रबोधचन्द्र : मंत्री महोदय ने विशिष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार का यह मत है कि यह टापू भारत का है तथा भारत की प्रभुसत्ता के बारे में कोई समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। क्या यह सच है कि इस टापू पर हाल ही की तीर्थयात्रा के दौरान श्रीलंका द्वारा वीसा जारी किये गये थे और केवल इन वीसा धारियों को ही श्रीलंका सरकार ने इस टापू में जाने दिया था ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री लंका सरकार की इस वीसा प्रणाली का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। परन्तु यह सच है कि सेंट एन्थनी के पर्व पर, श्रीलंका में अवैध रूप से आने वाली तथा तस्करी को रोकने के लिये अवश्य वे कुछ नियंत्रण लागू करते हैं। इस संबंध में संभव है उन्होंने कोई कार्यवाही की हो। परन्तु इसका यह कदाचित अर्थ नहीं है कि इससे उस टापू पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता हो गई।

श्री प्रबोधचन्द्र : जब हम इसे अपना द्वीप बताते हैं तब श्रीलंका सरकार तस्करी आदि की निगरानी किस प्रकार कर सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे अभी इस बात की जानकारी मिली है कि श्रीलंका सरकार ने कोई वीसा जारी नहीं किया है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या यह सच है कि श्रीलंका की गश्ती पुलिस ने बहुत से भारतीय गिरफ्तार किये हैं और यदि हां तो कितने भारतीय गिरफ्तार किये गये हैं और क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में यह बात नहीं पूछी गयी है।

श्री जी० विश्वनाथन : यह कच्छातिवू में स्थित है। जब हमारे मछेरे वहां गये तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह प्रश्न कच्छातिवू के विषय में है इसलिये मैंने उक्त प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सीमा के अन्तर्गत द्वीपसमूह के बारे में है जो भारत की सार्वभौमिकता तथा दूसरे देशों के साथ विवादग्रस्त द्वीपसमूह के अन्तर्गत आता है।

श्री जी० विश्वनाथन : इस प्रश्न के पीछे मुख्य उद्देश्य कच्छातिवू है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आपने एक विशिष्ट जानकारी मांगी है। कोई ऐसी निर्देश तो होना चाहिये कि आप अमुक जानकारी चाहते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामिनाथन।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात उठती है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामीनाथन ? मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : श्रीमन, यह मेरा प्रश्न नहीं है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : कच्छातिवू के विषय में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कच्छातिवू के विषय में और कोई प्रश्न नही। श्री दंडपाणि।

पाकिस्तान अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में से सुरंगों का हटाया जाना

145. श्री सी० टी० दंडपाणि† :

श्री पी० ए० स्वामिनाथन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल के युध्द के दौरान अधिकृत भारतीय क्षेत्रों में से सुरंगों को नही हटाया ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार अथवा सैनिक अधिकारियों को सूचित किया था कि वे सुरंगों को हटा देंगे; और

(ग) क्या दूसरी ओर भारत ने कब्जा किये गये पाकिस्ताम के क्षेत्रों में से सभी सुरंगों को हटा दिया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा-उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार सेनाओं की वापसी के लिए प्रक्रिया के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच एक समझौता हुवा था : उसमे ये सहमति हुई थी कि दोनों देश अपने अधिकृत क्षेत्र स सुरंगे साफ करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने अधिकार मे भारतीय क्षेत्र से सुरुंगों को साफ करने के लिए कुछ प्रयत्न किए हैं। वापसी से पूर्व, उन्होंने वे चिन्हित नक्शे तथा रेखा-चित्र और वाड युक्त सुरंग क्षेत्रों को हमारे हवाले किए थे जहां से सुरंगे साफ नहीं की गई थी। कुछ समय के बाद में यह पता चला कि ये रेखा-चित्र सही नहीं थे और सुरंगों क्षेत्रों की ठीक प्रकार से बाड नहीं लगाई गई थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सौंपने से पूर्व हमारे अधिकार में पाकिस्तानी क्षेत्र से अधिकांश सुरंग क्षेत्रों को साफ कर दिया था। तथापि, कुछ सुरंग क्षेत्रों को भूमि की स्थिति तथा समय सीमा के कारण साफ नहीं किया जा सका था। हमारी सेना ने वापसी से पहले ऐसे सभी मामलों में सुरंग क्षेत्रों की ठीक प्रकार से बाड़ लगा दी थी और सही नक्शे तथा रेखा-चित्र पाकिस्तान को सौंप दिये थे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मंत्री महोदय ने बताया है कि वापसी से पूर्व उन्होंने, वे चिन्हित नक्श तथा रेखाचित्र और बाडयुक्त सुरंग क्षेत्रों को हमारे हवाले किया था जहां से सुरंग साफ़ नहीं की गयी थीं, क्या इसके कारण हमारे सैनिकों तथा सिविलियनों को हानियां हुयी और यदि हां, तो कुल कितनी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सुरंगों को हटाने में उन स्थानों पर कुछ व्यक्ति मरे जहां सुरंग ठीक प्रकार नहीं बिछायी गयी थी अथवा जहां से वे साफ नहीं की गई थीं। इस समय इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है परन्तु मैं इसे जुटाकर सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि : 10 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है :—

"इसमें इतना अधिक समय नहीं लग सकता था परन्तु शिमला समझौते के अनुसार स्वयं सुरंगों को साफ न करने की पाकिस्तानी अधिकारियों की धृष्टता तथा इस प्रकार की सही सूचना न देने के कारण कि सुरंगें किस प्रकार की हैं, कितनी हैं, ऐसा हुआ।'

क्या भारत सरकार ने इसका कोई विरोध किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने पहले बताया है पाकिस्तानी सेना ने सुरंग साफ करने के प्रयास किये थे। मेरे विचार से उन्होंने जानबूझकर सुरंग साफ न करने की धृष्टता नहीं की थी। मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कुछ सुरंगे सही रूप से चिन्हित नहीं थी। हानि धृष्टता की बजाय कार्यकुशलता न होने के कारण हुई है क्योंकि सुरंगे सही रूप में चिन्हित नहीं थी।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कार्यकुशलता के अभाव सुरंगे साफ नहीं की गयी जिससे जन धन की हानि हुई। कार्यकुशलता का अभाव भारत की ओर है अथवा पाकिस्तानी की ओर अथवा दोनों ओर ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने बताया है कि सुरंग ठीक प्रकार से साफ नहीं की थीं। ऐसा कार्यकुशलता के अभाव में ही संभव है धृष्टता के कारण नहीं। उन्होंने सुरंग साफ करने का सच्चा प्रयास किया। हमारे यहां की कार्यकुशलता के अभाव जैसी कोई शिकायतें नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सुरंग अधिकांश रूप से पंजाब में बिछायी गयीं और उन्होंने इसकी स्थिति के सम्बन्ध में जानबूझकर गलत जानकारी दी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उनकी अकार्यकुशलता के बारे में मंत्री महोदय की यह राय है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक संसद सदस्य के रूप में मंत्री महोदय को सूचना की है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। जहाँ कहीं सुरंग बिछायी गई थी पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी थीं जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से व्यक्ति मारे गये। मैं और अधिक जानकारी चाहता हूँ क्यों कि ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिछायी गयी हैं। सारा युद्ध ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा गया था।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं केवल तमिलनाडु में ही रूचि नहीं रखता हूँ, पंजाब में भी मेरी रूचि है।

अध्यक्ष महोदय : यह तमिलनाडु से बहुत दूर है हम ही जानते हैं कि क्या हुआ है प्रश्न के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : भारतीयों ने कितने सुरंगें बिना साफ किये छोड़ दी थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे डी० एम० ओ० ने पाकीस्तानी डी० एम० ओ० को लिखा। पंजाब में लगभग बराबर बराबर भूमि हस्तांतरित की गई। हमने 237 टैंक भेजी तथा 1370 सैनिक मारक सुरंगे छोड़ी थी। पाकिस्तान ने 2821 टैंक भेजी तथा 1,835 सैनिक मारक सुरंगे छोड़ी थीं।

गुजरात में कोयले की कमी

*146. **श्री अरबिन्द एम० पटेल**† :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयले की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में कोयले की कमी निम्नलिखित कारणों से रही है :

(1) जनवरी, 1973 में उत्तर प्रदेश में विद्युतकीय अभियंताओं की हड़ताल के दौरान लगभग 7 दिनों के लिए रेल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव।

(2) आंध्र प्रदेश में दिसम्बर, 1972 से आंदोलन के कारण दक्षिणीय क्षेत्र में वैगनों का अवरोध।

(3) पश्चिमी और दक्षिणी भारत में सूखा पीड़ित क्षेत्रों में उत्तरी राज्यों से खाद्यान का अत्यधिक संचालन और कोयला लदान के लिए वैगनों की परिणामी कमी।

देश में कोयले की कोई कमी नहीं है यहां पर्याप्त गर्त्त मुख स्टाक है। गुजरात में कोयले के पर्याप्त संचलन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मंत्रालय सें सम्पर्क स्थापित किया गया है।

Shri Arvind M. Patel : It is an old practice to show wagons shortage for the transportation of coal and other goods. In my constituency—Rajkot, only 760 Tonnes of coal has been supplied during Six months against the monthly requirement of 500 tonnes of coal. Therefore there has been a shortage of 2240 Tonnes of coal which has resulted into shortage of production, increase in unemployment, fall in revenue realization and foreign exchange earnings. May I know whether the Ministry of Steel and Mines has discussed regarding shortage of wagons with Railway Ministry and if so, the results thereof?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : हमने रेल मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा है और वैगन सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए कहा है। हाल ही में कोयला खान प्राधिकरण के महाप्रबन्धक जो विक्रय विभाग के प्रभारी हैं तथा रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस विषय पर चर्चा के लिये अहमदाबाद आये थे और स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने संभव कार्यक्रम बनाया था। अगले महीने हम विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुला रहे हैं जिससे सरकार द्वारा कोयला खानों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के पश्चात विशेषतया कोयले की ढुलाई के लिये वैगनों की युक्तिसंगत उपलब्धि की जा सके।

श्री दामोदर पांडे : क्या सरकार द्वारा कोयला खानों का अधिग्रहण कर लेने के पश्चात खानों से होने वाले उत्पादन में पांच प्रतिशत वृद्धि हुई है और इस सीमा तक ही देश में कोयला प्राप्त होने की स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु क्या घरों में काम आने वाले कोयले की तथो इंटें पकाने वाले कोयले की देशपर्यन्त बहुत अधिक कमी है और यह कमी जनता की विचारधारा को राष्ट्रीयकरण के विपरीत करने के लिये निहित स्वार्थों द्वारा पैदा की गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मै स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि कोयले के उत्पादन में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है...

श्री दामोदर पांडे : 35 प्रतिशत नहीं, 5 प्रतिशत।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : ...अथवा 5 प्रतिशत। कोयले के वास्तविक उत्पादन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु पहले जो उत्पादन रजिस्टरों में नहीं दिखाया गया है उसको देखते हुए यह वृद्धि पांच प्रतिशत से अधिक है अर्थात यह वृद्धि आंकड़ों की है उत्पादन की नहीं ।

जहां घरों में काम आने वाले तथा इंटें बनाने वाले कोयले की कमी का प्रश्न है तो मेरे विचार से इस प्रकार के कोयले के उत्पादन में तो कमी नहीं हुई है परन्तु इस क्षेत्र में अभी तक हमारे सामने ढुलाई की समस्या है और यही कारण है कि ऐसे एक ही प्राधिकरण की व्यवस्था करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जोंकि खानों के उत्पादन तथा ढुलाई व्यवस्था दोनों प्रबन्ध करे। इस के लिये विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या मंत्रीमहोदय को इस बात का पता है कि सौराष्ट्र की दो कपड़ा मिलें—न्यू जहाँगिर वकील मिल्स लिमिटेड, भावनगर तथा महालक्ष्मी मिल्स, भावनगर, कोयले की कमी के कारण बन्द हो जाने की स्थिति में हैं, जिसके परिणामस्वरूप 4000 मज़दूर बेरोज़गार हो जायेंगे ? क्या मंत्री महोदय एक भी दिन का विलम्ब किये बिना तुरन्त कोयले की सप्लाई का प्रबन्ध कराने के लिये कदम उठायेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य ने जिन दो मिलों की कोयले की सप्लाई की स्थिति के बारे में पूछा है मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं तुरन्त स्थिति जानने की तथा स्थिति सुधारने के लिये संभव कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री वेकारिया : हमने यह प्रश्न रेल मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री दोनों के सम्मुख कई बार रखा है। दोनों ने एक ही उत्तर दिया है यदि वैगन उपलब्ध नहीं है तो क्या सरकार का विचार गुजरात को समुद्री मार्ग से कोयले की सप्लाई करने का है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : समुद्रीमार्ग से अधिक कोयला ले जाना संभव नहीं है। परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा है इसलिए मैं इस बात पर फिर से विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है।

Shri Bhagirath Bhanwar : The Hon. Minister has stated that the shorage of coal in Gujarat is due to non-availability of wagons but the Railway Minister is of the view that they have to cancel two or three local trains due to shortage of coal, may I know which of the two is correct ?.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यह बात सही है कि कोयले के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। यह इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि खानों के मुहानों पर काफी कोयला एकत्र पड़ा है। यदि कोयले का उत्पादन और बढ़ाया जाता है तो खानों के नजदीक और अधिक भंडार जमा हो जायगा। कोयले की जिस कमी से पश्चिम रेलवे की जो रेलगाड़ियां बन्द हुई हैं वह कमी वैगन उपलब्ध न होने के कारण हुई है क्योंकि इंजनों के उपयोग के लिये कोयला लाने हेतु वैगन उपलब्ध नहीं थी। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं मामले की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ।

जैरे के साथ सम्बन्ध दृढ़ करने के लिए समिति की नियुक्ति

*147. **श्रीमती सावित्री श्याम**† :

श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैरे के राष्ट्रपति के हाल के दौरे के परिणामस्वरूप भारत और जैरे ने आपसी सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिए कई समझौते किए हैं;

(ख) क्या ऐसे मामलों के बारे में विस्तृत रूप से विचार करने के लिए सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, और समिति अपना कार्य कब शुरू करेगी; और उसका मुख्यालय कहां होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां। जैरे के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान आर्थिक, वाणिज्यिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, विमानन और समुद्री सहयोग के विषयों पर संयुक्त समितियों की व्यवस्था के निमित्त एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संयुक्त समितियां सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयत्न करेंगी और औपचारिक समझौते तैयार करेंगी। समितियों की प्रारम्भिक बैठकों के लिए भारत और जैरे में तयारी संबंधी और उनकी रचना को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। इन समितियों की बैठकें किनशाखा अथवा नई दिल्ली किसी एक समय होंगी जिसका निर्णय इस काम के पूरा हो जाने पर राजनयिक सूत्रों के जरिये किया जाएगा।

Shrimati Savitri Shyam : My question is in respect of trade between the two countries. Minerals, diamonds and copper is available in Zaire whereas our country has tea and jute. I want to know if the two countries wanted import raw materials or finished goods from each other. May I also know whether this would be decided by the joint committeee or by the two governments ?

Shri Surendra Pal Singh : The Committee would examine all these matters as to in what fields there can be cooperation, what can be exported and what can be imported. All these matters would be settled when the committee is formed.

Shrimati Savitri Shyam : When that committee would be formed and when its recommendations would be implemented and to what extent these will be implemented ?

Shri Surendra Pal Singh : There is delay in this matter because the protocol that was signed was sent to different Ministries so that they may examine that in what fields, we can cooperate. The committee would be formed after the receipt of replies from the Ministries.

श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या जैरे ने अपने देश के खनिजीय विकास के लिये तकनीकी सहायता मांगी है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जैरे सरकार ने कई प्रस्ताव रखे हैं। उन सबका अध्ययन किया जा रहा है। एक बार जब समितियों का गठन हो जायेगा तो वे सब प्रस्तावों पर विस्तार से विचार करेंगी।

Shri Shanker Dyal Singh : The mutual relations between the two countries can be strengthened in two ways *i.e.* by political and cultural visits. I want to know if the Prime Minister or the President or any cultural delegation is likely to visit Zaire.

Shri Surendra Pal Singh : Both the countries have to decide as to in what field there can be cooperation. It is difficult for me to say at present as to who is visiting that country.

Mr. Speaker : Let this also be entrusted to the committee.

स्टील एथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (एस० ए० आई० एल०) का कार्यकरण

*148. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील एथारिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड के मुख्य कृत्य क्या होंगे;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की अन्य लोहा तथा इस्पात कम्पनियों को इस में सम्मिलित होने की अनुमती दी जायेगी;

(ग) स्टील एथारिटी आफ़ इण्डिया लिमिटेड की अभिदत्त और निगमित पंजी अनुमानतः कितनी होगी; और

(घ) यह देश की इस्पात संबंधी आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा कर पायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) स्टील एथारिटी आफ़ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) लोहा और इस्पात और सम्बद्ध आदान उद्योगों यथा लोह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैंगनीज, चूनापत्थर, उष्मसह आदि का सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार आयोजन, प्रोत्साहन और सर्वांगीण तथा कुशल ढंग से विकास करना।

(2) अपनी सहायक कम्पनियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना उनके आर्थिक और वित्तीय उद्देश्यों/लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनके सभी साधनों का इष्टतम उपयोग करने हेतु उनके कार्य-परिणामों की समीक्षा नियंत्रण, मार्गदर्शन करना और निर्देश देना।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नीति निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अच्छे वाणिज्य सिद्धांतों पर कार्य संचालन।

(4) सरकार की ओर से एक उद्यमी के रूप में कार्य करना, पूंजी निवेश के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे पूंजी निवेश करना अथवा ऐसे निवेश करने में सहायता देना ।

(5) लोहा और इस्पात और सम्बद्ध आदान उद्योगों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति की सरकार को सिफारिश करना और सभी नीति सम्बन्धी तथा तकनीकी बातों में सरकार को सलाह देना ।

(ख) निजी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों, मैंगनीज ओरस इण्डिया लिमिटेड और बोलानी ओरस लिमिटेड में इस समय सरकार के जो शेयर हैं उन्हें 'सेल' को हस्तांतरित कर दिया जाएगा । और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोहा, इस्पात और सम्बद्ध आदान उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कम्पनियों का परिचालन, आयोजन और विकास राष्ट्रीय नीति के अनुसार हो, स्टील अथारिटी आफ इंडिया, लिमिटेड, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी० राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कंपनियों आदि जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के उपर्युक्त कम्पनियों में हिस्सों के बारे में यह उनका प्रतिनिधित्व करेंगी । वित्तीय संस्थाओं का अपने शेयरों के आधार पर इन कम्पनियों में निदेशक नियुक्त करने के अधिकार का प्रयोग 'सेल' द्वारा इन संस्थाओं के परामर्श से किया जाएगा ।

(ग) 'सेल' की अधिकृत पुंजी 2,000 करोड़ रुपए हैं । इस समय इसकी निर्गमित और अभिदत्त पूंजी 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगी । परन्तु यह सेलम स्टील लिमिटेड की निर्गमित और अभिदत्त पूंजी में वृद्धि के साथ और नए इस्पात कारखानों आदि के लिए कम्पनियां बन जाने के पश्चात् बढ़ जाएगी ।

(घ) 'सेल' का सबसे महत्वपूर्ण काम इस्पात का अधिकाधिक उत्पादन करना होगा जिससे कमी को कम किया जाए और कुछ समय के पश्चात् देश इस्पात की अपनी आवश्यकताओं को बहुत हद तक पूरा कर सके ।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has informed that Steel Authority of India has been formed. The efforts made by them in this direction are, indeed, praiseworthy. Though the Steel Authority of India would help in promoting production of steel in India, may I know whether the difficulties in the production of steel have been basically examined or not. The greatest difficulty in the production of steel is the labour relationship. May I know whether the government is thinking of basic change in the matter and if so, to what extent it has been implemented. I also want to know if the matter of participation would also be seriously considered.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि स्टील एथारिटी आफ़ इंडिया के गठन से हमारे देश में इस्पात का उत्पादन और उसके विकास के संगठन में सुधार होगा । इस संगठन के गटन के लिए यही मौलिक कारण है और सभी सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की खाने, मैग्नेशिया कोकिंग कोल आदि की खाने सभी इसके अधीन होंगी ।

यहां तक इस्पात क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति का सम्बन्ध है,. मैं समझता हूं कि इस्पात संयोगों के मामलों पर निर्णय लेने में कर्मचारियों के संबंध किये जाने में काफ़ी प्रगति हुई है । इस समय 1973–74 के आंतरिम आंकड़ों को संयुक्त इस्पात वार्ता समिति के श्रमिक प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया है । लक्ष्यों को विभागानुसार बाँट कर उनका विभागीय स्तर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। इस बातचीत की समाप्ति के पश्चात् उन आकड़ो को फिर से समेकित करके 11–12 मार्च को होने वाली अखिल भारतीय बैठक में रखा जाएगा । मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई इस प्रक्रिया से यहां तक इस्पात यंत्रों में श्रमिक संबंधों का संबंध है, सुधार होगा ।

Shri Nawal Kishore Sharma: May I know whether Steel Authority of India has been formed to enhance the production of steel in the country and would do the work of coordination and also review the present service rules? This is necessary as the complaint is ....

Mr. Speaker: There is no necessity for reasoning. Please ask your questions directly.

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether the reason stated for it is right or wrong ? The employees working in plants do not work, so there is need for revision of service rules.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सेवा के नियम अपने वर्तमान रूप में इस्पात संयंत्रों के क्षमता अनुसार निर्माण कार्य न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी नहीं है ।

श्री मूख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि यह इस्पात पर नियंत्रण रखने वाली कंपनी होगी न कि इस्पात निर्माण करने वाली । भाग (घ) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया का यह एक प्रमुख कार्य होगा कि उत्पादन बढ़ाया जाये । क्या वे बताएंगे कि वर्तमान हालात में इनसे इस्पात के उत्पादन में कैसे वृद्धि होगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : स्टील एथारिटी आफ इंडिया के निर्माण का स्पष्ट उद्देश्य इस्पात का उत्पादन है । एक ओर तो हमारा लक्ष्य हैं कि कार्य में लगे सहायक कारखानों को सौंपे गये उत्तरदायित्व में वृद्धि की जाय ताकि वे संयत्रों में यदा कदा उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिये पर्याप्त शक्तियां हो । साथ ही देश में इस्पात उद्योग के संबंध में एक ही एथारिटी के होने के कारण मैं समझता हूँ । इसे समन्वय और आयोजन का कार्य भी सौंपा जा सकता है जिससे विभिन्न कच्चे माल को उन संयंत्रों में भेज कर जहां की उनकी वास्तविक आवश्यकता है, आशापूर्ण उपयोग किया जा सके । इस प्रकार हमारा प्रयत्न दोहरा है, एक तो उत्पादन स्तर पर कार्यकर्ताओं की शक्तियों को बढ़ाना और दूसरी ओर एक एथारिटी का निर्माण कार्य जिससे समन्वय, आयोजना और विकास कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में बताया गया है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा आदि के उस कम्पनी में शेयरों के संबंध में प्रतिनिधि का कार्य करेगी ।

इन वित्तीय संस्थानों के निदेशकों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है कि वे स्टील होल्डिंग एथारिटी को उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार दें; वे स्टील एथारिटी के साथ किसी समझौते के आधार पर ऐसा कर सकते हैं परन्तु वह ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं है । इस बारे में भ्रम क्या है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि सरकार उन्हें किसी विशेष रूप से कार्य करने के विधिवत निदेशों अथवा केवल बातचीत द्वारा निदेश दे सकती है । सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया वित्तीय संस्थानों आदि के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगी । यह निर्णय स्टील एथारिटी आफ इंडिया और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सहयोग से लिया गया है इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी क्रियान्विती में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उनके द्वारा स्टील एथारिटी आफ इण्डिया के उद्देश्यों अर्थात् उत्पादन में वृद्धि और उत्पादिकता में आशावादिता लाने में वह गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में भी भारी उत्तरदायीत्व उठा रहे है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक स्पष्टिकरण मांगा है और मेरा भी ऐसा ही संदेह है । क्या मै जान सकता हूँ कि क्या यह एथारिटी विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों से सीधे इक्विटी शेयर रखेगी और इस्पात निर्माण करने वाले उपक्रमों का सरकारीकरण करेगी ।

श्री मोहन कुमारमंगलम : सरकार समझती है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित शेयरों का स्टील एथारिटी आफ इंडिया को स्थानान्तरित करने से कोई लाभ नहीं होगा । कारण यह है कि पहले तो इस उद्देश्य के लिये नया धन खोजना पड़ेगा अथवा एक वर्ग की पूंजी घटाकर दूसरे की बढ़ाने पड़ेगी । पहला परिवर्तन लाभदायक नहीं होगा और उससे एथारिटी के उद्देश्यों की प्राप्ति मे किसी प्रकार का लाभ भी नहीं होगा ।

श्री आर० एस० पांडे : स्टील एथारिटी आफ इंडिया की स्थापना का उद्देश्य ही उत्पादन में वृद्धि करना है । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने स्टील एथारिटी को पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा है तथा छह महीने अथवा एक वर्ष में परिणाम दिखाने को कहा गया है क्योंकि हमारा पिछला अनुभव है कि विभिन्न समितियों और जांचों की नियुक्ति के बावजूद कोई फल नहीं निकला है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया को सरकार को तथा देश को अपने आर्थिक कार्यकलापों के बारे में जानकारी देना है । इसीलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया प्रत्येक छह मास में उस संगठन के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार निश्चय ही चाहती है कि स्टील एथारिटी आफ इंडिया के प्रभारी अधिकारियों को इस्पात उत्पादन के बारे में, उन्हें प्रदत्त शक्ति के आधार पर इसके लिये उत्तरदायी बनाया जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर : मैं स्टील एथारिटी के सदस्यों के नामों को जानना चाहता हूँ और क्या सरकार ने जनतांत्रिक ढंग से श्रमिक प्रतिनिधियों को इसमें लेने का निर्णय किया है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस समय निदेशक-मंडल में 11 निदेशक हैं— 4 कार्य संचालक निदेशक और 7 अंशकालिक निदेशक । पूर्णकालिक 4 निदेशक हैं : श्री वदूद खाँ चेयर मेन, श्री एम० पी० बघावत (वित्त), श्री ए० सी० बनर्जी (तकनीकी) और श्री एन० सी० बी० नाथ (वाणिज्यक) सात अंशकालिक निदेशक हैं: श्री एच० बाया, चेयर मेन, हिन्दूस्तान स्टील लि०, श्री एस० मनतोष सोधी, चेयर मेन, बोकारो स्टील लि०; श्री एम० आर० यार्दी, वित्त सचिव; श्री जेम्स राज, चेयर मेन, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया; श्री पी० आर० आहूजा, जेनरल मनजर, भिलाई स्टील; श्री बिल्ली मोरिया, निदेशक, हिन्दूस्तान स्टील लि०; और श्री अरबिंद रे कस्टोडियन, इंडियन आयरन एण्ड टयूब कम्पनी ।

माननीय सदस्य के श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देन के बार में दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें स्मरण होना चाहिए कि विगत 17 मास से अथवा कुछ अधिक समय पूर्व मैंने सुझाव दिया था कि इस्पात संबंधी संयुक्त समिति को मेरी सहायता करनी चाहिये तथा हिन्दुस्तान स्टील के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निदेशक नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में मेरी बात मान लें । दुर्भाग्य से समिति अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रख सकी है जिसको सरकार स्वीकार कर ले और जिससे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में हों सके । परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा किये गये अन्य कार्य जिनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है कर्मचारियों को इस्पात उद्योग के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की दृष्टी से अधिक महत्वपूर्ण है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मजूरी-पुनरीक्षण संबंधी अनुदेश

अ० सू० प्र० 1 श्री मधू दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस आशय का एक गोपनीय परिपत्र जारी किया है कि मजूरी के पुनरीक्षण संबंधी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार न किया जाये ;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों में मंजूरी को स्थिर रखने की नीति लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो बढते हुए मूल्यों को देखते हुए श्रमजीवी लोगों पर मजूरी को स्थिर करने का क्या प्रभाव पडेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) से (ग) : वर्ष 1971 के मुद्रास्थीति के बढते हुए दबाव को रोकने सम्बन्धी प्रयत्न के एक क्षेत्र के रूप में सरकार ने यह अनुभव किया कि मजूरी पुनरीक्षण संबंधी प्रस्तावों पर, समग्र अर्थव्यवस्था के व्यापक संदर्भ में, विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 1971 के उत्तरार्ध में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में मजूरी वृद्धि को नियमित करना बहुत आवश्यक हो गया। इसलिए अक्टूबर 1971 में यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना सरकारी उद्यमों कें मजूरी का सामान्य पुनरीक्षण अथवा अनुषंगी लाभों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। देश के अनेक भागों में सुखा, बाढ आदि द्वारा उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में वर्ष 1972 में इस निर्णय पर पुन: बल दिया गया।

फिर भी इससे किसी रूप में द्विपक्षीय बातचीत अथवा इस प्रकार की बातचीत से उत्पन्न मजूरी वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार अथवा न्यायोचित स्वीकृति में बाधा नहीं पडी। वस्तुत: कई मामलों में मजूरी वृद्धि के प्रस्तावों पर सरकार सहमत होती रही है। यह उपाय देश में समग्र आर्थिक स्थिरता के व्यापक दृष्टिकोग से की जा रही मजूरी वृद्धि के उद्देश्य और समन्वित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए ही किया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे अल्प सूचना प्रश्न के तीन भाग है, प्रश्न के प्रथम भाग में मैंने मंत्री महोदय से इस बारे में विशिष्ट जानकारी मांगी है कि क्या वित्त मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के प्रबंधको को मजूरी पुनरीक्षण तथा अन्य लाभों की मांग को अस्वीकार करने के बारे मे एक गोपनीय अथवा गुप्त परिपत्र जारी किया है। मंत्री महोदय के 90 शब्दों के वक्तव्य में कहीं भी परिपत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। अत: मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय उसका पहले उत्तर दे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मंत्री महोदय गुप्त परिपत्र जारी करने की बात को अस्वीकार करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने दीजिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह रहा वह गोपनीय परिपत्र।

श्री के० आर० गणेश : मैंने वक्तव्य में बताया है कि सरकार ने अक्तूबर, 1971 में सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश दिया था कि वेतन में कोई भी परिवर्तन सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। इसे 1972 में फिर दोहराया गया। माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या ऐसा परिपत्र था। जी हां, ऐसा परिपत्र था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है।

(क) देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वेतन में परिवर्तन से मुद्रा स्फीति हो सकती है, (ख) इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी भी वेतन परिवर्तन से उस उद्योग में क्षेत्रवार प्रभाव पड़ सकता है और (ग) जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हैं वहां पर होने वाली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए वेतन में परिवर्तन करने से वित्त मंत्रालय की सहमति ली जानी

चाहिये । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इसके अनुरूप मजूरी स्थिर रखी जाएगी । आशय केवल यह है कि समझौते को अंतिम रूप देने से पूर्व इसके लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति उपर्युक्त बातों के कारण लेनी चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ? परिपत्र एक प्रति मेरे पास है इसका शीर्षक है 'वेतनमानों के सामान्य परिवर्तन के लिये तथा अन्य लाभ बढानेपर प्रतिबंध जो कुछ गुप्त परिपत्र में कहा गया है मंत्री महोदय उससे विरोधी बात कह रहे है । वित्त मंत्रालय के परिपत्र में 'प्रतिबंध' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं परिपत्र पढ़ना चाहता हूँ । परिपत्र का शीर्षक है "वेतनमानों के सामान्य पुनरीक्षण और अन्य लाभ बढ़ाने पर प्रतिबंध" परिपत्र संख्या 2(194) 71—एफ० पी० ई० (जी० एम० ।) दिनांक 21 अक्तूबर, 1971, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सरकारी उपक्रम ब्यूरो का कथन है: "मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति में सरकारी उद्यमों में मजूरी का कोई सामान्य पुनरीक्षण तथा अन्य लाभों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए और जहाँ सरकार का अधिक नियंत्रण है वहाँ केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श किए बिना अनुदेश जारी न किए जाएं ।" और अब यह कहते है कि सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है । परिपत्र के शीर्षक में स्पष्ट कहा गया है । 'वेतनमानो के सामान्य पुनरीक्षण तथा अन्य लाभ वढ़ाने पर प्रतिबंध'— क्या यह गलत छप गया है ? परिपत्र में 'प्रतिबंध' शब्द का प्रयोग किया गया । मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं है । यह कैसी दो विरोधी बातें है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को 'प्रतिबंध' शब्द पर आपत्ति है ।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य के पास परिपत्र की एक प्रति है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कोई इसे चोरी से प्राप्त नहीं किया है । श्रम परामर्शदात्री समिति को बांटे जाने वाले कागजों में परिपत्र की एक प्रति भी थी । यह संसद सदस्यों को उपलब्ध है... **(व्यवधान)**

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य परिपत्र के शीर्षक का सहारा ले रहे हैं। यदि माननीय सदस्य को उस पर आपत्ति है और इसे वह गलत समझते हैं तो सरकार का एक सदस्य होने की हैसियत से मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है । आशय तो यही है कि बातचीत को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की सहमती लेनी होगी। बातचीत पर कोई रोक नहीं है । श्रम संघ और प्रबंधक कई बातों पर समझौता कर सकते हैं। सरकार की अनुमति लेना अर्थव्यवस्था की दशा तथा उस उद्योग के क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण अनिवार्य बताया गया है । इसके साथ ही वेतन आयोग भी इस प्रश्न पर विचार कर रहा है । वेतन आयोग ने अपने पहले अंतरिम प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने वेतन आयोग से यह शिकायत की है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन मे काफी असमानता है। इन्ही सभी बातों का ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार ने कहा है कि किसी भी वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार की सहमती लेनी होगी । ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा है "हाँ एक परिपत्र जारी किया गया था"।

दूसरा मंत्री महोदय वेतन आयोग के प्रतिवेदन की बात कह रहे थे। यह सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के सम्बन्ध में है और वेतन आयोग इनकी मांगों पर विचार नहीं करेगा क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपकी बारी जब आए तब प्रश्न पूछिएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैं उन्हें आपकी मर्जी के अनुसार उत्तर देने के लिए बाह्य नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय का कहना है कि शीर्षक गलत है। पर बाकी भाग ठीक है इसी सम्बन्ध में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इसी सदन में वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि रुपये की क्रय शक्ति दिसम्बर 1967 में घट कर 46.7 पैसे और दिसम्बर 1972 में 39.2 पैसे रह गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मजूरी के स्थिरीकरण से औद्योगिक श्रमिकों का जीवन स्तर कम नहीं हो जाएगा। वर्ष 1949 को आधार वर्ष बनाकर सूचकांक 100 माना गया था और 1972 में यह सूचकांक 254 तक पहुँच गया था। क्या सरकार के वर्तमान रवैये से आम लोगों के विशेषकर औद्योगिक तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के रहन-सहन पर वास्तविक रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा ? कृपया इस सम्बन्ध में विशिष्ट उत्तर दे।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य का प्रथम प्रश्न था कि रहन-सहन के बढ़ते व्यय को देखते हुए तथा मजूरी स्थिरीकरण से क्या कर्मचारियों का जीवन स्तर कम नहीं हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई मजूरी स्थिरीकरण नहीं हैं। इस परिपत्र में केवल यह कहा गया है कि कोई भी अंतिम समझौता करने से पूर्व उच्चस्तरीय सरकारी सहमति लेनी चाहिए और सहमति क्यों आवश्यक है इसके कारण मैं बता चुका हूं।

इन विशेष निदेशों के बावजूद भी सरकार ने 16 समझौतों को स्वीकृति दी है और जिनकी राशि 85 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पिछले वर्ष का सूचकांक आपके समक्ष रखा है। क्या आपका रवैया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं डालेगा ?

श्री के० आर० गणेश : हमारा समान रवैया मजुरी के स्थिरीकरण का नही है।

श्री ए० पी० शर्मा : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि अबतक सरकार ने 16 समझौतों को स्वीकृति दी है हमें तो यह मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच होने वाले समझौतों के लिए उच्चस्तरीय सरकारी सहमति लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी समझौते आपस में वह करते हैं वह लागू कर दिए जाते है। यदि कोई मतभेद होता है तो मामला न्यायाधिकरण के पास ले जाते है या पंच फैसला किया जाता है कब से यह सहमति लेने की पद्धति चालू की गई है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 1971 में जबकि मुद्रास्फीति का दबाव था बंगला देश का प्रश्न हमारे समक्ष था तब समग्र अर्थव्यवस्था को ध्यान में लेते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की मजूरी में ऐतिहासिक दशाओं के कारण विकास हुआ है, सरकार ने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और केन्द्रीय कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के कमचारियों की आय में असमानता को देखते हुए, यह निर्णय लिया था और इसी समस्या का सरकार को आए दिन सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने यह प्रक्रिया बनाई है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही सरकार की यह इच्छा है कि प्रत्येक समझौते का पुष्टीकरण कराया जाए। सरकार स्थिति जानती है और इन सभी बातों को ध्यान में लेती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक उद्दमकर्ता उनकी ओर ध्यान नहीं देगा परन्तु सरकार तो उनके हित का ध्यान रखती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : निसंदेह सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने में असफल रही है और कल जो बजट पेश किया गया है उसमें अत्यधिक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं। इन करों के परिणामस्वरूप कीमतें निश्चय ही बहुत बढ़ जाएगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच नहीं है कि कीमतों को बढ़ने से रोकने में हुई अपनी असफलता को रोकने के लिए सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। संभव है कि यह सामान्य प्रतिबंध न हो। शीर्षक गलत हो सकता है और मैं चाहता हूँ गलत हो भी। प्रश्न यह है कि सरकार विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए निर्णयों को, जिसमें कर्मचारियों के वेतन बढाने की सिफारिश की गई है; लागू करने में क्यों देर कर रही है और क्या केन्द्रीय कर्मचारी जो वेतन आयोग के प्रतिवेदन से कुछ वेतन वृद्धि की आशा रखते है, इस बंधन के अंतर्गत लिए जाएंगे। क्या यह सच है कि इस परिपत्र की एक प्रति वेतन आयोग को भी भेजी गई थी ताकि वह अपना प्रतिवेदन इन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से इन्कार करता हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा श्रमिकों द्वारा उठाई जानेवाली कठिनाइयों के संदर्भ में सरकार ने कोई मजूरी स्थिरीकरण नहीं किया है। मैं पहले बता चुका हूँ कि 16 समझौतों का सरकार द्वारा पुष्टीकरण किया गया है वेतन आयोग सारे प्रश्न पर विचार करेगा और कल वित्त मंत्री ने वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति की बात कही थी। एक बार सिफारिश स्वीकार हो जाए तो वह स्वीकृत समझी जाती है। मैं माननीय सदस्यों के मन का संशय दूर करना चाहता हूँ कि वेतनमानों के पुनरीक्षण पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है और न ही मजूरी स्थिरीकरण किया गया है।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय हिन्दुस्तान आर्ग्रेनिक कैमिकल्स लि० के श्रमिकों तथा प्रबंधकों के एक मसौदा समझौते को जो तीन महीने पहले दिया गया था अब तक स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा है और साथ ही तैल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और 'इंडियन आयल कार्पोरेशन' का भी मामला उनके विचाराधीन पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने क्यों प्रबंधकों को वेतन पुनरीक्षण समझौतों पर बातचीत करने से मना किया है।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं बता चुका हूँ कि परिपत्र जारी करने के बाद 16 समझौतों को स्वीकृति दी जा चुकी है सात समझौते मंत्री परिषद के विचाराधीन है। पाँच मामलों में स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं बता दूंगा कि वह पाँच कौनसे समझौते है। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच हुई वह बातचीत जोकि कर्मचारियों के उच्चतम वर्ग के लिये थी क्योंकि उसका सम्बन्ध वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन-मान के पुनरीक्षण से था। यह है मद्रास फर्टीलायज़र, हिन्दुस्तान कॉपर, राष्ट्रीय कोयला विकास निग़म, लूबरीसोल खनिज एवं धातु व्यापार निग़म। इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन -मानों में पुनरीक्षण की मांग की थी और सरकार ने उसे स्वीकार करना संभव नहीं समझा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार की नीति मजूरी स्थिरीकरण नहीं थी फिर प्रबंधकों को इस गोपनीय परिपत्र के भजने की क्या आवश्यकता थी।

श्री के० आर० गणेश : यह एक बड़ा प्रश्न है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार ने ऐसा कदम 1971 की स्थिति को देखते हुए उठाया था और फिर 1972 में सूखे के परिणामों को देखते हुए इसको दोहराया गया है। यह एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसका अनुसरण सरकारी उपक्रमों को करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य श्री कुलकर्णी द्वारा बताए गए विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों को जारी किए गए इस गोपनीय परिपत्र (चाहे इसका उद्देश्य मजूरी स्थिरीकरण हो या न हो) से प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच होने वाली बातचीत में विघ्न नहीं पड़ेगा और ऐसे मामलों में जहाँ प्रबंधक वर्ग यह अनुभव करता है कि कर्मचारियों के हित के लिए तथा संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि आवश्यक है। यह जानते हुए भी वह कर्मचारियों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण नहीं करेगा क्योंकि इस परिपत्र के अनुसार सरकार उसे स्वीकृति नहीं देगी। क्या यह इन निगमों की स्वायतता तथा बोर्ड के निदेशकों के निर्णय का उल्लंघन नहीं है।

3—1LSS/73

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक कर्मचारियों के साथ की जाने वाली बातचीत का सम्बन्ध है प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने एक प्रथा बना ली है इस परिपत्रसे इन सरकारी उपक्रमों के कार्यों में बाधा नहीं पड़ती...

कुछ माननीय सदस्य : पड़ती है ।

श्री के० आर० गणेश : ...और न ही वार्ता करने, विचार विमर्श करने और कुछ ऐसी बातों के लिये सहमत होने, जो उपक्रम के हित में है, में कोई बाधा पड़ेगी । उन्हे यदि कुछ करना है तो केवल यही करना है कि इसे सरकार की जानकारी में लाया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि प्रबन्धकों को इस बात की जानकारी हो जाय कि उनके निर्णय को सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो प्रबन्धक ढीले पड़ जायेंगे । अत: प्रबन्धक मजूरी की मांगों के लिये सहमत न होने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार उनके काम में विघ्न पड़ेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The opposition leaders, during their talk with the Prime Minister raised the question whether there is going to be any wage freez to which the Prime Minister gave a negative reply. What are the implications of the circular issued? I want to tell you that the officers are getting 45 percent house rent in the Indian Oil Corporation whereas the employees working in the lower posts are not getting at that rate, which has caused resentment among them. Negotiations were going on with the Officers of the Indian Oil Corporation which came to an end due to issue of a circular that no negotiations should be held with the employees. The hon. minister says that there is no wage freez. May I know whether the ciruclar is being withdrawn and the public sector projects are allowed to have negotiations with their employees and take decisions on their demands.

श्री के० आर० गणेश : जहां तक कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में किसी भी प्रकार की वार्ता और विचार विमर्श कर सकते हैं । परिपत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में यही देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमता इतनी अधिक न बढ़े जो सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये एक गम्भीर स्थिति पैदा कर दे और इसकी कोई बड़ी प्रतिक्रिया न हो । यह परिपत्र एक नियमित उद्देश्य पूरा करता है । अत: परिपत्र को वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री दामोदर पांडे : अधिक स्पष्टीकरण से मामला अधिक पेचीदा हो जाता है । मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि राष्ट्रीय कोयला विवरण निगम, हिन्दुस्तान कौपर्स आदि आदि से होने वाले करार अभी तक विचाराधीन है और भारत सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है । मैं कहना चाहूँगा कि यह बात ठीक नहीं है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा हिन्दुस्तान कौपस से कोई करार नहीं हुआ है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कुछ ऐसी विषमताओं को दूर करना चाहता था जो भारत कोकिंग कोल के अधिकारियों को कुछ उंचे वेतनस्तर देने से पैदा हुई । यह करार श्रमिकों के साथ नहीं हुआ । वे केवल विषमतायें दूर करना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी है । जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा यह परिपत्र अब लागू है और आगे भी रहेगा । क्या इनके कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में सभी करार सरकार के परामर्श से किये जायेंगें ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ । ये केवल उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं ।

श्री दामोदर पांडे : क्या इनके कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सभी वेतन संबंधी करारों अथवा वेतनसंबंधी वार्ताओं को सरकार के परामर्श से करना है अथवा सरकार हर समय इससे सम्बद्ध रहनी चाहिये ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धों को वार्ता करने, द्विपक्षीय विचारविमर्श करने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार है। यदि सरकारी क्षेत्र से उपक्रम यह समझते हैं कि किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश की स्थिति तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुये कुछ बातों में परिवर्तन करना ज़रूरी है और वे उस निष्कर्षपर पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार यही कहती है कि करार को अंतिम रूप देने से पहले सरकार की स्वीकृति ली जाय। सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुँची है... (**व्यवधान**) ...मैं अपने माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता लेकिन सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तो इनको सरकारी क्षेत्र के स्वायक्त शासन के बारे में बात नही करनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय आधे घंटे से जो कुछ कह रहे हैं उससे यही समझ में आया है कि वे श्रमिक वर्ग के प्रति उदार हैं...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यदि ऐसा है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे इस परिपत्र को वापिस ले सकते हैं ।

श्री के आर० गणेश : जी, नहीं ।

श्री पीलू मोदी : देश की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि सरकारी क्षेत्र काम नहीं कर रहे हैं जिसका एक कारण यह है कि सरकार तथा मंत्रालय लगातार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हस्तक्षेप करते हैं। मंत्री महोदय ने परिपत्र के अभ्यास कहा है और दुविधा का समाधान यह कह कर किया है कि निर्णय उच्चतम स्तर पर मंत्रीमंडल में लिये जाते हैं और यह कि भारत सरकार का मंत्रीमंडल ही यह निर्णय करता है कि क्या मजूरी में बृद्धि की जानी चाहिये अथवा नहीं। क्या ऐसे मामलों में जहां यह सिद्ध हो चुका है कि यह निगम स्वायत्तशासी हैं, इस प्रकार की बातें देश के लोगों को ही नहीं बल्कि संसद को धोखा देना नहीं है। स्वायत्तशासन का अर्थ क्या है यदि वे अपनी मजूरी के ढ़ांचे के बारे में भी वार्ता नहीं कर सकते है और ऐसा मजूरी का ढ़ांचा नहीं बना सकते हैं जो किसी उपक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार हो ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य के विश्लेषण से सहमत नहीं हूं।

श्री सोझीयान : मंत्री महोदय ने अपना उत्तर यह कहते हुये शुरू किया कि यह मुद्रास्थिति के दबाव का सामना करने सम्बन्धी प्रयत्नों का एक भाग है और उन्होंने अपना वक्तव्य यह कहते हुये समाप्त किया कि यह उपाय देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये किया गया है। मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करूँगा कि यह मुद्रास्थिति के दबाव का सामना करने के लिये एक कदम है। लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी यदि वे ये कहें कि यह कदम उठाया गया है और समूल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एक परिपत्र जारी किया गया है तो उन्होंने इस कार्यवाही की स्पष्टरूप से व्याख्या क्यों नहीं की और प्रबन्धकों तथा श्रमिक वर्ग से अपील क्यों नहीं की ? यह कदम क्यों नहीं उठाया गया ? सरकार ने केवल प्रबन्धकों को एक गोपनीय परिपत्र क्यों जारी किया ? क्या इनके विचार में श्रमिक सच्चे देशभक्त नहीं इस प्रकार की स्थिति में वे सरकार का साथ नहीं देंगे ?

श्री के० आर० गणेश : प्रबन्धकों को इसे ध्यान में रखने के बारे में कहने सम्बन्धी एक कदम उठाने के बाद मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हुँ। अब हम श्रमिकों से अपील करेंगे। मैं इस मंच से अपील करता हूँ कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये मजूरी की वृद्धि में कुछ औचित्य अवश्य होना चाहिये।

श्री सोझीयान : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। परिपत्र दिसम्बर में जारी किया गया था। उस समय श्रमिकों से अपील क्यों नहीं की गयी थी ? उस समय केवल प्रबन्धकों को गोपनीय परिपत्र क्यों भेजा गया ? इन्होंने इन बातों का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि यह एक भूल थी, इसे ये अब करने जा रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : सारी बात का सारांश यह मालूम होता है कि सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक तथा कर्मचारी क्षुब्ध हुये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुय सरकार सम्मान के साथ परिपत्र को वापिस क्यों नहीं लेती ?

श्री राजा कुलकर्णी : परिपत्र को वापिस ले लें।

श्री एस० एम० बनर्जी : सभा के सभी वर्गों ने परिपत्र को वापिस लेने की मांग की है। यदि ऐसा है तो अब परिपत्र में क्या रखा है ? सब लोग इसे वापिस लेना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया है ? मंत्री महोदय इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते कि सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते है ? वे उनकी रक्षा क्यों करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री के० आर० गणेश : मैं उनकी रक्षा नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नये विषय की ओर आ रहा हूँ।... **(व्यवधान)** . . इसे वापिस लेने के लिये मंत्री महोदय से अनुरोध करने हेतु मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैं केवल आपको उनसे अनुरोध करने की अनुमति दे रहा हूँ। . . . **(व्यवधान)** . . . क्या मैं आप लोगों को बैठने के लिये कह सकता हूँ ?

श्री पी० के० देव : मैंने प्रस्ताव किया था......

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : सभा के सभी वर्गों ने इनसे वापिस लेने का अनुरोध किया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं का क्या बनेगा ? इस सदन के अध्यक्ष तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के भूतपूर्व सभापति के नाते आपको भी सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं की चिंता होगी। अन्यथा यह मजाक बन जाता है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि कभी मैं आप लोगों के बीच बैठता तो मैं शायद अधिक सख्ती से अपने विचार व्यक्त करता लेकिन एक अध्यक्ष के नाते नहीं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या मैं मंत्री महोदय से कह सकता हूँ कि यदि वे परिपत्र को वापिस लेने की स्थिति में नहीं है तो वे मंत्रीमंडल से बाहर हो जायें। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिये। इस पर चर्चा न करें। हर समय मुझे कठिन स्थिति में न डालें। इसे करने के बाद आप मुझे कहते हैं कि "इन्हें ऐसा करने के लिये कहिये"। मैं इन्हें ऐसा करने के लिये कहने वाला कौन होता हूँ। . . (व्यवधान) . .

मैंने आपके साथ नर्मी से व्यवहार किया है। मैंने कई प्रश्नों को अनुमति दी है। मुझ कठिनाई में न डालें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस परिपत्र को जारी करने से पहले क्या इन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का परामर्श लिया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले विषय की ओर जा रहा हूँ—सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री पी० के० देव : महोदय,—

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उचित समय पर बुलाउंगा। मैं जानता हूँ कि आपने अपने प्रस्ताव की सूचना नियम 377 के अधीन दी है। मैं आपको उचित समय पर बुलाउंगा। कृपया आप सब बैठे रहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयला खान भविष्य निधि संगठन को समाप्त करने की मांग

*142. **श्री राम नारायण शर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कोयला खान मजदूर संगठन में असंतोषपूर्ण कार्य के कारण कोयला खान भविष्य निधि संगठन को समाप्त कर देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मज़दूर संघों और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों की ओर से समय समय पर कोयला खान भविष्य निधि संगठन के असंतोष जनक कार्यकरण के बारे में शिकायतें आती रहती हैं। ऐसी विशिष्ट शिकायतें, जो सरकार के ध्यान में लाई जाती है, आवश्यक कार्यवाही हेतु कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को निर्देशित कर दी जाती हैं। कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड द्वारा एक समिति भी स्थापित की गई है ताकि वह संगठन के कार्यकरण की जांच करे और उसमें सुधार के लिए ऐसी कार्यवाही करने की सिफारिश करें जिससे कोयला खान भविष्य निधि योजना और कोयला खान परिवार पेंशन योजना का और अधिक संतोष जनक कार्यकरण सुनिश्चित हो।

सैनिकों का प्रशिक्षण

*143. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :**

श्री भालजी भाई परमार :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फ्रान्स के एक भूतपूर्व मंत्री श्री जान्द्र क्लराक्स के एक साक्षात्कार में दिय गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया कि भारतीय सेना रुसियों द्वारा प्रशिक्षित की जा रही है, जैसे कि दिनांक 7 जनवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या इस संबंध में सरकार अपना स्पष्टीकरण देगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्। रिपोर्ट की यथार्थता के बारे में सरकार आश्वस्त नहीं है। तथापि, कथित बयान का वस्तुतः कोई आधार नहीं है। भारतीय सेना केवल भारतीयों द्वारा ही प्रशिक्षित की जाती है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करना

***149. श्री ए० के० गोपालन :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मज़दूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कितने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने लागू किया है;

(ख) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा वहां मजूरी की न्यूनतम तथा अधिकतम दरें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए दिए गए निदेशों की किन राज्यों ने उपेक्षा की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध सूचना दी गई है जिनमें कृषि सम्बन्धी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मज़दूरी-दरें निर्धारित की गई हैं, मेज पर रख दिया है। उनके द्वारा अधिसूचित मजूरी-दरों के संबंध में नवीनतम सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) न्यूनतम मज़दूरी दरों के निर्धारण/प्रवर्तन के बारे में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की सलाहकार समिति में जो आलोचनाएं की गई, उनके बारे में जून, 1972 में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को अवगत करा दिया गया और उनसे कह दिया गया कि वे मामले में उपयुक्त कार्यवाही करें। कुछ राज्यों ने प्रवर्तन के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं।

विवरण

ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध सूचना, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन कृषि में नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) असम

(3) बिहार

(4) गुजरात

(5) हरियाणा

(6) केरल

(7) मध्य प्रदेश

(8) महाराष्ट्र

(9) मैसूर

(10) उड़ीसा

(11) पंजाब

(12) राजस्थान

(13) तमिल नाडु

(14) उत्तर प्रदेश

(15) पश्चिम बंगाल

(16) हिमाचल प्रदेश

(17) त्रिपुरा

केन्द्र शासित प्रदेश

(18) दिल्ली

(19) चन्दीगढ़

(20) दादरा और नागर हवेली

राऊरकेला इस्पात संयंत्र में अन्य राज्यों से इंजीनियरों की भर्ती

*150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात फैक्टरी के प्राधिकारी अन्य राज्यों से स्नातक इंजीनियरों की भर्ती कर रहे हैं जबकि उड़ीसा में हजारों स्नातक इंजीनियर बेकार हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी भर्ती का क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती इसके अपने कारखानों और केन्द्रीय एककों की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय आधार पर की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित रखने के पश्चात् आवेदनों पर अखिल भारतीय तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। यह प्रणाली सरकार द्वारा निश्चित किए गए सिद्धान्तों के अनुसार है।

उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए खान-निर्धारण के लिए अध्ययन

*151. **श्री डी०के० पंडा :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान-निर्धारण के अध्ययन करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार यह कार्य कब शुरू करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत सरकार उड़ीसा में एक दूसरा इस्पात कारखाना लगाने के लिए स्थान निर्धारण के बारे में कोई अध्ययन नहीं करवा रही है। फिर भी दीर्घावधि इस्पात विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ हरित क्षेत्रों (जिनमें उड़ीसा के क्षेत्र भी शामिल हैं) के बारे में विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने का विचार है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बतायी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूरोप और जापान की तुलना में भारतीय इस्पात अयस्क की लागत

*152. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास कच्चे माल जैसे कि लोह अयस्क, कोकिंग कोयले तथा सस्ते मानवीय साधन उपलब्ध हैं, जोकि इस्पात के उत्पादन में प्रमुख रूप से काम आते है, औद्योगीकरण की दो दशाब्दियों के बाद भी यूरोप और जापान की तुलना में हमारे देश में इस्पात अयस्क की लागत तथा मूल्य अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय 'इस्पात' से है न कि 'इस्पात अयस्क' से ।

मोटे तौर पर इस देश में इस्पात के निमाणी बाह्य मूल्य विदेशों के मूल्यों के अनुरूप ही हैं । यदि देश में उत्पादन क्षमता के 2/3 के वर्तमान स्तर से बढ़कर क्षमता के 90% के लगभग हो जाता है तो भारत में इस्पात की लागत और इसके मूल्य विश्व में निम्नतम लागत और मूल्यों की श्रेणी में होंगे ।

इस्पात की ब्राइट छड़ों का निर्माण रोक देना

*153. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात की ब्राइट छड़ों के निर्माण के लिए और आगे लाइसेंस देने तथा पंजीकरण करने का कार्य रोक दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ, एक वर्ष के लिए ।

(ख) कच्चेमाल की कमी और काफी क्षमता के लाइसेंसीकृत/पंजीयित करने के कारण है। यह किया गया है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा चुने गये न्यायाधीशों की अध्यक्षता के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करने के लिए सुझाव

*154. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियोक्तासंघ के अध्यक्ष, श्री नवल टाटा ने उच्च न्यायालयों द्वारा चुने गये न्यायाधीशों की अध्यक्षता में औद्योगिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने यह हाल ही में अखबारों में छपे इस सुझाव को नोट कर लिया है ।

Eviction of Agriculturist displaced persons from allotted evacuee lands in Ludhiana District

***155 Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether displaced persons from West Pakistan, who were rehabilitated in India and who were allotted evacuee land in lieu of cultivable land before 1950, have been evicted from and deprived of the agricultural land, after having its ownership and utilising it for 20 years, especially in Ludhiana District, and have been asked to produce certain authentic records from Pakistan authorities in support of their claims for such land; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Allotment of evacuee agricultural land in the erstwhile States of Punjab and Pepsu was made to the Displaced land owners from West Punjab and those of Punjabi extraction from Sindh, N.W.F.P., Baluchistan and Bahawalpur under the State Legislation. As regards the eviction of persons who were allotted land prior to 1950, the Punjab Government who were consulted, have intimated that at the time of partition of the country, there was mass migration of population with the result that no crop was sown during Kharif 1947. In order to meet the food shortage and to resettle the rural displaced population temporarily in rural areas it was decided in the month of September, 1947 to allot them evacuee land for Kharif and Rabi Crops irrespective of the fact whether or not they abandoned land in Pakistan. On an average 10 acres of land was allotted to each family. Such temporary allotments automatically came to an end as soon as the quasi-permanent Land Allotment Scheme was introduced. Those displaced persons who had filed *Mutalba Arazi* and whose record was received from Pakistan were allotted land in lieu of the land left in Pakistan and none of them has been evicted. However, some evictions were made in cases where the allotments were secured by the displaced persons by fraudulent means or in excess of their entitlements. Action to evict such persons was taken in accordance with the provisions of law. In those cases where no record was available with the State Government or was not received from Pakistan, the displaced persons concerned were required to produce any other documentary evidence to substantiate their claims for the allotment of rural agricultural lands.

राष्ट्रीयकृत गैर-कोककारी कोयला खानों के मालिकों से देय भुगतान

*156. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोककारी कोयला खानों के भूतपूर्व मालिकों को रायलटी और उपकर तथा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार काफी धन राशि की अदायगी करनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उनकी ओर कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कारण देय राशि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। रायल्टी और उपकर के संबंध मे अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के मालिकों द्वारा देय भविष्यनिधि का अंशदान

*157. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री घनशाह प्रधान :

क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में 464 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद श्रमिकों को देय भविष्य निधि की कितनी राशि खान मालिकों द्वारा दी जानी है; और

(ख) खान मालिकों को मुआवजा देते समय क्या सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में, 30 सितम्बर, 1972 को गैर-कोकिंग कोयला खानों के मालिकों द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपये (प्रशासन प्रभार और क्षति पूर्ति) की राशि दी जानी थी।

(ख) सरकार ने इस समय केवल गैर-कोकिंग कोयला खानों के प्रबंध को हाथ में लिया है। खान मालिकों को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उठेगा।

पश्चिम बंगाल के जूट कारखानों में जबरी छुट्टी और तालाबन्दी

*158. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जूट कारखानों में जबरी छुटटी और तालाबन्दी के कारण कितने जूट मिल श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(ख) इसके क्या कारण है और श्रमिकों की भलाई के लिए स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। इस मामले के संबंध में पूर्ण और अद्यतन सूचना श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है।

मास्को में रूस की 50 वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर रूस के प्रधान मंत्री से वार्ता

*159. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए वह रूस गये थे और उन्होंने रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत की थी; और

(ख) शिमला समझौते की क्रियान्विति और भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेश में सामान्य स्थिति के बारे में रूसी प्रधान मंत्री का क्या रूख रहा है।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत सरकार शिमला समझौते का बराबर समर्थन करती रही है जिसमें उपमहाद्वीप के देशों के अपने सभी मसलों को, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के द्विपक्षीय बातचीत एवं शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। सोवियत प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान इसी बात को दोहराया और शिमला समझौते के क्रियान्वयन में अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा का रेखांकन हुआ है और अंतराष्ट्रीय सीमा से दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं हटा ली हैं।

नौकरी के अभिलाषी पंजीकृत व्यक्ति

*160. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1970, जून 1971, जून 1972 और दिसम्बर, 1972 में रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टरों में नौकरी के अभिलाषी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, और

(ख) इन में से प्रत्येक तिथि की इन पंजीकृत व्यक्तियों में से मैट्रिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : चालू रजिस्टर पर दर्ज संख्या

वर्ष (जैसा कि 30 जून को थी)	सभी वर्गों के रोजगार चाहनेवाले	स्तम्भ–2 में सम्मिलित संख्या		
		*मैट्रिक पास की	ग्रैज्युएटों की	पोस्ट ग्रैज्युएटों की
1	2	3	4	5
1970	36,21,300	13,93,630	2,05,222	27,028
1971	44,94,576	17,19,927	3,00,369	33,052
1972	56,87,978	21,48,308	4,20,604	42,915
1972 (दिसम्बर)	68,95,089[अ]	———	अभी उपलब्ध नहीं हैं।	———

*हायर सेकण्डरी या इन्टरमीजिएट परीक्षा पास रोजगार चाहने वाले भी सम्मिलित है।
अ : अनन्तिम।

Cmpletion Of Leh-Manali Road

1401. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Leh-Manali Road has not been converted into a pucca road so far;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the time by which this work would be completed; and

(d) the time by which the civil buses would start plying on this road?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) Leh-Manali road is in a satisfactory condition.

(d) The road is fit for bus-traffic during fair weather. However, the introduction of a bus service is a matter for consideration by the State Governments concerned.

निर्माताओं के कोटे से अधिकारियों के रिश्तेदारों को स्कूटरों का आवंटन

1402. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि 1972 के दौरान उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने अपने निकट संबंधियों तथा परिवार के सदस्यों के लिए निर्माताओं के कोटे से स्कूटर प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके पदनाम क्या है ;

(ग) क्या इन मामलों को उनके ध्यान में लाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि० भोपाल को हुआ घाटा

1403. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में उत्पादन शुरू करने के बाद से सरकारी उपक्रम हैवी इलैक्ट्रीकल्स फैक्टरी भोपाल को कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या आवश्यक उपाय किये गये हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 58.98 करोड़ रुपये 31-3-1972 तक।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कम्पनी के कार्य संचालन सरकार तथा प्रबन्धकों द्वारा बराबर दृष्टि रखी जा रही है। कम्पनी का संगठन सुप्रवाही बना दिया गया है ; उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रोत्साहन योजनायें शुरू की गई है ; पनपने की अवस्था में हुई नकद हानि के ब्याज के बोझ को आंशिक रूप में कम करने हेतु ऋण की किश्त अदायगी तथा 31-3-1972 तक हुई कुल हानि पर ब्याज की भुगतान के लिये 3 वर्ष की मोहलत प्रदान की गई है। एकक के कार्यों में हाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा यह प्रवृत्ति चलते रहने की आशा है।

केरल का भू-वैज्ञानिक नक्शा

1404. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान**] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के केरल सर्किल ने केरल का भू-वैज्ञानिक तथा खनिज सम्बन्धी नक्शा तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सामान्य बातें क्या हैं और नक्शे के अनुसार उपलब्ध संसाधनों को निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) केरल राज्य को स्थूल रूप से तीन दैशान्तरित पट्टियों, अर्थात् तटीय मैदान, केन्द्रीय उच्चभूमि और उच्च क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। तटीय मैदान समुद्र तट, बालू और बालू के टीलों की अभिनव और उप-अभिनव भूवैज्ञानिक संरचनाओं, नदीय जलोढ़क और पश्यजल तलछट से बना है। केन्द्रीय उच्चभूमि भागतः तृतीय काल के तलछटीय शैलों और भागतः आरचियन और लोअर पर्व–कैम्ब्रिअन् काल के खेदार शैलो से, जो अनेक स्थानों पर लेटराइट नामक लोहमय शैल से ढके हैं, बनी है। उच्च क्षेत्र पूर्णतः खेदार शैलों से बने हैं। समुद्र तट बालू और बालू–टिले इलमेनाइट-रुटाइल-मोनाजाइट-जिरकोन बालू के छावरा के समीप और कांच और ढलाई बालू के शेरतल्लाई के समीप भंडार है। पश्यजल में, वेमवानाद झील में के चूना शैल के निक्षेप अंतर्विष्ट है। तृतीय कालिक तलछट संरचनाओं में क्वीलोन के समीप के वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण चीनी मिट्टी के निक्षेप और बरकाल के समीप के लिग्नाइट और पीट के लघु प्राप्तिस्थल अंतर्विष्ट हैं। बाक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप लेटराइट आवरकों के संसर्ग में कुम्बाला के समीप पाए जाते है। खेदार शैलों से कालीकट के समीप लौह अयस्क, पालाघाट जिले के चुनाश्म, अरनाकुलम जिले के ग्रेफाइट **निक्षेप**, तिरुवनतपुर जिले के अभ्रक और क्रिसोबेरिल और वाईनाद में के स्वर्ण के प्राप्तिस्थल संबंधित हैं।

इस समय, चीनी मिट्टी, चूनाशैल, गोला मिट्टी, अग्नि-सह्-मृतिका, सिलिका बालू, इलमेनाइट रुटाइल, मोनाजाइट और सिली मेनाइट प्राईवेट और पब्लिक सैक्टरों द्वारा खनित किए जा रहे हैं।

Development of Coal Mining in Pathakhera-Shahpur Region

1405. **Shri Hukam Chand Kachwai** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the year-wise future mining programme of Pathakhera-Shahpur region and the anticipated production in this region; and

(b) whether the demand of Satpura power station would be met by the future coal development programme of this region particularly when the station would be expanded upto 1500 megawatt?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The development of Pathakhera mine is being taken up in three different stages. One mine with a target capacity of 0.45 million tonnes is already being worked. The second mine viz. Pathakhera expansion, is also being developed with a similar target capacity of 0.45 million tonnes. The third mine, viz. Pathakhera-II with a target capacity of 0.30 million tonnes is also expected to be taken up in the near future.

The National Coal Development Corporation which is developing these mines, has envisaged a production programme during the current and next few years as follows :

1972-73	0.55 m.t.
1973-74	0.70 m.t.
1974-75	0.80 m.t.
1975-76	0.90 m.t.
1976-77	1.10 m.t.
1977-78	1.15 m.t.
1978-79	1.20 m.t.

(b) It is expected that the demand of coal for the existing sets at Satpura with a capacity of 312.5 MW will be fully met from the Pathakhera mines by 1975-76.

On the basis of the presently proved coal reserves in this area adequate coal cannot be mined to sustain a Super Thermal Station of 1000 or 1500 M.W. capacity. Geological investigations in the region have been intensified with a view to determining the existance of additional coal reserves, if any. Till these investigations prove successful, it is not possible to state whether enough coal can be made available from this region for setting up a Super Thermal Station.

Development of Singarauli Region of M.P.

1406. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the main feature s of the programme for the development of Singarauli region of Madhya Pradesh ; and

(b) the quantum of coal to be supplied by the Madhya Pradesh Electricity Board for the proposed Super Thermal Power Station under Singarauli production programme?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The proposed programme of coal production from the Singarauli coalfield envisages production of 7.30 million tonnes of coal in 1978-79 from the two existing mines and four new mines which have been projected.

(b) The programme for Super Thermal Power Stations is still under consideration.

नानकोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल की प्रतिक्रिया

1407. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के अन्तर्गत नानकोकिंग कोयला खानों को नियंत्रण में लिए जाने को अनुचित बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रीया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रैस रिपोर्टों के अनुसार परिसंघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्राइवेट कोयला खानें देश की अपेक्षाओं की पूर्णत: पूर्ति कर रही थी और कहीं भी कोयले की कमी नहीं थी, कुछ स्थानों में कोयले की आकस्मिक कमियां केवल परिवहन गत्य विरोध के कारण थी ; कीमत प्रतिबंधों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर कोयला उद्योग में परिश्रमपूर्वक आगे बढ़ने और पूंजी लगाने का प्रयास कर रहा था और सरकार की कार्रवाई से समस्त उद्योग में अनिश्चितता होगी।

सरकार इससे सहमत नहीं है कि उनकी कार्रवाई अनुचित थी। विगत दस वर्षों के दौरान कोयला उद्योग में प्राइवेट सेक्टर ने उद्योग में बहुत कम पूंजी विनिहित की थी और कोयला उद्योग के लिए पंचम योजना लक्ष्य अभिप्राप्त करने क लिए पूंजी की अपेक्षित बृहद राशि को कदापि उपबंध नहीं कर सकता था। इस के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर उद्योग में कर्मकारों के प्रति अपने दायित्व को पर्ण करने में , उनको मजदूरी बोर्ड पंचाट के अनुसार मजदूरी, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और वेतन-वृद्धि और भविष्य निधि बकाया और उपदान का संदाय न करने के कारण समग्रत: असफल रहा था। उसने स्वामित्व विक्रय कर और अन्य सरकारी शोध्यों की अत्यधित बकाया राशि संचित कर ली थी। अत: राष्ट्रीयकरण होने तक, अकोककारी कोयला खानों का प्रबंध ग्रहण करना, देश के और खानों के कर्मकारों के हित में था और उससे औद्योगिक सेक्टर में कोई अनिश्चितता नहीं हुई।

अमरीकी टेलीविजन पर दिखाये गये भारतीय पत्रकारों का अतापता

1408. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अप्रैल में पकड़े गये दो भारतीय पत्रकारों अर्थात् सुरजित घोषाल और दीपक बनर्जी, के नाम भारत सरकार द्वारा प्राप्त नवीनतम सूची में नहीं है ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1971 में युद्ध शुरु होने से पूर्व इन दोनों पत्रकारों के फोटोग्राफ अमरीकी टेलीविजन पर दिखाये गये थे ; और

(ग) उनके बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन दो पत्रकारों को अमरीकी टेलीविजन पर दिखाए जाने के बारे में तो सरकार को कोई जानकारी नहीं है लेकिन उसे यह अवश्य मालूम है कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें कुछ स्थलों पर ये पत्रकार भी दिखाई दिए थे।

(ग) सदन को सूचित किया जा चुका है कि बंगलादेश में इन दोनों पत्रकारों का पत्ता नहीं चल सका है। स्विस सूत्रों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार ने 8 जनवरी, 1973 को हमारे 1 जनवरी, 1973 के पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि ये दो पत्रकार कभी भी पाकिस्तान सरकार की हिरासत में नहीं थे और अगर उन्हें "स्थानीय प्रांतीय प्राधिकारियों" (पहले का पूर्वी पाकिस्तान) ने रोका रखा है तो पाकिस्तान सरकार उनके बारे मे कोई सूचना दने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में, सरकार को इस बात का बहुत खेद है कि वह इस में कोई और सूचना देने में असमर्थ है।

Crash of an I.A.F Helicopter near Jammu

1409. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether an IAF helicopter was destroyed in a crash near Jammu in February this year;

(b) the loss of life and property in this accident; and

(c) the causes leading to this accident?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : On 7th February 1973, an IAF helicopter was destroyed in a crash near Jammu. Flt. Lt. M. P. Lagu, Fg. Offr. A.N.S. Ranawat and Fg. Offr. C. J. Narade on board the helicopter were killed. Some telephone wires of the P & T Department were also damaged as a result of the accident.

(c) The Report of the Court of Inquiry ordered to investigate into the cause(s) of the accident has not yet been finalised.

Allotment of Land to landless soldiers in U.P.

1410. **Shri Krishna Chandra Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Government have made arrangements for the allotment of land to landless soldiers and for their rehabilitation; and

(b) if so, the acreage of land given to the soldiers separately in each Janpad and the arrangements made for their rehabilitation?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected by the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the House.

Survey for Coal Deposits in Madhya Pradesh

1411. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there are large deposits of coal in the mines of Madhya Pradesh;

(b) whether these are awarded arbitrarily to the contractors and other unauthorised small contractors as a result of which Government suffer heavy losses;

(c) whether Government have paid attention to this aspect and conducted any survey in this regard; and

(d) if not, whether Government would take steps to locate coal deposits in the State by conducting a survey?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Yes, Sir,

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Investigations by systematic geological mapping and regional drilling for locating coal deposits in Madhya Pradesh are being carried out by the Geological Survey of India since 1957. The Geological Survey of India carried out investigations by drilling in the lease free areas of Pench and Tawa Valley, Pathakhera, Bisrampur, Sonhat, Lakhanpur, Jhilimili Shohagpur, Mohpani and parts of Singrauli coalfields. Drilling operations in Jhilimili and Mohpani have been completed and are being continued in rest of the coalfields. In Korba and Kamptee coalfields, detailed drilling has been carried out by Indian Bureau of Mines and National Coal Development Corporation. A total reserve of about 11,390 million tonnes of coal has been estimated so far by geological mapping and drilling in Madhya Pradesh. Further work is in progress.

National Fuel Policy

1412. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under the consideration of Government to lay down a National Fuel Policy; and

(b) if so, the time by which Government are likely to formulate such policy and the basis on which it would be formulated?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) : The Government have appointed a Fuel Policy Committee to suggest the outlines of the fuel policy to be followed during the next 15 years. This Committee has submitted an interim report covering the fuel policy for the Seventies. The final report of the Committee is expected to be ready by March, 1973.

Closure of Britannia Engineering Co. Patna

1413. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether the Britannia Engineering Company (Wagon Division) has been functioning at Mokamesh in Patna District in Bihar for several years;

(b) Whether the Company has given notice of closure to the Government of Bihar if so, the reasons therefor;

(c) whether the Britannia Engineering Labour Union has submitted any memorandum to the Prime Minister to protest against the closure of the Company; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Sidiheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The Company has stated that the working results of the unit at Mokameh had been un-favourable since 1966-67, substantial installed capacity had remained idle contributing to recurring heavy losses and there is complete lack of financial resources to continue to run the wagon unit.

(c) Yes, Sir.

(d) The question of setting up of an Investigation Committee under Section 15 of the IDR Act to look into the affairs of the Britannia Engineering Company (Wagon Division) at Mokameh is under consideration of the Government.

कोयले की कमी के कारण गुजरात में कारखानों का बन्द होना

1414. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयल की कमी क कारण गुजरात में कई कारखानें बन्द कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में उद्योगों को बन्द होने से बचा ने के लिए गुजरात को पर्याप्त कोयला सप्लाई करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : कुछ कारखाने बंद हो गए हैं। दिसम्बर, 1972 'जनवरी, 1973 में .मुल्की' नियम आंदोलन के कारण वैगनों के अवरोध से समस्त देश में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला और कोक का संचालन प्रभावित हुआ। जनवरी 1973 में उत्तर प्रदेश में अभियंताओं की हड़ताल ने भी मुगलसराय से आगे रेलवे की संक्रियाओं को प्रभावित किया। तथापि, उत्तर प्रदेश के अभियंताओं की हड़ताल समाप्त हो गई है और कोक/कोयले के लदान के लिए आबंटन में वृद्धि हुई। दिसम्बर, 1972 मे गुजरात को कोक के लदान के लिए 551 वैगन आबंटित किए गए थे जबकि जनवरी, 1973 में 792 वैगन आबंटित किए गए।

भारतीय आयुक्त के विरुद्ध दोषारोपण करने वाले पंर्चों का हांगकांग में परिचालन

1416. **श्री नारायण चंद्र पाराशर :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'दि इण्डियन' हांगकांग के सम्पादक द्वारा परिचालित छपे हुए पर्चों की और ध्यान दिया है जिसने हांगकांग में भारत के वर्तमान आयुक्त के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें लगाये गये आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। सरकार को इस इश्तहार की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं।

(ख) और (ग) : सरकार ने इन आरोपों की जांच की है और यह पाया है कि इन आरोपों को बढ़ा–चढ़ा कर बताया गया है अथवा वे किसी भ्रांति पर आधारित है। लेकिन इस मामले में, अन्य हरेक मामले की तरह, जब कभी सरकार को अपने मिशनों को समुन्नत करने की गूंजाइश होती है, वह समुचित उपाय बरतती हैं ।

त्रिपुरा में बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

1417. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के बीडी मजदूरों को 3 रुपये प्रतिदिन दर से न्यूनतम मजूरी नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : इस मामले में त्रिपुरा सरकार से एक रिपोर्ट मंगाई गई है।

गोहाटी के निकट सैनिक छावनी के लिए अर्जित की गई भूमि

1418. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री गोहाटी के निकट सैनिक छावनी के लिये भूमि के अर्जन के बारे 21 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालिकों से कुल कितने एकड़ भूमि ली गई थी और उनको कुल कितना मुआवजा किया गया था ; और

(ख) क्या भूमि का अर्जन अनिवार्य रूप से किया गया था अथवा उनकी अनुमति से किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गोहाटी के निकट अर्जित की गई भूमि (लोक सभा में 21 दिसम्बर 1972 के अता-रांकित प्रश्न संख्या 5313 के उत्तर में अमेचांग में अर्जित की गई भूमि जिसका केवल एकभाग थी) का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 88,51,422.53 रुपए की लागत से 2215.193 एकड़ निजी भूमि अर्जित की गई थी, जिसमें अदालत द्वारा दिया गया अतिरिक्त मुआवजा शामिल नहीं है।

(2) 22,59,479.69 रुपए की लागत से राज्य सरकार की 855.69 एकड़ भूमि को हस्तान्तरित किया गया है।

(ख) निजी भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहीत किया गया था।

साल्ट लेक, कलकत्ता क्षेत्र में सेना द्वारा किया गया कार्य

1419. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री रेणुपद दास :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साल्ट लेक क्षेत्र, कलकत्ता में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 74 वें अधिवेशन के संबंध में सड़कों तथा पुलों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना कर्मचारियों को काम में लाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो एक राजनीतिक दल के सम्मेलन के लिए किन नियमों अथवा विनियमों के अधीन सेना कर्मचारियों को काम में लाया गया था ; और

(ग) इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 7 दिसम्बर 72 से 12 जनवरी 1973 तक साल्ट लेक प्राधिकारियों के अनुरोध पर कलकत्ता में साल्ट लेक नगर के सामने क्रिस्तोपुर नहर पर 4 पुलों का निर्माण करने में सहायता की गई थी।

(ख) जहां भी सम्भव या आवश्यक हो सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने की नीति के अनुसरण में, सहायता प्रदान की गई थी।

(ग) इस खाते में हुए कुल व्यय को संकलित किया जा रहा है, उसे साल्ट लेक प्राधिकारियों से वसूल किया जायगा।

"गिरनार स्कूटर" का निर्माण

1420. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरनार स्कूटर का निर्माण आरम्भ हो चुका है और यदि हां, तो परियोजना और स्कूटर के विदेशी कलपूर्जो की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) 'वेस्पा' और 'लम्ब्रेटा' की तुलना, में इसका मूल्य और संचालन कैसा है ; और

(ग) वार्षिक उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और पूरी क्षमता के अनुसार कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, परियोजना की मुख्य बाते यह है कि यह बिना किसी विदेशी सहयोगके विकसित किया गया है और यह सहायक क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रहा है। स्कूटर में आयातित अंश इसके कारखाने से निकलते समय के मूल्य का 2.1 प्रतिशत है।

(ख) गिरनार स्कूटर का कारखाने से निकलते समय का खुदरा मूल्य 2720.27 रु० है जबकि बजाज (वेस्पा) और लम्ब्रेटा स्कूटरों का कारखाने से निकलते समय का खुदरा मूल्य क्रमशः

2327 रु० और 2449 रु० है। वेस्पा (बजाज) और लम्ब्रेटा के साथ इस स्कूटर के कार्य की तुलना इस प्रकार की जा सकती है :—

विशिष्टियां	वेस्पा (बजाज)	लम्ब्रेटा	गिरनार
1. अधिकतम शक्ति	5280 आर० पी० एम० पर 5.5 बी० एच०पी०	5300 आर० पी०एम० पर 6.5 बी० एच०पी०	6500 आर० पी० एम० 6·5 बी० एच० पी०
2. इंजन की क्षमता (डिसप्लेसमेंट)	145.45 सी सी	148 सी सी	145.4 सी सी
3. ह्वील बेस	1180 एम एम	1290 एम एम	1210 एम एम
4. गियर बाक्स	3 गति	4 गति	4 गति
5. टायर साइज	3.5×8	3.5×10	3.5×10

(ग) 6000 स्कूटर प्रतिवर्ष का प्रारंभिक उत्पादन लक्ष्य 1974 के अंत तक पूरा हो जायेगा। उत्पादन धीरे धीरे बढ़कर प्रारंभिक लक्ष्य पूरा होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि में 24000 स्कूटर प्रतिवर्ष की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक पहुंच जाएगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और विदेशों/विदेशी फर्मों के बीच औजार बनाने के सम्बन्ध मे करार

1421. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों या विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने सलाइड हैड स्टाक आटोमेटिक लेथस, हैवी डुयटी इंजन लेथस, रैम टरेटा/यूनिट असम्लल्ड बैड टाईप मिलिंग मशीन, बनाने के लिय तकनीकी सहयोग सम्बन्धी तीन करार किये थे; और

(ख) क्या इन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हो गया है, और यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण है

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कम्पनी ने निम्नलिखित फर्मों के साथ उनके सामने दिखाई गई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये तकनीकी सहयोग करार किया है :—

(i)	मे० फ्रिज वर्नर, वर्क जिगमस चिने न जीएम जीस्व, बर्लिन मैरिनफील्ड, पश्चिम जर्मनी	बेड टाइप मिलिंग मशीन
(ii)	मे० एस० ए० जोस० पीटरमन 2740, मोटीसर स्विटजरलैण्ड	स्लाईडिंग हेड स्टाक आटोमेटिक्स
(iii)	मे० अमेरिकन टूल वर्क्स कम्पनी सिनसिनेटी, यु० एस० ए०	हेवीड्युटी इंजीन लेथे

(ख) बैड टाइप मिलिंग मशीनों का उत्पादन शुरु हो चुका है। स्लाइडिंग हेड स्टाक आटो-मेटिक्स का उत्पादन 1973–74 में शुरु किया जायेगा। जहाँ तक हेवी ड्यूटी इंजिन लेथों का प्रश्न है; तैयार किए गये आद्यरुपों का परीक्षण किया जा रहा है और इसने पूरा हो जाने पर नियमित उत्पादन शुरु किया जा सकेगा।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ विदेशी सहयोग

1423. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेशों के साथ सहयोग संबंधी करार किये हैं या उनका नवीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन–किन विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी सहयोग मांगा गया है ;

(ग) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे सहयोग मांगा गया है और इस प्रकार के सहयोग संवंधी करारों की शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या देशी तकनीकी जानकारी के इतने वर्ष के विकास के बाद भी इस प्रकार का सहयोग लेना न्यायोचित है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से सूट ब्लोअर्स और रिजनकेटिव-एयर प्री-हीटरों के निर्माण के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु क्रमशः मेसर्स कोपेस–वल्कन इन्कारपोरेशन, लेके सिटी, अमेरिका और मेसर्स एयर प्री-हीटर्स कं० इन्क०, वेलीसविले, न्ययाक, अमेरिका के साथ सहयोग करने की स्वीकृति के लिए हाल ही में प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। प्रस्ताविक सहयोग की शर्तों प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) सूट ब्लोअस और प्री-हीटर दोनों सहायक समान हैं जिनकी व्यवस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजलीघर के बायलरों के लिए करनी पड़ती है। इस सहायक सामान का निर्माण करने की तकनीकी जानकारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी अब तक इन वस्तुओं का आयात करना पड़ा था, यदि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एक बार विश्व की प्रसिद्ध विदेशी पार्टियों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है तो वह इस सहायक सामान का निर्माण करने में समर्थ हो जायेगा। इसलिए विदेशी सहयोग करना न्यायोचित होगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को मशीनी औजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता

1424. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कुल कितने मशीनी औजारों की आवश्यकता है ;

(ख) अब तक कुल कितनी क्षमता का विकास हुआ है ; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कितनी क्षमता का विकास किया है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में 1973–74 तक कुल करीब 85 करोड़ रुपये के मशीनी औजारों की प्रतिवर्ष आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ख) अब तक अधिष्ठापित कूल क्षमता करीब 80 करोड़ रुपये है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन की दोहरी पाली के आधार पर विकसित की गई मशीनी औजारों बनाने की क्षमता 21.20 करोड़ रुपये है।

कारों की कीमतें निर्धारित करने के सम्बन्ध में किस्म नियंत्रण परीक्षण

1425. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेसडर तथा फियाट कारों की कींमतों का पुनर्विलोकन करते समय किस्म नियंत्रण परीक्षण भी किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

Registration of a Case Against an Employee of Defence for Possessing Money Disproportionate to his Income

1426. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation have regsistered a case against a civilian Officer of Defence Ministry for possessing money disproportionate to this sources of income;

(b) if so, the particulars of his present movable and immovable property found at the time of search; and

(c) the further action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Fixed deposits and National Savings Certificates valued at Rs. 1,04,551.22

(ii) Bank balance of Rs. 12,355.43.

(iii) Gold & Jewellery weighing 931 gms.

(iv) Two LIC Policies, each having a face value of Rs. 10,000/-.

(v) A plot of land each at Ghaziabad and Calcutta valued at Rs. 12,000/- and 17,708/- respectively.

(vi) Movable properties like 3 watches, a refrigerator, a record player; two radios, clothes, furniture etc.

(c) Investigation is continuing.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों द्वारा अर्जित लाभ

1427. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिदूस्तान मशीन टूल्स का लाभ वर्ष 1971-72 में तीन गुना हो गया है और उसके उत्पादन में 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह लाभ बंगलौर स्थित एककों का है या इस में अन्य एकक भी शामिल हैं, और

(ग) धन के रूप में कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1971–72 में कम्पनी ने सम्पूर्ण रूप से 112 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनें पोलेंड को निर्यात करने के लिये करार

1428. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की 200 मशीनें निर्यात करने के लिये भारत और पोलैण्ड के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो पोलैण्ड द्वारा आयात की जाने वाली मशीनों की मुख्य बातें क्या हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) हिन्दूस्तान मशीन टूल्स ने लगभग 180 लाख रुपये के मूल्य के सहायक सामान सहित मशीनी औजारों का निर्यात करने के लिये मैसर्स मेटलएक्सपोर्ट, वारसज़ावा, पोलैण्ड के साथ एक बिक्री करार किया है। संविदा का स्वरुप वाणिज्यिक है, इसलिए इस करार की मुख्य बातों बताना उचित नहीं होगा।

मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अजमेर द्वारा किया गया करार

1429. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर द्वारा युनिवर्सल टूल एण्ड कटर ग्राइंडर, वर्टिकल सर्कस ग्राइंडर और केंक–शफट ग्राइंडर इण्टर्नल ग्राइंडर और सैंटरलेस ग्राइंडर बनाने के लिये किये गये तीन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) करार की शर्तें प्रकट करना वांछनीय नहीं है क्योंकि वे वाणिज्यिक किस्म की है।

(ख) इन वस्तुओं का उत्पादन पहले से ही शुरु किया जा चुका है।

बंगलोर में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना स्थापित करना

1430. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 44 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर बनान के लिये बंगलौर में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किर दिया है;

(ख) क्या यह कारखाना आस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) संयत्र की वार्षिक क्षमता प्रथम चरण में 5,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष तथा अंततोगत्वा 12,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने की होगी। परियोजना के प्रथम चरण में अनुमानतः लगभग 443 लाख रुपये लागत आयेगी ।

Production in Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar

1431. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state the action being taken by Government to bring about improvement in the management and to increase production in the Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : Government appointed a High Powered Action Committee to go into the problems faced by HEIL and BHEL including the Hardwar Unit and suggest ways and means to bring about improvement in the overall performance of these two undertakings and ensure that they attain the rated capacity in the shortest possible period. Most of the recommendations of the Committee have been implemented. These rcommendations included strengthening of the senior management and the planning functions at the plants.

A programme has also been drawn up for attaining optimum capacity at the Hardwar Plant for which a detailed network has been prepared indicating a time-bound programme to reach the optimum levels of out-put by organising the necessary inputs to achieve these objectives.

मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स, कटक को जस्ते की सप्लाई

1432. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स, कटक को उसे साधारणतया मिलने वाला जस्त का कोटा दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मे० कलिंग ट्यूब को 1971-72 और 1972-73 (फरवरी, 1973 तक) आवंटित की गई जस्ता की मात्रा निम्न प्रकार है :—

1971–72 . .	579 मी० टन
1972–73 .	444 मी० टन

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा समुद्री टरबाईन का निर्माण

1433 **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैवी इलक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, ने भारतीय नौ-सेना की लीडर श्रेणी के युद्धपोत चलाने के लिए समुद्री टरबाईन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया है?

भारी उद्योग मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, हां। हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा समुद्री टर्बाइन का निर्माण किया है तथा उनका भारतीय नौसेना को सम्भरण किया गया है।

हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल द्वारा अपने उत्पादों का निर्यात

1434. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलक्ट्रीकल लिमिटेड, भोपाल ने अपनी उत्पादित वस्तुओं को विदेशों को निर्यात करने का काम आरम्भ किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विदेशी मुद्रा के उपार्जन की क्या स्थिति है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ट्रान्सफार्मरों स्विचगियरों, केपेसिटरों और मोटर रियेक्टरों के निर्यात के कुछ आर्डर पूरे किये जा रहे हैं। इस समय लगभग 1.46 करोड़ रुपये के कुल निर्यात के आर्डर हाथ में हैं। लगभग 44 लाख रुपये की संविदाए पूरी की जा चुकी है तथा अगले 18 महीनों में शेष आर्डरों के पूरे हो जाने की संभावना है।

भूमि से हवा में मार करने वाले आधुनिकतम प्रक्षेपणाशस्त्रों का निर्माण

1435. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमि से हवा में मार करने वाले आधुनिकतम प्रक्षेपणाशस्त्रों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतयें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ब्यौरे को बताना लोकहित में नहीं होगा।

कोयला खान पेंशन योजना में संशोधन का प्रस्ताव

1436. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान पेंशन योजना, 1971 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताविक संशोधनों का स्वरूप क्या है; और

(ग) उनको कब तक लागू कर दिया जायगा

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 में कुछ कार्यपद्धति संबंधी परिवर्तन करने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

कोयला खान मजदूरों के लिए औषधालय तथा प्राथमिक उपचार केन्द्र

1437. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक कोयला खान में कितने मजदूर होने पर निर्माताओं को औषधालय अथवा प्राथमिक उपचार पोस्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है ;

(ख) प्रबंधक ठेकेदारों (मैनजिंग कन्ट्रेक्टरों) द्वारा बिहार में चलाई जाने वाली कोंडला तथा झारखण्ड खानों के मजदूरों के लिए कितने औषधालयों अथवा प्राथमिक उपचार पोस्टों की व्यवस्था और निर्धारित मापदण्ड की तुलना में वे कितने हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) प्रत्येक चालू खान के लिए आवश्यक है कि वह नियोजित व्यक्तियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था करे। यदि नियोजित व्यक्तियों की संख्या 150 से अधिक हो तो एक प्राथमिक चिकित्सा-कमरे की व्यवस्था करना आवश्यक है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

कोयला तथा गैर-कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समितियां

1438. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तथा गैर कोयला खानों संबंधी औद्योगिक समितियों की दो वर्षों से अधिक समय से कोई बैठक नहीं हुई है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष दो अथवा तीन बार समितियों की बैठक बुलाने में क्या कठिनाइयां हैं और क्या इनको दूर नहीं किया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कार्यालय की व्यवस्था में सुधार करने का है जिसमें इसकी समितियों की प्राय: बैठकें बुलाने के लिए अधिक दक्ष बनाया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघूनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) यद्यपि कोयला खनन और कोयला से भिन्न खानों से संबंधित औद्योगिक समितियों की बैठके गत दो वर्ष से अधिक समय से नहीं बलाई गई, तथापि कोयला खनन उद्योग से संबंधित मुख्य विषयों के बारे में विचार विमर्श करने के लिये सितम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में तदर्थ बैठक बुलाई गई थीं।

विभिन्न उद्योगों से संबंधित पन्द्रह औद्योगिक समितियां हैं। जब कभी आवश्यक होता है, इन समितियों की बैठके बुलाई जाती हैं।

Rehabilitation of Displaced persons who arrived from Pakistan and Payment of Compensation to them

1439. Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced persons rehabilitated and paid compensation so far who came from Pakistan and other countries upto January, 1973; and

(b) the time by which the process is likely to be completed?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) A statement is attached. [Placed in Library See No. L. T. 4342/73.]

(b) Besides about 28000 families of migrants from former East Pakistan awaiting rehabilitation there is a continuing influx of repatriates from Burma and of repatriates from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of 1964. There are also about 15000 Tibetan refugees. It is not possible to indicate the time by which the rehabilitation programme is likely to be completed. It depends, among other factors, on availability of land for agriculture and plantations. Various Schemes for settlement on land already released by State Governments are in progress or are under consideration. Efforts are, continuing to find more land.

इंग्लैंड के चीफ आफ जनरल स्टाफ का भारत का दौरा

1440. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैण्ड के चीफ आफ जनरल स्टाफ ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह दौरा सरकारी था अथवा गैर–सरकारी और इस दौरे का मुख्य उद्देश क्या था ; और

(ग) क्या भारत के फील्ड मार्शल भी पारस्परिक आधार पर ऐसे दौरे पर जायेंगे और यदि हां, तो यह दौरा किस प्रकार का होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह एक राजकीय सद्भाव यात्रा थी।

(ग) भारत की ओर से ऐसे किसी वापसी यात्रा के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के कालेजों और स्कूलों में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना

1441. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश कालेजों और स्कूलों में समुद्री छात्रसेना दल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) समुद्री छात्र सेना दल एक निजी सोसायटी है जिसका मुख्यालय बम्बई में है और इसके कार्यकलाप सरकार के क्षेत्र में नहीं आते। अत: सरकार उत्तर प्रदेश के कालेजों और स्कूलों में समुद्री छात्र सेवा दल को स्थापित किये जाने के किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण श्रम-दिवसों की हानि

1442. श्री डी० डी० देसाई : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में उद्योग-वार औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण कितने श्रम-दिवसों की हानि हुई; और

(ख) इस हानि में इतना अधिक अन्तर क्यों है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण, जो 1970 वर्ष के दौरान ऐसी औद्योगिक घटनाओं के फलस्वरूप गैर-घातक चोटों के कारण खोये गये श्रम-दिनों की उद्योग-वार संख्या दर्शाता है, जिनमें प्रभावित श्रमिक उसी वर्ष के दौरान काम पर वापस आ गये लोक सभा की मेज पर रखा जाता है। 1971 और 1972 वर्षों के लिए इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1970 के दौरान कारखानों में गैर-घातक दुर्घटनाओं (जिन में श्रमिक काम पर वापस आ गये) के फलस्वरूप औद्योगिक चोटों के कारण खोये गये श्रम-दिनों की संख्या।

(उद्योग द्वारा)

कोड संख्या और उद्योग	खोये गये श्रम-दिन
1	2
01. कृषि से सम्बंधित प्रक्रियाएं ओटनियां और दाबक	1,877
20. खाद्य (पेयों को छोड़कर)	71,936
21. पेय	4,361
22. तम्बाकू . .	13,254
23. कपड़ा उद्योग	1,401,092
24. जूते, अन्य पहनने के वस्त्र और कपड़े के तैयार माल	2,910
25. लकड़ी और कार्क (फर्नीचर को छोड़कर) .	19,419
26. फर्नीचर और स्थावर वस्तुएं . .	3,708
27. कागज और कागज से निर्मित वस्तुएं . .	48,746
28. मुद्रण, प्रकाशित करना और संबद्ध उद्योग .	12,425
29. चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं (जूतो को छोड़कर) . .	8,172

1	2
30. रबड़ और रबड़ से निर्मित वस्तुए. .	49,580
31. रसायन और रसायन के माल .	96,231
32. पेट्रोल और कोयले के माल	7,408
33. गैर-धातुक खनिज पदार्थ (पेट्रोल और कोयले के माल को छोड़ कर) .	86,619
34. मूल धातु उद्योग	241,349
35. धातु के पदार्थ (मशीनों और परिवहन उपकरणों को छोड़कर)	102,393
36. मशीनें (विद्युत सम्बन्धी मशीनों को छोड़कर) .	220,825
37. विद्युत सम्बन्धी मशीनें, उपकरण, यंत्र और आपूर्ति	74,714
38. परिवहन उपकरण . .	356,686
39. विविध उद्योग .	51,043
51. विद्युत, गैस और भाप	18,399
52. जल और स्वास्थ्य रक्षा-विषयक सेवाएं .	349
83. मनोरंजन सेवाएं (सिनेमा स्टुडिओ) . .	1,463
84. व्यक्तिगत सेवाएं (धुलाई घर, रंगाई और सफाई) .	269
.	2,895,228

स्रोत : कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन वार्षिक विवरणियां ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में कन्वर्टरों का लगाया जाना

1443. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बोकारो इस्पात संयंत्र में ऐसे कन्वर्टर लगाए जायेंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 300 टन होगी;

(ख) यदि हां, तो ये कन्वर्टर सोवियत सहयाग से लगाए जायेंगे अथवा स्वदेशी ढंग से; और

(ग) कन्वर्टर कब लगाए जायेंगे और कन्वर्टरों के लगाए जाने के परिणामस्वरूप संयंत्र को अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण, (40 लाख टन वार्षिक क्षमता) में 300-300 टन के 2 कन्वर्टर लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन कन्वर्टरों का रूस से आयात करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस समय कारखाने के द्वितीय चरण की विभिन्न इकाइयों (ये कन्वर्टर भी सम्मिलित हैं) के लिए एक समन्वित निर्माण तथा परिचालन अनुसूची तैयार की जा रही है । इन कन्वर्टरों के चालू हो जाने के पश्चात् कारखाने की इस्पात बनाने की क्षमता 40 लाख टन पिण्ड हो जायेंगी ।

दिल्ली में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना

1444. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में समद्री छात्रसेंना दल के एक यूनिट की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह दल राष्ट्रीय छात्रसेना दल का एक अंग है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि हाल ही में दिल्ली में समुद्री छात्र सेना दल के एक यूनिट की स्थापना की गई है।

(ख) यह दल राष्ट्रीय छात्रसेना का एक भाग नहीं है। यह एक निजी रजिस्टर्ड सोसायटी है।

राजस्थान में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना

1445. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में समुद्री छात्र सेना दल की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : समुद्री छात्रसेना दल एक निजी सोसायटी है जिसका मुख्यालय बम्बई में है और इसके कार्यकलाप सरकार के क्षेत्र में नहीं आते। अत: सरकार द्वारा राजस्थान में समुद्री छात्र सेना दल को स्थापित किए जाने के किसी प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1446. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के बारे में 23 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी परिस्थितियों में जो समिति के बस से बाहर की थीं, संगत सामग्री तथा आंकड़ एकत्र करने में अनिवार्य रूप से समय लगा। आशा की जाती है कि समिति अप्रैल, 1973 के मध्य के आस-पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

केरल में पार-पत्र जारी करने वाला कार्यालय खोला जाना

1447. श्री ए० के० गोपालन :

श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश** मंत्री केरल में पार-पत्र जारी करने वाला कार्यालय खोलने के बारे में 23 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1401 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस मामले पर कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं; मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देरी का मुख्य कारण है गैर-योजना व्यय में मितव्ययिता की बढ़ती हुई आवश्यकता एवं नई नियुक्तियों पर आजकल लगी हुई पाबन्दी—जिसके कारण निहित अतिरिक्त व्यय को पूरी तरह तर्क-संगत ठहराने के लिए प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की जांच सावधानी से करने की आवश्यकता है । शीघ्र ही एक कार्य अध्ययन दल क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय मद्रास, जहां से केरल से संबंधित पारपत्र संबंधी कार्य फिल-हाल होता है, जाएगा और यह अनुमान लगाएगा कि केरल में एक अलग पारपत्र कार्यालय खोलने के लिए कितने अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी । इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय शीघ्र लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं ।

पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान नए आयुध कारखानों की स्थापना

1448. श्री डी० के० पंडा :

श्री राजसहाय पांडे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितने नए आयुध कारखाने स्थापित किए जाएंगे तथा वर्तमान कारखानों की कितनी क्षमता बढ़ाई जायेगी;

(ख) क्या उपरोक्त सूची में उड़ीसा राज्य में बालासोर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेंटल एस्टब्लिशमेंट के निकट आयुध कारखाने की स्थापना शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई क्षमताओं अथवा वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाकर कारखाने स्थापित करने के लिए कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । इस अवस्था में कोई निश्चित संकेत नहीं दिया जा सकता क्योंकि हरेक प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व इस के सामरिक तथा तकनीकी-आर्थिक आधार पर विस्तार से विचार करना है ।

सुकिन्डा निकल संयंत्र में उड़ीसा सरकार द्वारा धन लगाना

1449. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में लगाए जाने वाले सुकिन्डा निकल संयंत्र के वित्तीय परिव्यय में सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस रूप में धन लगाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : भारत सरकार और उड़ीसा की राज्य सरकार, उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा निकल निक्षेप के विकास के लिए निगम की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं जिसमें भारत सरकार के 51% और उड़ीसा राज्य सरकार के 49% शेयर होंगे ।

इससे पहले कि निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए, अब प्रायोगिक संयंत्र के आधार पर परीक्षण किए जा रहे हैं ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1450. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और ;

(ग) मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अभी इस्पात के मूल्य बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और **(ग)** प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत गैर-कोककारी कोयला खानों की आस्तियां

1451. श्री डी० के० पंडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोककारी कोयला खानों के कई मालिक रिकार्ड, नकदी, चैकबुकों सहित गायब है;

(ख) यदि हां, तो उन मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) इन खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त सरकार को खानों से कितना बैंक बैलेंस प्राप्त हुआ; और

(घ) इन मालिकों को सरकार कितना मुआवजा देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : क्योंकि सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई खानों के अभिलेख और अन्य दस्तावेज अभी प्राप्ति और परीक्षण के क्रम में हैं अत: स्पष्टतया यह बताना समय पूर्व की बात होगी कि कई खान मालिक रिकार्ड, नकदी, चैक बुकों इत्यादि सहित गायब हो गए हैं ।

(घ) सरकार ने, इस समय ऐसी खानों का केवल प्रबंध ही ग्रहण किया है । इन खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ही खान मालिकों को प्रतिकर के संदाय का प्रश्न उठेगा ।

अग्निगुंडला में सीसा अयस्क और तांबा अयस्क की खुदाई

1452. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्निगुंडला में परीक्षणात्मक खनन कार्य शुरू किया है क्योंकि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने बताया है कि वहां लगभग 1 करोड़ टन सीसा अयस्क और 50 से 70 लाख टन तांबा अयस्क के भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खनन सम्बन्धी नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार अनुमानित भंडार के आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो नई खोज से आयात में कितनी कमी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चूंकि अग्निकुंडला ताम्र सीसा निक्षेपों के बंद लाभोट्टु और नल्लाकोंडा खण्डों में समन्वेषण खनन प्रायोजनाओं में कार्य सम्पूरित नहीं हुआ हैं, अतः इस समय इन निक्षेपों के बारे में कोई निर्धारण करना संभव नहीं हैं ।

चान्दा आयुध कारखाने का उत्पादन

1453. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चान्दा कारखाने में ज्योंकि भारत के आयुध कारखानों में बिल्कुल नया है, पहले कुछ ही महीनों में 2 करोड़ रुपये का गोलाबारूद तैयार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह आशा है कि यह अपने उत्पादन की गति के क्रमिक विकास को बनाये रखेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मे राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) चान्दा आयुध कारखाने में उत्पादन की मुख्य लाइने दिसम्बर 1970 के अन्त तक चालू हो गई थी । तथापि, कुछ मदों का उत्पादन पहले ही आरम्भ हो गया था । 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान उत्पादन का मूल्य निम्मांकित था :—

1969—70 . . .	58.38 लाख
1970—71 . . .	120.32 लाख
1971—72 . . .	194.34 लाख

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि कारखाना उत्पादन की नियमित वृद्धि करता रहेगा ।

"मेडरनर्स पेन्ट रोजी पिकचर्स आफ विलायत एण्ड गोल्ड"

1454. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "मेडरनर्स पेन्ट रोजी पिक्चर्स आफ विलायत एण्ड गोल्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

5—1 LSS/73

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक कितने एजेन्टों को पकड़ा गया है और मुकदमा चलाया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में कुछ रिपोर्टें मिली थी कि कुछ गरीब भारतीय महिलाएं नये-नये धनी बने गल्फ स्टेट्स में अवैध रूप से गई इसका मुख्य कारण आर्थिक है क्योंकि इन देशों में महिला घरेलू कर्मचारियों की भारी कमी है। अधिकांश मामलों में, स्पष्टतया, ये महिलाएं कुछ बेईमान दलालों और बिचौलियों द्वारा प्रस्तुत विदेश में आराम एवं ऐश की जिन्दगी की रोचक तस्वीर से सम्मोहित हुई थी।

इस प्रकार के अवैध उत्प्रवासन पर केन्द्र सरकार ने उचित ध्यान दिया है और राज्य सरकारों को गल्फ देशों में उत्प्रवास पर भारतीय महिलाओं के अवैध प्रवास को रोकने के लिए सभी निकासी स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे मुख्यतः स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों और स्थानीय समाज कल्याण संगठनों के माध्यम से ज्यादा-से ज्यादा प्रचार करके इन बेईमान यात्रा एजेंसियों/दलालों आदि के षड़यंत्र का पर्दाफ़ाश करके समाज के ऐसे वर्गों को इनके बारे में बताएं जिन्हें ये आसानी से फुसला सकते हैं।

5-1-1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो रिपोर्ट छपी हैं वह वास्तव में "औरतों को भगाने के षड़यंत्र" के विषय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किये गए पैंफ्लेट से संबंधित है जो विदेश मंत्रालय से प्रचार माध्यमों और समाज कल्याण संगठनों के मार्ग दर्शन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को भेजी गई पृष्ठभूमि सामग्री' पर आधारित थी।

(ग) इस सिलसिले में बम्बई स्थित एक ट्रेवल एजेन्सी की मान्यता आगे के लिए स्थगित कर दी गई है।

तमिलनाडू को कोयले की सप्लाई

1455. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने केन्द्र से तुरन्त अपील की है जिसमें कहा गया है कि सरकार राज्य के बेसिन ब्रिज बिजलीघर और उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति मास 20,000 टन कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तमिलनाडु सरकार ने प्रति मास 61,000 टन के तत्काल अतिरिक्त आबंटन और रेलवे द्वारा इसके संचलन को उच्च अग्रता देने के लिए अनुरोध किया था। यह प्रमात्रा इन्नोर और बेसिन पुल विद्युत घरों के लिए सिंगरेनी से कोयले की आपूर्ति में कमी थी।

(ख) दो विद्युत घरों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सिंगरैनी कोयला क्षेत्रों से कोयले की अतिरिक्त मात्रा के संचलन के लिए रेलवे को आवश्यक अनुदेश दिए गए थे। मार्च, 1973 से रेल-सह-समुद्री मार्ग द्वारा बंगाल-बिहार कोयले के 20,000 टन प्रतिमास के संचलन के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मद्रास पत्तन मजदूरों द्वारा हड़ताल

1456. श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

श्री राम भात पस्वान :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन में मज़दूरों ने जनवरी, 1973 के प्रथम सप्ताह में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताली मजदूरों ने क्या मांगे रखी हैं; और

(ग) क्या उनकी शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां। यह हड़ताल केवल गोदी श्रमिकों द्वारा की गई थी ।

(ख) मांगें प्रत्येक कर्मकार की उजरती दर की उन कमाइयों की बकाया राशियों, जो उन्हें मद्रास संबंधी उजरती-दर पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप मिलेंगी, के संबंध में 500 रु० के अग्रिम के भुगतान और 100 रु० के बदले 150 रु० के त्यौहारी अग्रिम के भुगतान के संबंध में है ।

(ग) श्रमिकों को 200 रु० के तदर्थ अग्रिम का भुगतान किया गया है, जिसको उजरती दर पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्णय की घोषणा के बाद उनकी भविष्य की परिलब्धियों के साथ समंजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें त्यौहारी अग्रिम रूप में 100 रु० और छुट्टी वेतन अग्रिम के रूप में 100 रु० की अदायगी की गई। यह हड़ताल समाप्त हो गई और 12 जनवरी, 1973 की दूसरी पारी से सामान्य कार्य पुनः चालू हो गया। उजरती दर पुनरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

देहुरोड़, पूना के निकट किसानों को खेती के लिए दी गई भूमि

1457. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को देहुरोड़ (पूना जिला), महाराष्ट्र, में और उसके आसपास वार्षिक किराये पर दी गई भूमि का किराया 16 रु० प्रति एकड़ से बढ़ाकर 80 रु० प्रति एकड़ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है ? और किसान यह किराया देने में असमर्थ हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार का विचार किसानों को इस किराये में वृद्धि को स्थगित करके राहत देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 1-4-1970 से किराये को 9 रू० से बढ़ाकर 80 रु० प्रति एकड़ कर दिया गया। प्रभावित कृषकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने इस आधार पर किराया घटाने के लिए कहा है कि लगाया गया किराया अधिक है और किराया के पुर्निर्धारण का आधार अनुचित है। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग में स्टाफ घटना

1458. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्चायोग, लंदन में अबतक 165 पद घटाये जा चके हैं; और

(ख) यदि हां, तो हटाये गये कर्मचारियों के पद नाम क्या थे और उन्हें कितना वेतन दिया जाता था और हमारे ब्रिटेन स्थित उच्चायोग में अभी भी काम करने वालों के पद नाम क्या हैं तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश सेवा के जो निरीक्षक जुलाई-सितम्बर, 1972 में लंदन गये थे, उन्होंने 22 भारत-अस्थानी पदों तथा 143 स्थानीय पदों को कमी करने की सिफारिश की है। इन पदों में से अधिकांश पदों को कमी की जा चुकी है। लंदन से सही आंकड़ों का पता लिया जा रहा है और वह इस प्रश्न के भाग (ख) की सूचना के साथ सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस ओर चीन में हमारे दूतावासों में रक्षा गया स्टाफ

1459. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री के० वालदण्डायुतम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन में हमारे दूतावासों में, श्रेणीवार, कुल कितना स्टाफ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (**ग्रंथालय म रखा गया** । देखिए **संख्या एल० टी०** 4343/73)

भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

1460. **श्री सी० के० चन्द्राप्पन :**

श्री बेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर तीनों संयंत्रों द्वारा प्रयुक्त औसत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) इन संयंत्रों के कम उत्पादकता के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारिणी में अनुपतित निर्धारित क्षमता का प्रतिशत उत्पादन दिखाया गया है।

कारखाना	दिसम्बर, 1972		जनवरी, 1973	
	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
भिलाई . . .	91	90	90	95
राउरकेला . . .	69	69	71	74
दुर्गापुर . . .	38	37	50	48

उपर्युक्त सारिणी में पता चलता है कि भिलाई में उत्पादन संतोषजनक था। राउरकेला में बिजली पर प्रतिबन्ध तथा कन्वर्टरों की सुनिश्चित लाइनिंग लाइफ के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। दुर्गापुर में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध, गैस की कमी, उपकरणों में खराबी आदि समस्याएं थी।

महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघों के मजदूरों की मांगें

1461. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में छः विद्युत चालित करघा केन्द्रों में कुल कितने मजदूर हैं; और

(ख) इस समय उनकी दैनिक मजूरी क्या है और क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार से यह अनुरोध करेगी कि वह राज्य में विद्युत चालित करघा मजदूरों की मांगों को मान ले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है और श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है ।

कारखानों में दुर्घटनाएं

1462. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री कारखानों में दुर्घटनाओं के बारे में 21 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 और 1972 में, राज्य-वार कारखानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई है; और

(ग) इस सूची में सबसे अधिक दुर्घटना वाले राज्यों के नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) दुर्घटनाओं की संख्या से सम्बन्धित सूचना कारखानों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणियों में राज्य मुख्य कारखाना निरीक्षकों को भेजी जाती है । अवरोक्त, निदेशक श्रम ब्यूरो, शिमला को वार्षिक विवरणियां भेजते हैं जो सूचना को समेकित और संकलित करते हैं । निदेशक श्रम ब्यूरो, शिमला के पास प्राप्त हुई वर्ष 1971 की सूचना अभी पूर्ण नहीं है । वर्ष 1972 के लिए वार्षिक विवरणियां राज्य मुख्य कारखाना निरीक्षकों द्वारा निदेशक श्रम ब्यूरो, शिमला के माध्यम से अगस्त, 1973 के अंत तक भेजी जानी है ।

Loss Suffered by Farmers in Border Areas of Punjab During Indo-Pak Conflict

1463. **Shri Raghunandan Lal Bhatia :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The extent of loss suffered by the farmers in the border areas of Punjab in the recent Indo-Pak conflict of 1971; and

(b) the compensation paid to the farmers and the scale of compensation for the loss of a Kutcha house and a Pucca house?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) As reported by the Government of Punjab, the extent of such losses is as follows :

Amount of ex-*gratia* grant for different types of losses as assessed upto 15-2-73

(Rs.in lakhs)

Item	
(i) Loss/damage to crops	341.68
(ii) Damage to houses and buildings	10.96
(iii) Loss of cattle and agricultural implements	15.98
(iv) Losses suffered by various categories of trades, professions and avocations	15.94 0.15 (loan)

Such assessment of losses in respect of the areas recently vacated by the Pakistani forces is in progress.

(b) The Government of India have no scheme for the payment of compensation in case of such losses. But they have, however, authorised the Government of Punjab to incur expenditure on giving *ex-gratia* assistance to such persons at the prescribed scales. The expenditure incurred by the State Government on this account is fully reimbursed by the Government of India.

Upto 15-2-1973, the Punjab Government had disbursed Rs. 333·38 lakhs in all on account of *ex-gratia* grant in respect of these items referred to in part (a).

The scales for reconstruction/repairs of damaged buildings are as follows :—

	Grant (Rs.)	Loan (Rs.)
Kutcha Building	upto 3000/-	..
Pucca Building	upto 5000/-	Upto 6000/-

कोकिंग कोयला खानों को अपने नियंत्रण में ले लेने के पश्चात् तथा उससे पूर्व उनमें उत्पादन

1464. श्री के० एस० चावड़ा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य कोकिंग कोयला खानों में, इनको अपने नियंत्रण में ले लेने के पश्चात् से, गत दो वर्षों में मासिक उत्पादन की तुलना में, मासिक उत्पादन की दर कितनी है; और

(ख) यदि उत्पादन में कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण से केवल एक वर्ष पूर्व के ही उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हैं ।

कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात्, उससे पूर्ववर्ती वर्ष के तत्संबंधी मास में उत्पादन की तुलना में, कोककारी कोयला का मासिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(उत्पादन के आंकड़े हजार टनों में)

	मास के दौरान	पूर्ववर्ती वर्ष के तत्संबंधी मास के दौरान
अक्तूबर 1971	737	820
नवम्बर 1971	855	888
दिसम्बर 1971	931	946
जनवरी 1972	866	927
फरवरी 1972	845	894
मार्च 1972	902	887

	मास के दौरान	पूर्ववती वर्ष के तत्संबंधी मास के दौरान
अप्रैल 1972	850	928
मई 1972 .	862	918
जून 1972	798	888
जुलाई 1972 . . .	801	850
अगस्त 1972	823	847
सितम्बर 1972 .	860	782
	10,130	10,575

(ख) जबकि कोककारी कोयला का उत्पादन अनुरक्षित किया जा रहा है, प्रक्षालनशालाओं और इस्पात संयंत्रों को प्रेषणों में सुधार हुआ है ।

भविष्य निधि इन्सपेक्टरों (ग्रेड 1) की पदोन्नति

1465. **श्री मुहम्मद जमीलूर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या ऐसे भविष्य निधि इन्सपैक्टरों (ग्रेड 1) की बड़ी संख्या है जिनकी कर्मचारी **भविष्य** निधि में सेवावधि 10 वर्ष से अधिक की है;

(ख) क्या हाल ही में आयोजित लेखा अधिकारी की किसी परीक्षा पर आधारित कुछ **व्यक्तियों** की लेखा अधिकारियों, जो अनेक वर्षों तक सेवा करने वाले भविष्य निधि इन्सपैक्टरों (ग्रेड 1) **को पीछे** छोड़ देंगे, के पदों पर पदोन्नति होने के कारण उनका सहायक आयुक्त (ग्रेड 1) के पद पर **पदोन्नति के** अवसर बहुत कम हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या **उपाय करने** का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कमचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों **ने निम्न प्रकारसे** सूचित किया है :—

(क) ऐसे भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-1), जिन्होंने दस वर्ष से अधिक सेवा **पूर्ण कर ली है और** सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-1)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड-4) के **उच्चतर पद पर** पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिर्फ चार हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा

1466. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए **विभागीय** परीक्षा होती है; और यदि हाँ, तो परीक्षाएं कब शुरू की गई और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड 1) विभागीय परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं तथा उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं है;

(ग) क्या उक्त बात को ध्यान में रखते हुए, जूनियर ग्रेड 2 निरीक्षक, हैड क्लर्क, सुपरिटेन्डेंट विभागीय परीक्षा पास करके लेखाधिकारी बन जाते हैं और उनसे कई वर्ष वरिष्ठ ग्रेड 1 निरीक्षकों के दावों का अतिलंघन करते हुए सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए विचार और चयन के पात्र हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ग्रेड 1 निरीक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :--

(क) जी हां। यह परीक्षा योजना अप्रैल, 1969 से प्रवर्तन में आई। इसके दो भाग हैं। परीक्षा को भाग I में संगठन के एसे सभी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की लिपिकीय सेवा कर रखी हो, मुख्य लिपिक, आशु लिपिक (वरिष्ठ), भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड II), अधीक्षक, सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने उन ग्रेडों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर रखी है, बैठ सकते हैं। परीक्षा के भाग II में केवल एसे उम्मीदवार बैठ सकते हैं, जिन्होंने भाग I परीक्षा पास कर रखी हो या उस में अर्हता प्राप्त कर रखी हो और जो नियमित आधार पर अधीक्षक/भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड II) के पद पर हो। इन परीक्षाओं में बैठने के लिए कुछ अधिकतम आयु सीमाएं निर्धारित की गई हैं। दोनों परीक्षाएं पास कर लेने के पश्चात् कर्मचारी लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति का पात्र बन जाता है बशर्ते कि उसने अधीक्षक/भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड II) के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर रखी हो।

(ख) भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड I) उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड I) के संवर्ग पर पदोन्नतियाँ रिक्तियां होने पर बारी बारी के सिद्धान्त पर सम्बन्धित ग्रेड में दो वर्ष की सेवा कर चुके सहायक भविष्य निधि से आयुक्त (ग्रेड II), भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड I) और लेखा अधिकारियों को दी जाती हैं। बारी बारी का सिद्धान्त कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि उससे उपयुक्त सभी सहायक माध्यमों के हितों का संतुलन सुनिश्चित हो। अभी तक परीक्षाएं पास करने के परिणामस्वरूप नियुक्त हुआ कोई भी लेखा अधिकारी सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड I) के रूप में पदोन्नति होने का पात्र नहीं बना है और इस प्रकार सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड I) के पद पर पदोन्नति के मामले में ऐसे अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड I) के अधिक्रमण का प्रश्न नहीं उठा है।

इस्पात बनाने में सहायता देने के लिये जापान की पेशकश

1467. श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री के० मालन्ना :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने हाल ही में जापान के बहुत ही कम खर्च पर इस्पात बनाने के तरीके, कोक की कम खपत और बड़ी धमन भट्टियों के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी देने की पेशकश की है जिससे वह देश विश्व में सब से सस्ता इस्पात बना सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पेशकश पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय श्रमिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण

1468. श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ने हाल ही में प्रशिक्षण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं;

(ग) केन्द्रीय पूल, सरकारी क्षेत्र उपक्रम, गैर-सरकारी उद्योगों, राज्य सरकारों और समुद्र पार के देशों की श्रेणियों के अन्तर्गत कितने अधिकारी प्रशिक्षित किए गए; और

(घ) क्या प्रशिक्षण को और व्यावहारिक और उपयोगी बनाने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां, 1964 से ।

(ख) 664 ।

(ग) केन्द्रीय पूल के श्रम अधिकारी .	111
केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य अधिकारी .	109
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी .	148
राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के अधिकारी	218
समुद्र-पार देशों के नामित व्यक्ति	78

(निजी उद्योगों के नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता)

(घ) इस समय दिए जा रहे प्रशिक्षण का स्वरूप व्यावहारिक और लाभदायक है । तथापि, इस संस्थान का एक राष्ट्रीय श्रम संस्थान में विकसित किया जा रहा है जो श्रम विषयों के बारे में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करेगा ।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यात्रा

1469. श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में इस देश की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उस में क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डा० कुर्त वाल्धीम ने, अपनी पत्नी के साथ, 3 फरवरी से 7 फरवरी 1973 तक भारत की यात्रा की ।

(ख) आपसी हित के विश्व मसलों एवं भारतीय उप-महाद्वीप की सामान्य स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ ।

बातचीत का ब्यौरा देना जन हित में नहीं है क्योंकि वह गोपनीय थी ।

राजस्थान के खनन विभाग में श्रमिकों द्वारा हड़ताल

1470. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ी हुई मजूरी के मामले पर सम्बद्ध मंत्री से बातचीत करने में गतिरोध उत्पन्न होने के बाद राजस्थान खनन विभाग के 2,000 श्रमिकों ने 1 फरवरी, 1973 को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और मामले को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2 जनवरी, 1973 को भारतीय खनन विभाग कर्मचारी संघ, उदयपुर द्वारा दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मकारों की मजदूरियों को बढ़ाने और वेधन तथा खनिज-प्राप्तव्य स्थलों में कार्य करने वाले कर्मकारों को क्षेत्रीय भत्ता प्रदान करने से संबंधित मांगों सहित 18 मांगों का पत्र राजस्थान सरकार के खान और भविज्ञान निदेशक को तामील करने के बाद, राजस्थान खनन विभाग के 1224 कर्मकार पहली फरवरी, 1973 से हड़ताल पर चले गए । कर्मकारों की समेकित दैनिक मजदूरी—दरों को पुनरिक्षत करने संबंधी आदेश राज्य सरकार ने 10 फरवरी, 1973 को जारी कर दिए हैं और साथ ही और वेधन तथा खनिज-प्राप्तव्य स्थलों पर कार्य कर रहे या रह रहे अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों को 25 रुपये प्रतिमाह का नियत क्षेत्रीय प्रतिष्ठान भत्ता देना मंजूर किया गया है । 24 फरवरी, 1973 को यह हड़ताल समाप्त हो गई थी ।

Observation of Economic and Scientific research establishment regarding India's Potentiality for great power

1471 **Shri Phool Chand Verma :**

Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Economic and Scientific Research Establishment has observed that India has potentiality to become a great power if industrialisation and strengthening of defence organisation is expedited ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Hon. Member is probably referring to the MONOGRAPH, 'Our National Security' published by the Economic and Scientific Research Foundation. The author of the MONOGRAPH has expressed the view that India should be an independent decision making centre in international politics along with the USA, USSR, China and such other countries.

(b) Government have no comments on the author's views and assessment contained in the publication.

दिल्ली में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1472. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के कपड़ा मिलों के 25,000 कर्मचारियों द्वारा 27 दिसम्बर, 1972 को की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, मजदूरियों, महंगाई भत्ते, आवास व्यवस्था या मकान भत्ते, बदली और अस्थायी श्रमिकों की स्थायीकरण ठेका प्रणाली के उन्मूलन आदि के संबंध में अपनी मांगों के समर्थन में 18,000 कपड़ा श्रमिकों द्वारा 27 दिसम्बर, 1972 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई थी। दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के श्रमायुक्त तथा अन्य अधिकारियों ने संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श किया। मजदूरियों और महंगाई भत्ते संबंधी वाद–विषय न्याय–निर्णयन के लिए लंबित थे। जहाँ तक बदली श्रमिकों का संबंध था 5 जनवरी, 1973 को एक समझौते पर दिल्ली प्रशासन के समझौता अधिकारी के सामने संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

हैदराबाद में मिश्रधातु इस्पात संयंत्र की स्थापना

1473. **श्री श्री किशन मोदी :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद में एक मिश्र धातु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह संयंत्र एरोनाटिक्स, राकेट और मिसाइल तथा मिश्रधातु संबंधी भविष्य की योजना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और

(ग) संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : एरोनाटिक्स, इलैक्ट्रानिक्स, यंत्रों, राकेटों, प्रक्षेपास्त्रों आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेष मैटल और सुपर ऐलोय के लिए हैदराबाद में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव को सिद्धांतः अनुमोदित कर दिया है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ रुपए है।

नई दिल्ली में एशियाई-अफ्रीकी विधि परामर्श दात्री समिति के सम्मेलन में चर्चित विषय

1475. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जनवरी, 1973 में नई दिल्ली में हुए एशियाई–अफ्रीकी विधि परामर्श-दात्री समिति के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) क्या समुद्र और समुद्री तल संबंधी विधि पर हुई चर्चा में समुद्र–दूषण पर ही विचार किया गया था और यदि हां, तो क्या निर्णय किए गए थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) इस अधिवेशन में जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(1) समुद्री–विधि से संबंधित प्रश्न जिसमें मत्स्य उद्योग शामिल है, जमीन से घिरे राज्यों के अधिकार एवं हित, समुद्रतल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं समुद्रीय दूषण।

(2) विदेश कार्यालयों में विधि परामर्शदात्री सेवाएं।

(3) माल की अंतर्राष्ट्रीय विक्री।

(4) अंतर्राष्ट्रीय नदियों से संबद्ध कानून।

(5) राजनयिक अभिकर्ताओं की रक्षा एवं अलंघनीयता।

(ग) समयाभाव के कारण समिति समुद्रीय दूषण विषय पर गहराई से विचार नहीं कर सकी और इसने सचिवालय से अतिरिक्त पृष्ठभूमि सामग्री विशेषकर दूषण से होने वाली क्षति के उत्तर-दायित्व के संबंध में, तैयार करने का अनुरोध किया।

इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग न करने के कारण इस्पात के उत्पादन में स्थिरता

1476. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970–71 और 1972–73 के बीच इस्पात का उत्पादन लगभग 60 लाख टन अथवा अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 67 प्रतिशत तक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग लगभग 85 प्रतिशत तक किया जाता तो क्या 1971–72 और 1972–73 के दौरान बड़ी मात्रा में इस्पात का आयात रोका जा सकता था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) निम्नलिखित तालिका में 1970–71 से लेकर मुख्य इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का वास्तविक उत्पादन दिया गया है।

	पिण्ड उत्पादन लाख टन	निर्धारित क्षमता का प्रतिशत उत्पादन
1970–71	59.5	67 प्रतिशत
1971–72 . .	58.0	65 प्रतिशत
1972–73 (अप्रैल–जनुवरी)	50.0	67.4 प्रतिशत

(ख) गत दो वर्षों में क्षमता के कम उपयोग के कई कारण थे जिनमें मुख्य कारण सामान्यतः कोक ओवन बैतरियां में परिचलन संबंधी कठिनाइयां जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टीम मैल्टिंग शाप की छत गिर जाना, मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना विशेषतया दुर्गापुर में गत कुछ वर्षों में मालिक मजदूर संबद्ध अच्छे न होना जिसके कारण न केवल कारखाने के रखरखाव के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा बल्कि उत्पादन में भी कमी हुई तथा 1970–71 के पूर्वाध में राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, ये इस्को में कई सालों तक कारखाने के प्रतिस्थापन कार्यक्रम की उपेक्षा तथा मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होने के कारण उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों का संबंध है कम्पनी के प्रबन्धक उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में किये गये उपाय इस प्रकार है कोकध भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धी को बढ़ाने के लिए दूसरे ईंधनों का उपयोग, उर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि के लिए कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग बेहतर रख–रखाव जिस मे बेहतर–उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकें, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए पुंजीगत कार्यक्रमों कों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, उष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना शामील है। हाल में दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मज़दूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मज़दूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्रीस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में कमिक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना शुरु की गई है।

सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने के पश्चात् इसकी तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने और उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें, कोलतार और कोक की सप्लाई, कोक भट्टियों की आपात आधार पर मरम्मत मैटिरियल हैन्डलिंग उपकरण की प्राप्ति तथा स्टील मेल्टिंग शाप में क्रेनों और अन्य उपस्कदो की मरम्मत तथा उनका प्रतिस्थापन सम्मिलित है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी पुरानी कोक भट्टियों के लिए प्रतिस्थापन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर कोक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी। रख-रखाव को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस दिशा में स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया की स्थापना से काफी सहायता मिलेगी क्योंकि सससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्शदातृ सेवाएं उपलब्ध ोगी तथा इस्पात उद्योग से धनिष्ट रूप में संबद्ध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकींग कोयला, लोह खनिज और मैंगनीज जैसे कच्चे माल के प्रमुख संपारक हैं, प्रबंधात्मक एकीकरण तथा समन्वय होगा।

सरकार भी टास्क फोर्स की सावधिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्य करण पर सतत नजर रखती है।

1972–73 में अब तक के कुल उत्पादन में निश्चित रुप से सुधार हुआ है। 31 जनवरी 1973 तक अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष के दस महीनो में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनो इस्पात कारखानों में 32.5 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 27.9 लाख टन का उत्पादन हुआ था अर्थात् इस वर्ष उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1971-72 के 10 माह के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष उसी अवधि में सभी सर्वतोमुखी कारखानों का उत्पादन 6 प्रतिशत अधिक हुआ है। ऐसी संभावना है कि 1972–73 में उत्पादन गत तीन वर्षों में किसी भी वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक होगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोयला उत्पादन का पुनर्ग न

1477. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत में 1410 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोयले के उत्पादन को पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित और युक्तियुक्त बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने की योजना के अंग के रूप में कोयला उद्योग में श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) पंचम पंचवार्षीय योजना की संरचना के संदर्भ में कोयला और लिग्नाइट के बारे में स्थापित कार्यदल ने, 1–2–73 को योजना आयोग को दी अपनी रिपोर्ट में यह अनुमानित किया कि 1978–79 तक कोयले की मांग लगभग 1430 लाख टन होगी जिसकी पूर्ति के लिए उसने निम्नलिखित उत्पादन कार्यक्रम परिकल्पित किया है :—

	1971–72 में उत्पादन	1978–79 में अनुमानित उत्पादन
	(लाख टनों में)	
1. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम .	144.00	450.00
2. भारत कोकींग कोल	130.00	210.00
3. सिंगरनी कोलियरीज लिमिटेड . .	47.00	100.00
4. अन्य कोयला खानें	395.00	670.00
	716.00	1430.00

(ग) जी, हाँ।

मैसूर सरकार द्वारा पश्चिमी तट पर एक और इस्पात कारखाना स्थापित करने का सुझाव

1478. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पश्चिमी तट पर एक और इस्पात का कारखाना स्थापित करने के पर्याप्त अवसर हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुर्रा (लाट) के माध्यम से हज यात्रियों के नाम निकालना

1479. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्रा (लाट) के माध्यम से हज यात्रियों के नाम निकालने की प्रणाली संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या नवयुवक चुने जाते हैं जबकि अनेक वृद्ध जन रह जाते हैं और उनमें से कुछ लोग इस अत्यधिक वांछित यात्रा के किये बिना ही मर जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस समस्या पर पुनः विचार करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 1964 तक, जहाजरानी कम्पनी, मुगल लाइन्स लिमिटेड, जो हज यात्रा का प्रबन्ध करती है, 'पहले आये सो पहले जाए' के आधार पर यात्रा का प्रबंध किया करती थी। इस प्रक्रिया के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हुई।

2. 1965 से वित्त मंत्रालय हज का कोटा नियत करता है और वह मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाता है।

3. चूंकि तीर्थयात्रा पर जाने वालों की संख्या दिए गए कोटे से अधिक होती है इसलिए प्रत्येक राज्य को दिए गए कोटे के मुकाबले में आवश्यक लोगों की संख्या का चयन करने के लिये प्रत्येक राज्य से प्राप्त अर्जियां निकाल ली जाती हैं। मुगल लाइन्स लिमिटेड असफल अर्जियाँ 'अस्वीकृत की गई' की मुहर लगाकर आवेदकों को लौटा दी जाती हैं।

4. अस्वीकृत आवेदकों को अधिक अवसर देने की दृष्टि से 1972, से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

i. पिछली हज की प्रतीक्षा सूची पर अंकित जो आवेदक पिछली हज के लिए स्थान नहीं पा सके थे, उन्हें पक्के सुरक्षित स्थान दे दिए जाते हैं,

ii. जिन आवेदकों की अर्जियाँ तीन बार अस्वीकृत कर दी गई हैं, उन्हें अगली वरीयता दी जाती है बशर्ते कि उन्होंने पहले हज यात्रा न की हो ;

iii. जिन आवेदकों की अर्जियाँ पिछले पांच वर्षों में तीन बार अस्वीकृत हुई हों, उन्हें अगली उत्तम वरीयता प्रदान की जाती है बशर्ते कि उन्होंने पहले हज यात्रा न की हो ;

iv. जिन आवेदकों की अर्जिया पिछली हज के लिए अस्वीकृत कर दी गई हों, उन्हें वरीयता क्रम में अगले स्थान पर रख दिया जाता है, बशर्ते कि उन्होंने पहले हज यात्रा न की हो ; और

v. जिन आवेदकों की अर्जियां उक्त चार श्रेणियों में से किसी में भी न आती हो तो उन पर नई अर्जी के रूप में विचार किया जाता है और वे वरीयता क्रम में अंत में रख दी जाती हैं।

श्रेणी (1) में आवेदकों को आवश्यक स्थान दिए जाने के बाद प्रत्येक राज्य का शेष स्थानों का कोटा आवेदकों में क्रमशः (2), (3), (4) और (5) श्रेणियों में 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुपात में आवश्यक हो तो 'कुर्रा' के द्वारा बांट दिया जाता है। यदि इन श्रेणियों में से किसी में कुछ स्थान शेष रह जाएं तो वह अगली श्रेणी के लिए दे दिया जाता है।

5. यह प्रक्रिया संतोषजनक रीति से चली है और इससे हज यात्रा के इच्छुक तमाम यात्रियों को न्यायोजित अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार युवा लोगों को चुन लेने और बूढ लोगों को छोड़ देने का प्रश्न नहीं उठता।

6. अगर किसी और अच्छे समाधान का सुझाव आ सके तो सरकार इस प्रश्न पर फिर विचार करने को तैयार है।

आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, स्पेन और मल्टा के अस्थायी शिविरों में नागरिकता विहीन एशियाई व्यक्ति

1480. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे नागरिकता विहिन एशियाई व्यक्तियों की बड़ी संख्या है जिन्हें ब्रिटेन में प्रवेश नहीं मिल सका है तथा जो इस समय आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, स्पेन और माल्टा के अस्थायी शिविरों में हैं,

(ख) यदि हां, तो युगांडा से निष्कासित ऐसे नागरिकता विहिन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और किन-किन देशों ने उन्हें स्वीकार किया है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग ने भी इस संबंध में कोई सहयोग दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) युगांडा से निष्कासित होने पर लगभग 3560 नागरिकता विहिन व्यक्ति (जिन की राष्ट्रिकता निश्चित नहीं है) आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, स्पेन और माल्टा के अस्थायी शिविरों में रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग द्वारा ले जाए गए थे। वे ब्रिटन में प्रवेश करने में असफल रहे इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित उसका ब्यौरा इस प्रकार है—

देश का नाम	व्यक्तियों की संख्या
आस्ट्रिया	1500
बेल्जियम	420
इटली	1100
माल्टा	360
स्पेन	180

(ग) उपर बताये गये अस्थायी शिविरों में से लगभग से लगभग 1424 व्यक्तियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग को प्रस्ताव मिले हे। शेष व्यक्तियों को स्थायी रूप से बसाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग द्वारा प्रयत्न जारी हैं।

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वास

1481. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में शुरू किए गए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है;

(ख) 1972 के अन्त तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) पुनर्वास के लिए कृष्यकृत भूमि में बसाए गए प्रवासी परिवारों की संख्या कितनी है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पुनर्वास विभाग को सौंपे गए विषयों में, ऐसे विशष क्षेत्रों का विकास भी शामिल है जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रधान मंत्री ने कहा है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास के लिए उपयुक्त क्षेत्र को पुनर्वास विभाग द्वारा विकास के लिए ले लेना चाहिए। इन द्वीपों में शुरू किए गए कार्यक्रम की प्रमुख रूप रेखा नीचे दी गई है:—

(i) मिडिल अण्डमान, नील, लिटिल अण्डमान, कच्छल और ग्रेट निकोबार में जंगलों का उद्धार तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों और बर्मा तथा श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों तथा भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास।

(ii) कच्छल में एक रबर बागान का विकास और दक्षिण अण्डमान में रबर अनुसंधान एवं विकास स्टेशन का संचालन; और

(iii) लिटिल अण्डमान तथा ग्रेट निकोबार में सड़कों का निर्माण। पुनर्वास विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अलावा अण्डमान और निकोबार द्वीपों में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने घाटों, पनकटों (ब्रेक वाटर्स) के निर्माण और कृषि मंत्रालय ने मछली पालन के विकास के लिए योजनाए शुरू की हैं।

(ख) दिसम्बर, 1972 के अन्त तक इस कार्यक्रम पर घाटों तथा एक पनकट (ब्रेक वाटर) के निर्माण पर 293.89 लाख रुपये और अन्य योजनाओं पर 405.19 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(ग) इन द्वीपों में उद्धार की गई भूमि पर बसाए गए प्रवासी परिवारों की संख्या 562 है। इनके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के 100 परिवार तथा बर्मा और श्री लंका से आए प्रत्यावासियों के 39 परिवारों को क्रमशः भूमि तथा बागानों में बसाया गया है।

विदेशी सरकारों को प्रशिक्षण सुविधाएं देने की पेशकश

1482. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1972 में किसी विदेशी सरकार को प्रशिक्षण सुविधाएं देने की पेशकश की थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) : जी हां श्रीमन्। भारत सरकार की नीति, हमारे रक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की है। पूर्व वर्षों की तरह 1972 में भी ऐसी सुविधाएं दी गई थी। इस बारे में और आगे व्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

मिश्रधातु इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

1483. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रधातु इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने की कोई योजनाएं हैं,

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या मिश्रधातु इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए 'प्रोडक्ट–मिक्स' उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन व्यूरों से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संभावित विस्तार के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया है। विस्तार योजना के विस्तृत विवरण का पता प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही चल सकेगा। जहां तक दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने का संबंध है, इसकी क्षमता का 100,000 टन पिण्ड से 300,000 टन पिण्ड प्रतिवर्ष तक विस्तार करने का निर्णय किया गया है। विस्तार योजना के तैयार उत्पादों के रूप में प्रोडक्ट मिक्स पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) इसका उत्तर भाग (ख) में दे दिया गया है।

(घ) भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इसका उत्तर भाग (ख) में दे दिया गया है।

भारतीय सेना का पुनर्गठन

1484. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में 'आर्मर्ड कोर', आर्टिलरी' और 'इन्फेन्ट्री' का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुनर्गठन के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) सेना के विभिन्न कोरों का गठन का प्राप्त अनुभव के प्रकाश में पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यकता होती है उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं।

सादी किस्मों के इस्पात का उत्पादन

1486. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष इस्पात की सादी किस्मी के उत्पादन के प्रयोजन से स्थापित की जा रही विद्युतचालित भट्टियां कहां-कहां पर स्थित हैं और उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उनमें विशेष इस्पात की सादी किस्मों का उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो विशेष इस्पात की सादी किस्मों की आवश्यकता कितनी है और विशेष प्रकार के इस्पात का कुल उत्पादन कितना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) राष्ट्रीय आर्थिक व्यावहारिक अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट के आधार पर विशेष इस्पात की सादी किस्मों की मांग इस प्रकार है :—

	स्प्रिग इस्पात	कार्वन कंस्ट्रक्शनल इस्पात	फ्री कटिंग इस्पात
मांग (1975)	72,800 टन	49,500 टन	24,000 टन

इन किस्मों के इस्पात की वर्तमान मांग का सही सही अनुमान नहीं लगाया गया है परन्तु स्पष्ट है कि स्प्रिग इस्पात आर कार्बन कन्स्ट्रक्शनल इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन पर्याप्त है। अनुमान लगाया गया है कि फ्री कटिंग इस्पात की वर्तमान मांग 25,000 टन के लगभग है । वर्ष 1971-72 में किस्मो के इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित था :—

स्प्रिग इस्पात	कार्बन कंस्ट्रक्शनल इस्पात	फ्री कटिंग इस्पात
23,256 टन	23,875 टन	8,975 टन

सेलम, विजयनगरन और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1487. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम, विजयनगर और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रो के निर्माण के समय तथा इसके साथ-साथ परिचालन तथा रख रखाव के समय अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये दिसम्बर, 1971 में गठित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ही सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) इसकी सिफारिशों पर, पांचवीं योजना इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा गठित की गयी लोह और इस्पात 'टास्क फोर्स' द्वारा विचार किया जायगा तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जायगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सेनाओं द्वारा क्षेत्र खाली किये जाने के पश्चात पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

1488. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र के खाली किये जाने के तुरन्त पश्चात् उस देश में भारत विरोधी प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार बढ़ाने की खबरे मिली हैं।

(ख) सरकार ने पाकिस्तानी प्रचार का प्रतिबंध करने के लिए समुचित उपाय बरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को सही स्थिति से अवगत कराया है।

हिन्दुस्तान स्टील द्वारा आयातित औजारों और मिश्र इस्पात का नियंत्रण अपने हाथ मे लेने सम्बन्धी प्रस्ताव को रद्द करना

1489. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित एक करोड़ रुपये के मूल्य के औजारों और मिश्र इस्पात का नियंत्रण अपने हाथ में लेने संबंधी प्रस्ताव को रद्द कर दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सुझाव दिया है कि वह औजारों और मिश्र–इस्पात खरीद ले जिसका उन्होंने आयात किया है और जिसे वे नहीं बेच सके हैं। उन्होंने जो माल बेचने की पेशकश की है उसका गोदाम बाह्य मूल्य 37 लाख रुपये है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड इस पर विचार कर रही है।

Differences between India and Sri Lanka Over Islands

1490 Shri Iskwar Chaudhry :

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the islands over which differences exist between India and Sri Lanks in the matter of sovereignty;

(b) the time when the talks were last held with the Government of Sri Lanka in this regard and the outcome thereof; and

(c) the time when further talks are likely to be held in this regard?

The Minister off State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Kachchativu is the only island sovereignty over which continues to be the subject of discussions between the Governments of India and Sri Lanka. As the Hon'ble Members may be aware, both India and Sri Lanka have expressed the desire to resolve this matter in a spirit of friendly co-operation.

भड़ौच जिले में खान से फ्लोराइट की अनधिकृत खुदाई

1492. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भड़ौच जिले में अपनी खान से 229 टन फ्लोराइट की अनधिकृत खुदाई को रोकने में असफल रहने के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को चेतावनी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रकार की चेतावनी के कारण क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) मामला गुजरात राज्य सरकार के अन्वेषणाधीन है। सरकार द्वारा निगम को कोई लिखित चेतावनी नहीं दी गई है।

Supply of Steel for House-building purposes in cities and villages

1493. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the manner in which steel is made available to the persons who want to build houses in villages and the rate thereof; and

(b) whether persons desirous of building small houses in cities have also to purchase steel in black market and if not, the manner in which they get steel?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) The stockyards of the main producers spread all over the country earmarks a certain percentage of the categories used for housebuilding for allotment to house-builders, in cities as well as villages in their jurisdiction. These are supplied at the stockyard prices which are regulated by the Joint Plant Committee and are informally applicable to all stockyards. In Delhi where there was heavy demand from house-builders for steel, a new system was tried out. A committee, known as main steel producers committee, consisting of the representatives of the main steel producers was set up to consider such applications jointly and make the allocations in a coordinated manner, taking into account the availability in the stockyards of all the three producers. This system has been working satisfactorily and has recently been introducted to the stockyards in other metropolitan cities, viz., Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad, Cochin, Bangalore and Secunderabad. In this system a portion of the availability is set apart specially for the smaller house-builders.

India Supply Missions in London and Washington

1494. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) for how long our Supply Missions will be required in London and Washington and whether one Supply Mission is not sufficient;

(b) the total expenditure being incurred thereon; and

(c) the names of articles purchased by these Missions during the last 2 years and then sent to India?

The Minister of Supply (Shri Shahnawaz Khan) : (a) There is no proposal at present under consideration for the closure of the Supply Missions in London and Washington in the near future. The India Supply Mission, London operates in Europe whereas India Supply Mission, Washington operates in America. It is not possible for one Mission to cover the entire area.

(b) The expenditure on the two Missions during the last five years is given below :

(Figures in thousand of Rupees)

Year	London	Washington
1967—68	84,56	50,44
1968—69	71,03	53,64
1969—70	65,32	57,48
1970—71	65,43	62,13
1971—72	67,73	57,12

(c) The broad categories of items which are generally purchased by the Missions are as under :

INDIA SUPPLY MISSION, LONDON :

Fertilizers, plant and machinery, weapons and equipments, vehicles, aeronautical stores, electronics and radar equipments, mechanical stores etc.

INDIA SUPPLY MISSION, WASHINGTON :

Thermal and hydro-electric power plants, accessories and spares, electronics and fire fighting equipments for aerodromes, survey and mining equipments, aircraft and spares, sophisticated scientific and laboratory equipments and machinery, spare parts for Railway Diesel Locomotives, spare parts for earth moving and construction equipment machinery, fertilizers, food etc.

Import of articles for Indian Armed Forces

1495. Shri M. C. Daga : Will the minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether India has become self-sufficient in regard to the requirements of Indian Army, Air Force and Navy or whether some of the articles are still being imported from foreign countries to meet ther requirements;

(b) if some of the articles are still being imported, the value of the articles imported, during the last two years and the names thereof; and

(c) whether India would attain self-sufficiency in these articles also, and if so, when?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Requirements of Defence equipments are principally met from indigenous production. However, a few essential items are imported to the minimum extent required.

(b) The efforts involved will not be commensurate with its value in the context of our policy for rapid indigenisation. Besides it will not be in public interest to disclose these details.

(c) The effort towaras self-sufficiency in a contiuning process. We aim at being increasingly self-reliant in future in the defence sector. Absolute self-sufficiency in this regard not be found to be practicable.

युद्धबन्दियों के प्रश्न को लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए विशेष पाकिस्तानी दूत

1496. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री अमर गूह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की और दिलाया गया है कि राष्ट्रपति भुट्टो ने युद्ध बन्दियों के प्रश्न को लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए विशेष दूतों को भेजा है ; और

(ख) इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस आशय के समाचारों की और सरकार का ध्यान गया है।

(ख) सरकार ने विश्व जनमत की सही स्थिति की सूचना देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

अत्याचार के विरुद्ध हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों का आन्दोलन

1497. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी स्वामित्व वाली फर्म हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धकों की अत्याचारपूर्ण निति के विरुद्ध किए जा रहे आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या प्रबन्धक मण्डल ने अब 2,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है ; और

(ग) इस प्रकार के अत्याचार को रोकने और उसके कर्मचारियों के रोजगार को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : यह मामला आवश्यक रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के बम्बई और दिल्ली के कार्यालयों में कोई छंटनी नहीं हुई और यह बताया गया है कि इन दो इकाइयों में कोई आन्दोलन नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस कम्पनी की दो इकाइयों में श्रमिकों की युनियनों से कुछ समय पहले प्राप्त हुई शिकायतों को उचित कार्यवाई के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ध्यान में ला दिया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित बेरोजगार कारीगार

1498. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 तक भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित कितने कारीगर बेरोजगार थे ;

(ख) क्या 1972 में रोजगार में लगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी हो गई है ; और

(ग) इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित बेरोजगार दस्तकारों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज रोजगार सहायता चाहने वालों (सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं है) की संख्या निम्नानुसार थी :—

अवधि		*अवधि के अन्त में चालू रजिस्टर में संख्या
1971	जनवरी . .	86,060
	जुलाई . . .	80,561
1972	जनवरी	1,05,506
	जुलाई	1,12,469

*जानकारी प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को समाप्त होने वाले अर्ध-वार्षिक अन्तरालों पर रोजगार कार्यालयों से एकत्र की जाती है। 31 जनवरी, 1973 की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास परियोजनाओं और वर्ष 1970–71 से चलाए गए विशेष कायक्रमों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित दस्तकारों सहित शिक्षित बेरोज़गारों को खपाने के लिए अधिकाधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सभी सम्भव कार्यवाही करती आ रही है। 1972–73 के बजट प्रस्तावों में विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित दस्तकारों को भी लाभ प्राप्त होने की आशा थी। इसके अतिरिक्त, औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित दस्तकारों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु शिक्षु प्रशिक्षण के लिए भी चुना जा रहा है। उद्योग के लिए कार्यकुशलता की आवश्यकताओं के अनकूल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायों में विविधता लाने और व्यवसायों में अल्प-पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कायक्रमों के आयोजन के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की गई है। इनमें तत्काल रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।

पाकिस्तानी युद्धबंदियों के भाग निकलने में सहायता करने वाले कथित भारतीय नागरिक

1499. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री हरी सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1972 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को अपने शिबिरों में से भाग निकलने में सहायता देने के विभिन्न मामलों में पांच भारतीय नागरिक अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए इन भारतीय नागरिकों के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जिनमें पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को भागने में सहायता करने के लिए भारतीय नागरिकों पर आरोप हैं। पहली घटना 6 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर तथा बरेली स्टेशनों के बीच हुई जबकि एक बन्दी भाग गया। चार भारतीय नागरिकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 255/130 के अधीन मामलों पर न्यायालयों में कार्रवाई चल रही है। युद्धबन्दियों बाद में पकड़ लिया गया। दूसरी घटना 13 अप्रैल 1972 को बरेली में हुई जबकि दो बन्दी भाग गये। इस संबंध में एक भारतीय नागरिक को भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के साथ गठित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए हवालात में बन्द कर दिया गया है।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता देना

1500. श्री एच० एम० पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को मान्यता दिये जाने के संबंध में पाकिस्तान ने कोई पहल की है ;

(ख) यदि नहीं; तो क्या सरकार इसे सिमला समझौते का उल्लंघन समझती है ; और

(ग) क्या सरकार ने बंगला देश की मान्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति भुट्टो से लिखा पढ़ी की है और यदि हां, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में राष्ट्रपति भुट्टो के इस आशय के वक्तव्यों की खबरें तो देखी है कि बंगला देश को मान्यता देना पाकिस्तान के हित में होगा लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ।

(ख) बंगलादेश को मान्यता प्रदान करने से निरन्तर इन्कार करते रहने से शिमला समझौते के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है, विशेषकर इसलिए कि इसकी वजह से युद्ध-बंदियों के प्रश्न पर त्रिपक्षीय वार्ता में बंगलादेश भाग नहीं ले सकता ।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार पर बार-बार इस बात का जोर दिया है कि इस उपमहाद्विप में संबंधों को सामान्य करने और स्थायी शांति कायम करने के लिए बंगलादेश को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। पहले एक बार पाकिस्तान सरकार ने यह संकेत दिया था कि वे बंगलादेश को मान्यता देने के स्तर पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ।

इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री का भारत का दौरा

1501. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री, श्री आदम मलिक ने इस वर्ष फरवरी के महीने में नई दिल्ली का दौरा किया ; और

(ख) उनके साथ किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ और क्या निर्णय लिए गये।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। श्री आदम मलिक इन्डोनेशिया के प्रधान मंत्री नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नियंत्रण में ली गई कोयला खानों के लिए सलाहकार बोर्ड

1502. श्री मुख्तियारसिंह मलिक :

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अपने नियंत्रण में ली गई गैर-कोकिंग कोयला खानों के प्रबन्ध में महापरिक्षक को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के लिए किन व्यक्तियों का नाम निर्देशित किया गया है ; और

(ग) सदस्यों के चयन के लिए अपनाये गए मानदंड क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

अत्याधुनिक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण

1503. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री गिरीधर गोमांगो :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अत्याधुनिक टैंक भेदी प्रेक्षपास्त्रों का निर्माण करने का है ।

(ख) क्या इन का निर्माण पूरी तरह से देश में ही किया जायेगा और इस की डिजाइन संबंधी जानकारी के लिए कोई विदेशी सहायता नही ली जायेगी ; और

(ग) इन टैंक भेदी प्रेक्षपास्त्रों का निर्माण वास्तव में कब से शुरू हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : भारत डायानामिक्स लिमिटेड में पहली जुलाई 1971 से टैंक रोधी प्रक्षपास्त्रों के निर्माण का कार्य पहले ही हाथ में ले लिया गया है । प्रक्षेपास्त्रों एक विदेशी फर्म के तकनीकी सहयोग से निर्माणाधीन है । प्रक्षेपास्त्रों को भविष्य में देशज जानकारी से निर्मित करने के विचार से अनुसंधान तथा विकास प्रयत्न भी जारी हैं ।

मध्य प्रदेश के मलंजखंड में भारतीय भू-सर्वेक्षण दल द्वारा तांबे के निक्षेपों का पता लगाना

1505. श्री राम भगत पस्वान : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मलंजखंड में भारतीय भू-सर्वेक्षण दल ने तांबे के विशालतम निक्षेपों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तांबे को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के मालंजखण्ड में बड़े ताम्र अयस्क निक्षेप का पता लगाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए धरातल और उप-धरातल अन्वेषणों के परिणामस्वरूप मालंजखण्ड ताम्र निक्षेप में अभी तक 1.1 से 1.4 प्रतिशत ताम्र को अन्तर्विष्ट करने वाली 400 लाख टन ताम्र अयस्क अनुमानित की गई है।

(ख) पब्लिक सेक्टर उपक्रम हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा इस पूर्वेक्षण की खुली ढलाई खनन के लिए विस्तृत समन्वेषण और निर्धारण प्रगति में है। हाल ही में, अंतिम विनिधान विनिश्चय लेने के लिए निक्षेप की साध्यता रिपोर्ट बनाने हेतु रूसी सरकार के साथ एक "प्रौटोकल" पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के शक्तियां और कार्य

1506. श्री राम भगत पस्वान : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का अध्यक्ष वे सभी कार्य करेगा तथा उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन तथा कंपनीयों के अन्तर्नियमों के अनुसार उसे दिये गये हैं। 'सेल' के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रपति सेल के निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति उसके परामर्श से करेंगे।

(2) राष्ट्रपति सेल के प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों यदि कोई हो की नियुक्ति उसके परामर्श से करेंगे।

(3) वह राष्ट्रपति की अनुमति से सहायक कंपनियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा।

(4) वह सहायक कंपनियों के अध्यक्षों के परामर्श से इन कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(5) वह सेल में तथा इसकी सहायक कंपनियों के उच्च पदों को भरने के लिए बनाई गई चयन समिति का अध्यक्ष होगा। चयन समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त, वित्त, कार्मिक तथा तकनीकी निदेशक भी होंगे तथा यथावश्यकता बाहर से, अर्थात सरकारी उद्योग और प्रबन्ध विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है।

(6) जब कभी भी आवश्यक होगा सरकारी कोष से सीधे 10 करोड़ अथवा इससे अधिक के बड़े-बड़े खर्चों के लिए सभी प्रस्तावों की जांच करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञों की तदर्थ समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति में अन्य सदस्यों के अलावा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के नामित व्यक्ति भी सदस्य होंगे।

(7) उसे किसी प्रस्ताव अथवा निदेशक मंडल के निर्णयों अथवा निदेशक मंडल के सम्मुख लाया गया कोई मामला जो उसकी राय में इतना महत्वपूर्ण हो कि उस पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता हो तो उस ऐसे मामले को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए रखने का अधिकार होगा तथा इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

(8) वह निदेश मंडल द्वारा सौपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

बिहार रेजोमेंट का निर्माण

1507. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "विंग" अथवा "केडर" के रूप में बिहार रेजीमेंट का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के समान बिहार में एक प्रशिक्षण कालेज अथवा देहरादून में एक कालेज खोलने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। बिहार रेजीमेंट हाल ही में सृजित नहीं की गई थी। इसकी पहली बटालियन सितम्बर, 1941 में और अन्तिम बटालियन जून 1971 में खड़ी की गई थी। यह इन्फन्ट्री की कई रेजीमेंटों में से एक है। और इसकी कोई मुख्य विशेषताएं नहीं है।

(ख) जी नहीं श्रीमन्।

जमशेदपुर बिहार में कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम को ठेकेदारों की फर्मों पर लागू करना

1508. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ठेकेदारों के बहुत से कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि ठकेदारों के कई प्रतिष्ठानों पर इसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया है, यदि हां, तो जमशेदपुर में ठेकेदारों के कौन-कौन से प्रतिष्ठान स्वतंत्र रूप से या टाटा बन्धुओं की मुख्य इकाई के साथ इसके अधीन आ चुके हैं और इन दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आ चुकें हैं।

(ख) क्या भविष्य निधि प्राधिकारी जमशेदपुर तथा कोडरमा खानमाला क्षेत्र में भविष्य निधि अधिनियम उचित प्रकार से लागू करने में असफल रहे हैं ; और

(ग) क्या इन दो स्थानों पर काफी कनिष्ट अधिकारी नियुक्त हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय संदन की मेज पर रख दी जायेगी।

हजारीबाग जिले में झुमरीतलैया में सैनिक स्कूल

1509. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले में झुमरीतलैया में एक सैनिक स्कूल है और यदि हां, तो यह स्कूल कब खोला गया था और इस पर कितना खर्च आया ;

(ख) क्या यह स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से सम्बद्ध है और एक रिहायशी सैनिक स्कूल है तथा इसमें कितने छात्रों के आवास की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या इसमें बिहारी लड़कों को प्रवेश में कुछ प्राथमिकता दी जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्। तिलया बांध में 16 सितम्बर 1963 को सैनिक स्कूल खोला गया था। भूमि, भवनों फर्नीचर तथा फिटिंग्स-साज-सज्जा आदि के लिए अनुदान बिहार राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। स्कूल स्थापित करने की लागत का पता लगाया जा रहा है।

(ख) जी नहीं श्रीमन्। छात्रवृत्ति पाने वाले सभी छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में शामिल होना पड़ता है और सफल हो जाने पर सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होना होता है। यह एक आवासीय स्कूल है और वहां पर रहने वाले छात्रों को जिनकी 29-8-72 को संख्या 400 थी, शयनागार आवास दिया गया है।

(ग) जी हां श्रीमन्। स्कूल में 67 प्रतिशत स्थान बिहार से आने वाले लड़कों के लिए आरक्षित है। वास्तव में, स्कूल में अध्ययन कर रहे 400 लड़कों में से 398 बिहार के रहने वाले हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अन्तर्गत भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दर्ज किए गए मुकद्दमे

1510. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अन्तर्गत मुकद्दमे दर्ज कराए गए हैं और यदि हां तो राज्यवार कितने मामले दर्ज किये गये हैं और गत तीन वर्षों में अब तक कितने मुकदमों में दोष सिद्ध हुआ ;

(ख) क्या बिहार में मेसर्स सी० एच० (पी०) लिमिटेड, सी० एस० आई० लिमिटेड, रिलायन्स फ़ायरब्रिक्स एण्ड पोटरी वर्क्स लिमिटेड अक्सर दोषी पाए गए हैं, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध धारा 406 और 409 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया ; और

(ग) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को गरीब कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे मुकदमें दर्ज करने के आदेश दिए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां। एक राज्यवार विवरण संलग्न है जिसमें 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन दायर किए मामलों की और उन मामलों की संख्या दर्शाई गई है जिन में दोष सिद्ध पाया गया।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हां।

विवरण

	गत तीन वर्षों (1969-70, 1970-71 और 1971-72) के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगटन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत दायर किये गय मामलों की संख्या	गत तीन वर्षों (1969-72, 1970-71 और 1971-72) के दौरान दोष-सिद्ध मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश . .	2	—
असम	11	—
बिहार . . .	3	—
दिल्ली . .	3	—
गुजरात . .	1	—
केरल	12	—
मध्य प्रदेश . .	25	1
महाराष्ट्र . . .	78	3
मैसूर	12	—
उड़ीसा . . .	—	—
पंजाब	13	1
राजस्थान . . .	6	—
तमिल नाडु . . .	—	—
उत्तर प्रदेश . . .	8	—
पश्चिम बंगाल . . .	41	—
जोड़ .	215	5

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रबन्ध तथा उत्पादन और कोयले की बिक्री पर प्रभाव

1511. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों को औपचारिक रूप से सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के दौरान गैर-सरकारी कोयलाखान मालिकों ने अवैध रूप से अपनी फर्मों के कागज़ात, उपकरण आस्तियां आदि गायब कर दी थी और कितनी तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) खानों के प्रबंध और कोयले की बीक्री को लोकतंत्री रूप प्रदान करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है ताकि उनमें कुशलता बढे और उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सुस्पष्ट रूप से यह बताना समय सूर्व की बात होगी कि सरकार द्वारा औपचारिक प्रबंध ग्रहण के दौरान क्या प्राइवट कोयला खान स्वामियों द्वारा अवैध रूप से दस्तावेज, उपस्कर, आस्तियां इत्यादि हटाए गए थे अथवा नहीं और किस सीमा तक। इस बारे में रिपोर्टें, कोयला खान प्राधिकारी के अंतर्गत संकलन, प्राप्ति और परीक्षण के क्रम में है और वास्तविक स्थिति निर्धारित करने में समय लगेगा। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का प्रश्न उसके पश्चात् ही उठेगा।

(ख) उन समस्त कोयला खानों पर, जिनका कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) के अधीन सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण किया गया था। पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए सरकार ने महाभिरक्षक नियुक्त किया है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। उसे, अतिरिक्त और उप महाभिरक्षक तथा अन्य अधिकारियों की सहायता प्राप्त है।

प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए, ग्रहीत कोयला खानों को 49 दलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दल पब्लिक सेक्टर कम्पनियों अथवा कोयला बोर्ड अथवा खान सुरक्षा महानिदेशालय में से लिए गए अभिरक्षकों के अधीन है। अर्हता-प्राप्त अभियंता प्रत्येक खान में प्रवन्धक के रूप में नियुक्त है।

अध्यादेश के अधीन महाभिरक्षक में निहित शक्तियों के अतिरिक्त, खानों के सही रूप में कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए, महाभिरक्षक द्वारा अतिरिक्त महाभिरक्षकों और उप-महाभिरक्षकों को पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं, विशेषतया रेलवे, तापीय विद्युत घरों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों तथा प्रमुख उद्योगों को आपूर्तियों में कोई रूकावट न हों, रेलवे के साथ परामर्श करके विशेष कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित करने के लिए कि सम्पूर्ण देश में कोयले के विक्रय और वितरण में कोई कठिनाई न हो, कोयला व्यापारियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया है।

विदेशी स्वामित्व वाली खान और इंजीनियरी फर्में

1512. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सामित्व वाली खान और इंजीनियरी फर्मों की संख्या उनकी कुल पूंजी तथा वार्षिक आय सम्बन्धि जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में विदेशी स्वामीत्व वाली फर्मों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई तथा कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या इनमें से किसी एक अथवा सब फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खनन और इन्जीनियरी वस्तुओं के विनिर्माण में नियुक्त विदेशी नियंत्रित कम्पनियों की मार्च, 1969 के अंतिम चरण तक कुल संख्या 242 थी।

मार्च, 1969 के अंतिम चरण में इन कम्पनियों में परादेय विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान और उस पर उपार्जित लाभ नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपयों में)

	खनन	इंजीनियरी सामान का विनिर्माण
परादेय विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान . .	3.7	145.6
विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान पर उपार्जित लाभ (शुद्ध कर)	0.2	11.5

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

(घ) इस प्रश्न पर कि क्या खनन/इंजीनियरी एककों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, अथवा नहीं, सरकार द्वारा उचित समय पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

कोयला खान मालिकों को मुआवजा देना

1513. श्री एम० एस० पुरती : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कोयला खान मालिकों को तब तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक उनसे श्रमिकों और राज्य सरकारों को देय बकाया राशि वसूल नहीं कर ली जाती ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) जब कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए संसद में विधेयक रखा जाएगा, विवरणों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

अग्निगुण्टला तांबा खान का विकास

1514. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्निगुंटला तांबा खान परियोजना के विकास पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : संदर्भ, सम्भवतया आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्टला ताम्र सीसा परियोजना की नल्लाकौण्डा ताम्र निक्षेप से संबंधित है। इस समय, नल्लाकौण्डा में समन्वेषी खनन प्रायोजना प्रगति में है। इस प्रायोजना पर अभी तक 33.28 लाख रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

नवीन औद्योगिक सम्बन्धी नीति की मांग

1515. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री द्वारा की गई नई औद्योगिक सम्बन्धि नीति की मांग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) इसको कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सरकार एक नई औद्योगिक संबंध नीति के प्रस्तावों पर विचार कर रही है और इसे यथाशीघ्र अंतिम रूप देने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Employment of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Public Undertakings of Ministry of Steel and Mines

1516. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are not called for interview separately in the Undertakings of his Ministry as required by the rules of the Home Ministry; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are called for interview for appointment separately by the Bokaro Steel Ltd.

Hindustan Steel Ltd. are, however, calling these candidates for interview along with other candidates, though due relaxation and weightage are given by them to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates at the time of written examination and interview.

Information from another Undertaking in the Department of Steel, namely, Hindustan Steel Works Construction Ltd., Calcutta, and from the Undertakings under the Department of Mines in the Ministry of Steel & Mines is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

नेपाल जाने वाले ब्रिटिश राहद विमानों को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ने को अनुमति न देने का कथित समाचार

1517. **श्री वी० के० दास चौधरी :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की जानकारी है कि भारत ने नेपाल जाने वाले ब्रिटिश राहत विमानों को भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन के अखबारों की खबरें गलत हैं । हमने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन और नेपाल महामहिम की सरकार को सूचित कर दिया है कि भारत सरकार को नेपाल जाने वाले ब्रिटिश सहायता जहाजों को भारतीय प्रदेश पर से उड़कर जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता करने का प्रस्ताव

1518. श्री हरी किशोर सिंह :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने आमतौर से यह मत व्यक्त किया है कि वह उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण के काम में सहायता प्रदान करने को इच्छुक हैं लेकिन विशिष्ट प्रस्तावों पर द्विपक्षीय वार्ता के जरिये समुचित अवसर पर ही विचार किया जा सकता है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के लिए आचार संहिता

1519. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए आचार संहिता अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5घ(6) के अन्तर्गत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार नियम बनाने वाली प्राधिकारी है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के लिए आचरण नियम अभी सरकार द्वारा बनाये जाने हैं।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या

1520. श्री समर मुखर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में इस समय राजनयिकों समेत श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4344/73**]

बाटली वोर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड संघ के संयुक्त सचिव को बर्खास्त करना

1521. श्री समर मुखर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान मजदूर संघ गतिविधियां प्रवंध मण्डल द्वारा बाटली बोर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड संघ के संयुक्त सचिव को बर्खास्त करने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रम विभाग ने बर्खास्त करने के आदेश को वापिस लेने और श्रमिक नेता को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट पदच्युति के बारे में श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

फैक्टरी रोजगार सूचकांक और वास्तविक मजूरी

1522. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमानित फैक्टरी रोजगार (आधार 1961 में 100) का सूचकांक 1970-71 में बढ़कर 126.00 हो गया है ;

(ख) क्या एकाधिकार उद्योगों का सूचकांक 1961 के 109.2 से बढ़ कर 1971 में 177.2 हो गया है ;

(ग) क्या वर्ष 1970-71 में वास्तविक मजरी में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक मजूरी में गिरावट को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कारखाना रोजगार (आधार 1961=100) का सूचक 1970 में 127·0 (संशोधित) और 1971 में 127·7 (अनन्तिम) था ।

(ख) विनिर्माता उद्योगों के ग्रूप के औद्योगिक उत्पादन (आधार 1960=100) का सूचकांक जो 1961 में 109·2 था, 1971 में चढकर 177·2 (अनंतिम) हो गया ।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ड) में यथा परिभाषित, कारखानों में नियोजित 400 रु० प्रति माह से कम वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों के बारे में वास्तविक आय (आधार 1961=100) का सूचक वर्ष 1970 के लिए अनंतिम रूप से 98 अनुमानित था। 1971 के बार में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) मजदूरी नीति से सम्बन्धित इस मामले तथा अन्य मामलों का अध्ययन किया जा रहा है।

Uniform Laws for Employees working in Shops and Establishments in States

1523. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether uniform laws have not been enacted in regard to uniform conditicns of services for emlopyees working in shops and establishments in various States;

(b) if so, whether Bihar Rajya Dukan Evam Pratisthan Karamchari Mahasangh (Bihar State Shops and Establishments Employees Federation) and similar associaticns in some other States have been agitating in support of their demand for the enactment of such legislation; and

(c) if so, the reaction of the Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The provisions of laws enacted in various States for the employees in shops and establishments are not uniform.

(b) No such agitation has come to the notice of Government.

(c) Dces nct arise.

बिहार के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में रिक्त पड़े पद

1524. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में मार्च, 1972 से रिक्त पड़े भविष्य निधि निरीक्षक ग्रेड II, का एक पद, विभागीय पदोन्नति कोटे के अधीन उच्च श्रेणी लिपिकों के पांच पद और केवल परिवार पेंशन योजना के लिए ही मंजूर किए गए अवर श्रेणी लिपिकों के 9 पद अभी तक नहीं भरे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसमें असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही का गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : जिन पदों का उल्लेख किया गया है उनको भरने का प्रश्न कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासी क्षेत्राधिकार में आता है । सरकार के पास प्रस्तुत करने को कोई सूचना नहीं है ।

दानापुर छावनी क्षेत्र के असैनिक लोगों को हटाने का प्रस्ताव

1525. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रैंडस्क्वायर, दानापुर छावनी के निजी आवासीय मानों को सरकार पुनर्गृहीत कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से एक मकान में डाक तथा तार कार्यालय स्थित है जो स्थानीय सेना अधिकारियों, छावनी के असैनिकों तथा निकटस्थ क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है और यह एक केन्द्रीय स्थान पर है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से मकानों पर ऐसे मकानमालिकों का अधिकार है जो वहां एक शताब्दी से रह रहे हैं; और

(घ) क्या छावनी क्षेत्र में सरकार द्वारा अप्रयुक्त बहुतसी भूमि खाली पड़ी है और यदि हां, तो असैनिक मालिकों को वहां से क्यों हटाने का प्रस्ताव है जबकि खाली भूमि उपलब्ध है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस स्थान पर भूमि तथा आवास संबंधी रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दानापुर ग्रांड स्क्वायर में चार आवासीय भवनों के पुनर्गहण को सरकार ने मंजूर कर दिया है ।

(ख) उपर्युक्त चार भवनों में से किसी में भी पोस्ट आफिस नहीं है ।

(ग) च र भवनों में से तीन पहले ही सरकार के पास किराए पर थे और एक जीर्णावस्था में था ।

(घ) जी नहीं, श्रीमन् ।

दानापुर छावनी के 'सर्वे' संख्या 214 के पट्टे का नवीकरण

1526. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दानापुर छावनी के 'सर्वे' संख्या 214 के पट्टे का नवीकरण करने में असफल रही है, सो कई वर्ष पहले समाप्त हो गया था;

(ख) क्या पट्टेधारी से पट्टे की शर्तों के अनुसार समयपर नवीकरण के लिए आवेदन पत्र भेज दिया था;

(ग) क्या पटटे का नवीकरणन करने के कारण जायदाद का मूल्य नही दिया गया है; और

(घ) पुर्नग्रहण के बाद सरकार का विचार जायदाद के मालिकों को किस प्रकार बसाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दानापूर छावनी का 'सर्वे' संख्या 214 'ओल्ड ग्रांट' शर्तों पर है पट्टे पर नही। अत: पट्टे के नवीकरण का प्रश्न नही उठता।

(ख) क्योंकि स्थल पट्टे पर नही है अत: पट्टेधारी द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन पत्र भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नही उठता।

(घ) पुनर्ग्रहण के पश्चात दानापूर छावनी में भूतपूर्व मालिकों के पुनर्वास को कोई प्रस्ताव नही है।

हिन्द-चीन में शान्ति स्थापना के लिए एशियाई सम्मेलन का प्रस्ताव

1527. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम युद्ध विराम सम्बन्धी शर्तों की घोषणा के तुरन्त बाद जापानी सरकारी प्रवक्ता ने हिन्द-चीन में शान्ति स्थापना के लिए एक बृहत् एशियाई सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां। सरकार ने इस आशय का एक प्रसंग प्रधान मंत्री तनाका के उस भाषण में देखा है जो उन्होंने 27 फरवरी 1973 को डायट के विशेष सत्र में दिया था।

(ख) यह केवल विचारों की सामान्य अभिव्यक्ति है और अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है जिस पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके।

तांबे का आयात और उत्पादन

1528. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तांबे की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता क्या है तथा देश में इसका कितना उत्पादन होता है।

(ख) क्या आवश्यकता के अधिकांश भाग का आयात किया जाता है।

(ग) यदि हां, तो तांबे के आयात पर कितना वार्षिक व्यय होता है ; और

(घ) देश में तांब का उत्पादन करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) ताम्र और निकल के बारे में योजना उप-दल (कार्य-दल) के अनुसार, 1972-74 की कालावधि के दौरान ताम्र की अनुमानित आवश्यकता 83,700 दटन प्रतिवर्ष है। 1972 के दौरान ताम्र का उत्पादन 10,264 टन था। 1973-74 के दौरान ताम्र का परिकल्पित उत्पादन 20,000 टन है।

(ख) और (ग) : 1971-72 और 1972-73 के (जुलाई, 1972 तक) दौरान ताम्र और इसके मिश्र धातुओं इत्यादि का उत्पादन 56,173 और 21,228 टन था जिनका मूल्य क्रमशः 51.18 और 18.92 करोड़ रूपये है ।

(घ) देश में ताम्र धातु की अत्यधिक मांग और अत्यल्प उत्पादन में की दूरी को कम करने के लिए देश में विभिन्न ताम्र परियोजनाओं/प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। 1967 में सरकार ने हिन्दुस्थान ताम्र लिमिटेड नामक पृथक निगम की स्थापना की है और यह कम्पनी देश में विभिन्न ताम्र परियोजनाओं/ प्रायोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। कम्पनी के पास मुख्य परियोजना खेतड़ी ताम्र परियोजना है जिसे 31,000 टन विद्युत विश्लेषी ताम्र धातु प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए विकसित किया जा रहा है । परियोजना के 1973-74 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की सम्भावना है । कम्पनी, राजस्थान में दरीबा और चान्दमारी ताम्र परियोजना, आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुंडला ताम्र सीसा परियोजना मध्य प्रदेश में मालंजखण्ड ताम्र परियोजना और बिहार में राखा ताम्र परियोजना को भी विकसित कर रही है ।

1972 में सरकार ने भारतीय ताम्र निगम, घाटसिला, बिहार के (प्राइवेट सेक्टर में की एक मात्र कम्पनी) उपक्रम को भी अर्जित किया है । उक्त निगम पहले ही लगभग 10,000 टन ताम्र प्रतिवर्ष उत्पादन कर रहा है, और इस संकुल के सामूहिक विकास का कार्य हिन्दुस्थान ताम्र लिमिटेड को सौंपा गया है ।

भविष्य में ताम्र धातु के उत्पादन को वर्धित करने की दृष्टि से देश में नए ताम्र निक्षेप अवस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा समस्त संभव उपाय किए जा रहे है ।

शिमला समझौते के कार्यान्वयन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारी स्तर की बैठक

1530. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में अगले कदम के लिए पथ प्रशस्त करने हेतु निकट भविष्य में भारत तथा पाकिस्तान के बीच अधिकारी-स्तर की कोई बैठक हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक की कार्यसूची क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) इस तहर की बैठक बुलाने के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यादेश के अन्तर्गत कोयला खान मालिको को दंडित करना

1531. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा-परिरक्षक को अस्तियों का लेखा न पेश करने के कारण हाल ही में उद्घोषित कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अन्तर्गत किसी कोयला खान मालिक को दण्डित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

Refugees Living in camps in Purnea, district of Bihar

1532. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees living in refugees camp in Purnea District of Bihar State; and

(b) the steps taken by Government so far to rehabilitate the refugees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri K. V. Raghunatha Reddy) : (a) As on 31st January, 1973, there were 545 families (2,492 persons) of migrants from former East. Pakistan and 264 families (1,118 persons) of repatriates'from Burma in Maranga Camp in Purnea District of Bihar State. These figures include 97 families (26 persons) of the Permanent Liability category.

(b) Schemes for the rehabilitation of all the agriculturist families of migrants from former East Pakistan in Maranga Camp have been sanctioned and land acquisition proceedings are going on. As regards non agriculturist families of migrants from former East Pakistan, the State Government are exploring the possibilities of their rehabilitation in Purnea District, since these families prefer to be rehabilitated in Purnea District itself.

As regards families of Burma repatriates, there are 437 agriculturist families and 17 non-agriculturist families of Burma repatriates in Maranga and another camp in Bihar. Schemes for the rehabilitation of 152 agriculturiest families have been sanctioned and land acquisition proceedings are going on. Schemes for 207 agriculturist familes and 17 non agriculturist families are under consideration.

Treatment of Indian POWs in Pakistan

1533. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state;

(a) whether Indian POWs repatriated from Pakistan have complained of the treatment meted out to them there ; and

(b) the main points of said complaints and the re action of the Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b): Some Indian personnel repatriated from Pakistan have complained of ill-treatment while they were in custody. These statments are at present under study with a view to lodging a protest through the International Committee of Red Cross.

Expulsion of Indians from Abroad

1534. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians forced to leave foreogn countries during the last three years; the names of those contries and the reasons for their expulsion from each of the countries;

(b) the number out of them who took shelter in India; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of External Affairs : (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) : A statment is placed on the Table of the House, **[Placed in Library. See No. L.T. 4345/73.]**

Running of Nationalised Coal Mines through National Coal Development Corporation

1535. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government would run all the coal mines taken over by them through National Coal Development Corporation,

(b) whether Government would give preference to local people in managerial and other appointments; and

(c) if so, an outline of the action proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines : (Shri Subodh Hansda) : (a) The Government have already vested the management of 145 mines with the Bharat Coking Coal Ltd. and of 5 mines with the Industrial Reconstruction Corporation of India. A final decision about the management of the rest of the mines is yet to be taken.

(b) & (c) : The guidelines laid down by the Government for recruitment to the Public Sector Companies will be followed as and when new recruitment is made.

जिला पालामऊ की कोयला खानों से निर्यात किया गया कोयला

1536. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला पालामऊ की कोयला खानों से कोयला विदशों को भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो यह कोयला किन किन देशों को भेजा जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में जिला पालामऊ की कोयला खानों से कितना कोयला निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1537. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्योगों की आवश्कताओं को पूरा करने के लिये सरकार 1976 तक इस्पात में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : आशा है कि बोकारो इस्पात कारखाना चालू हो जाने तथा वर्तमान इस्पात कारखानों द्वारा अपनी क्षमता के 90 प्रतिशत तक उत्पादन करने लगने से इस्पात को उत्पादन में 2 या 3 वर्ष में आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

अलौह उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1538. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलौह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचर कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और अन्य राज्यों में श्रमिक अशान्ति

1539. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण बिहार में श्रमिक अशान्ति फैल रही है; और

(ख) बिहार तथा अन्य सभी राज्यों में श्रमिक अशान्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : मामला आवश्यक रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। जैसा कि वर्तमान संविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है। राज्यों में औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्वारा संराधन, न्याय निर्णय और विवाचन द्वारा काम बन्दियों को कम करना जारी है।

त्रिवेन्द्रम में सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र

1541. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री पीलू मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में शीघ्र ही एक सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र कार्य आरम्भ कर देगा;

(ख) क्या यह केन्द्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में भारत स्थित सोवियत दूतावास द्वारा दिये जाने वाले धन से चलेगा जो वहां काम करने के लिये सोवियत कर्मचारी भी उपलब्ध करेगा; और

(ग) क्या ऐसे प्रबन्ध अन्य सभी विदेशों के लिये भी उपलब्ध हैं और क्या किन्हीं अन्य देशों ने भी ऐसा करने के लिये इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह केन्द्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में चलाया जाएगा और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का राजदूतावास इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करेगा; सोवियत राजदूतावास का यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया गया है कि इस केन्द्र में सोवियत भाषा शिक्षक को काम करने की अनुमति दी जाए।

(ग) भारत में विदेशी सांस्कृतिक कार्यकलापों के नियमन और समीक्षा के लिए सरकार ने जो ढांचा तैयार किया है, उसके अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद उन सभी सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन से संम्बद्ध होगी जिन्हें विदेशी मिशनों ने उस स्थानों में स्थापित किया है जहां उनको कोई राजनयिक/कोसंली व्यवस्था नहीं है। यह प्रबंध सभी विदेशों पर लागू होता है। सोवियत राजदूतावास को छोड़कर फिलहाल, ब्रिटिश हाई कमीशन ही एक ऐसा विदेशी मिशन है जो ऐसे स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र चलाने का इच्छुक है जहां उसकी कोई राजनयिक/कोंसली व्यवस्था नहीं है। इस तरह के ब्रिटिश केन्द्रों के संचालन के लिए ठीक-ठीक प्रबंध करने पर बातचीत चल रही है।

खान मालिकों द्वारा खानों पर सरकारी नियंत्रण संबंधी अध्यादेश लागू होने के पश्चात बैंकों से धन निकालना

1542. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि गैर-कोक कर कोयला खाने एक अध्यादेश द्वारा सरकारी नियंत्रण में आ गई थी; फिर भी बैंकों को उसी समय ये हिदायतें नहीं दी गई कि वे उन खानों के मालिकों को उन कम्पनियों का धन बैंकों से निकालने न दें।

(ख) क्या इस चूक से लाभ उठा कर कुछ खान मालिकों ने खानों के नाम से बैंकों में जमा धन निकलवा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी राशि निकलवा ली गई है और उन खानों के प्रबंधकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण), अध्यादेश, 1973, 30 जनवरी, 1973 की सायं को प्रख्यापित किया गया था । 31 जनवरी, 1973 की प्रातः कोयला खान प्राधिकारी ने कलकत्ता में समस्त बैंकों को सूचित किया कि वह सारे देश में अपनी शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि वे खानो के ग्रहण से सम्बन्धित समस्त संव्यवहारों को बन्द कर दे । उन्होंने प्रेस नोट जारी किए और 1 फरवरी, 1973 की प्रातः उन्होंने समाचार पत्रों में इस बारे में सूचना भी प्रकाशित की ।

अभी तक कोयला खान प्राधिकारी की जानकारी में कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी कोयला खान कम्पनी को बैंक से मुद्रा निकलवाने की स्वीकृति दी गई हो । यदि ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

रक्षा प्रतिष्ठानों के कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना

1543. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री दीनेन जोरदर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध कैन्टीन कर्मचारियों को पूर्ण रूपेण सरकारी कर्मचारी मानने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : जी नहीं श्रीमन् । मामला न्यायाधीन है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक विस्फोटक सामग्री कारखाना लगाना

1544. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उड़ीसा में एक विस्फोटक सामग्री कारखाना लगाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : रक्षा सेक्टर में उड़ीसा में एक विस्फोटक सामग्री फैक्टरी स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत और श्रीलंका के बीच श्रीमावो-शास्त्री समझौते की क्रियान्विति

1545. श्री सी० टी० दंडपाणि :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वीप में भारतपूल के लोगों के बारे में श्रीमावो-शास्त्री समझौते की क्रियान्विति से संबंधित प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए 14 और 15 फरवरी, 1973 को भारत और श्रीलंका के शिष्टमंडल के सदस्यों की एक बैठक हुई थी, और यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिय गये ; और

(ख) क्या इस समझौते को कार्य रूप न देने के लिए श्रीलंका ने भारत को दोषी ठहराया है और यदि, हां, तो इस मामले में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय अधिकारियों के एक दल ने 14 से 17 फरवरी, 1973 तक श्रीलंका के अधिकारियों के साथ समझौते की प्रगति की समीक्षा के लिए कोलम्बो की यात्रा की। समझौते को सुप्रवाही ढंग से एवं पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सभी संभव तरीके अपनाने को दोनों पक्ष सहमत थे।

(ख) जी नहीं।

युद्धबन्दियों के परिवारों से प्रधान मंत्री के नाम खुला पत्र

1546. श्री सी० टी० दण्डपाणि :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रधान मंत्री को युद्धबन्दियों के परिवारों ने एक खुला पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा था ; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने उसका उत्तर दिया है या क्या इस बारे में उन्होंने कोई वक्तव्य दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं।

(ख) और (ग) : प्रधान मंत्रीजी को इस तरह का कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है।

न्यूयार्क में छोटे कार्यों में लगे भारतीय इंजीनियर

1547. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि न्यूयार्क नगर में बहुत से अर्हता प्राप्त भारतीय इंजीनियर छोटे कामों में लग हुए हैं यद्यपि वे विभिन्न सार्वजनिक उपयोगी एजन्सियों में नौकरियों के लिए सिविल सेवा स्तरों में उत्तीर्ण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों में मंदी के कारण अमेरिकी एवं विदेशी दोनों, इंजीनियरों को अपने व्यवसाय से इतर व्यवसायों में काम करना पड़ रहा है।

कृषि श्रमिक की तुलना में औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय में वृद्धि

1548. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक दशक में औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) पिछले एक दशक में कृषि श्रमिक की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, जो 400 रुपये प्रति मास से कम कमाता है और जो कारखानों में नियोजित हैं, 1961 में 1540 रुपयों से बढ़कर 1970 में 2725 रुपये (अनन्तिम) हो गई।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे गये शिष्टमंडलों पर हुआ व्यय

1549. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र को भेजे गये शिष्टमंडलों पर प्रति वर्ष कितना रुपया व्यय किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : वास्तविक व्यय के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और संदन की मेज पर रख दिए जायेंगे।

अनिवार्य बोनस की घोषणा के पश्चात हुई हड़तालें, तालाबन्दियाँ और आन्दोलन

1550. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं में सरकार द्वारा अनिवार्य बोनस की घोषणा के बाद कितनी हड़तालें, तालाबन्दियां और आन्दोलन हुए हैं ;

(ख) गत छः मास में बोनस सम्बन्धी इन हड़तालों से उद्योग को धन के रूप में कितना घाटा हुआ ;

(ग) क्या अनिवार्य बोनस योजना लागू होने के कारण उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(घ) इस से अनाज और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ड़) क्या इस अनिवार्य बोनस के मूल्य-स्तर पर हुए प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ड़) : काम बन्दियों, उत्पादन और मूल्यों पर बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत बोनस के संधात का कोई अध्ययन नही किया गया है।

श्रीलंका को रक्षा सहायता

1551. **श्री मनोरंजन हजरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार को वर्ष 1971 और 1972 में रक्षा सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : 1971 में जब श्रीलंका के कुछ नागरिक दलों से विद्रोह की आशंका थी तो श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया। भारत सरकार ने वो सभी सहायता देने की स्वीकृति दे दी जो हमारे स्त्रोतों के अन्दर सम्भव थी। हमने गैर-घातक कार्यों के लिए हैलीकाप्टर और श्रीलंका के तट की गश्त के लिए भारतीय नौसैनिक जहाज़ दिये। हमने कुछ सैनिक उपस्कर भी भेजे और अपने उपस्करों की सुरक्षा और उचित उपयोग का सुनिश्चय करने के लिए कुछ सैनिक भी भेजे।

रक्षा क्षेत्र में मित्र देशों के साथ सहयोग की सामान्य नीति के अनुरूप श्रीलंका के रक्षा कार्मिकों को 1971 और 1972 में हमारी रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाएं दी गई थी।

राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज, देहरादून में प्रवेश के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरक्षण

1552. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज, देहरादून में प्रवेश के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तथ्य इस कालेज के विवरणिका में भी उल्लिखित है;

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी सीटें आरक्षित हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के इस बोटे के आरक्षण के मापदण्ड क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) विवरणिका में प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सीटों का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रीय इण्डियन मिलिटरी कालेज के लिए विनियमों (जो मूल्य पर बेचा जाने वाला प्रकाशन है) में इसका उल्लेख भी किया जाता है कि राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जाएंगी।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज में प्रवेश के लिए प्रत्येक राज्य को एक इकाई माना जाता है, संघ शासित क्षेत्रों को मिला कर एक यूनिट माना जाता है। सीटों के आवंटन को जनसंख्या के आधार पर इस ढंग से उपलब्ध किया जाता है जिससे कि प्रत्येक राज्य को कम से कम एक सीट अवश्य मिले।

हिमाचल प्रदेश के लिए सैनिक स्कूल

1553. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल की स्थापना के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद क्या राज्य में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के लिए किस स्थान अथवा स्थानों की सिफारिश की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसद् सदस्यों को गणतंत्र दिवस के पास देना

1554. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार में संसद् सदस्यों को गणतंत्र दिवस के पास देने की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) संसद् सदस्यों तथा उनके अतिथियों के लिए गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रण-पत्र देने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : वर्तमान पद्धति के अनुसार, सभी संसद् सदस्यों से लिखित रूप में यह बताने का अनुरोध किया जाता है कि क्या वे गणतंत्र दिवस परेड में उपस्थित होंगे अथवा नहीं । गणतंत्र दिवस परेड के लिए निमंत्रण-पत्र उन संसद सदस्यों को (उनकी पत्नी/पति के साथ, यदि कोई हो) भेजे जाते हैं जो समारोह में उपस्थित होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं । इसके अतिरिक्त, संसद् सदस्यों को उनके सम्बन्धियों/अतिथियों के लिए भी निमंत्रण-पत्र भेजे जाते हैं । सामान्यत:, किसी संसद् सदस्य को उसके संबंधियों/अतिथियों के लिए चार सीटों से अधिक के लिए निमंत्रण-पत्र नहीं दिए जाते । तथापि, सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों में ढ़ील दी जाती है । संसद् सदस्यों की सुविधा के लिए इस मंत्रालय के निमंत्रण कार्यालय में एक पृथक काउंटर खोला जाता है । ये प्रबंध सब मिलकर कई वर्षों से संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं और वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, इसमें किसी सुधार के लिए सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

सेना इंजीनियर सेवा के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति

1555. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियर सेवा में गत चार वर्षों से सहायक कार्यकारी इंजीनियर से कार्यकारी इंजीनियर के पद पर कोई पदोन्नति नहीं हुई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या सेना इंजीनियर सेवा में कार्यकारी इंजीनियरों के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा में निराशा को दूर करने के लिये रिक्त पड़े इन सभी पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : सैनिक इंजीनियरी सेवा में लगभग पिछले चार वर्षों से सहायक कार्यकारी इंजीनियर से कार्यकारी इंजीनियर के पद पर कोई पदोन्नति नहीं हुई है क्योंकि अदालतों में अनिर्णीत पड़े मामलों के कारण सीधे भर्ती किये गए और विभागीय पदोन्नत कर्मचारियों की सम्बन्धित वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकी । इस समय कार्यकारी इंजीनियरों के 29 रिक्त स्थान है और इन स्थानों के लिए पदोन्नति द्वारा अन्तिम रूप से चयन के लिए यथाशीघ्र प्रयास किये जा रहे हैं ।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के सैनिक/असैनिक अधिकारियों पर व्यय

1556. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० में तैनात एक सैनिक अधिकारी पर होने वाला व्यय समान रैंक के असैनिक अधिकारी से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन और भत्तों, मकान किराये, छुट्टी और उनके विशेष अध्ययन पर होने वाले व्यय का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या एम० ई० एस० में असैनिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि प्रशासनिक व्यय को कम किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमन् ; एम० ई० एस० में तैनात एक सब्सटेंटिव्ह रेंक के सेना अधिकारी पर व्यय सम कक्ष रेंक के सिविलियन अफसर से अधिक है ; किन्तु सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का अधिकतम वेतन मान 1800 रुपए है जब कि सब्सटेंटिव लेफ्टि० कर्नल का अधिकतम वेतन मान 1500 रुपए है।

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के सैनिक अफसरों तथा सिविलियन अफसरों के मध्य वेतन मानों, भत्तों, मकान किराया, छुट्टी तथा विशेषज्ञ अध्ययन पर होने वाले व्यय में निम्नलिखित अन्तर है :—

एम० ई० एस० के (सम कक्ष रेंक के) सैनिक/सिविलियन अफसरों के संबंध में वेतनमान :—

सैनिक अफसर	सिविलियन अफसर
कैप्टन—एक्टिंग तथा सब्सटेंटिव रेंक 630—40—990 रुपए	असिटेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 400—400—450—30—600—35 —670— द० रो०—35—950 रुपए
मेजर—एक्टिंग रेंक रुपए 840—40/2—880 (वेतन वृद्धि जैसी सब्सटेंटिव रेंक में नीचे दर्शायी गई है) सब्सटेंटिव रेंक — 920—960—1000—1040—1050—1050—50/2—1300	एक्जीक्युटिव इंजीनियर 700—40—1100—50/2—1250 रुपए
लेफ्टि० कर्नल 1100 रुपए (असली वेतन वृद्धियां जैसी नीचे सब्सटेंटिव रेंक में दर्शायी गई हैं) सब्सटेंटिव रेंक— 1300—50/2—1500 रुपए	सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर 1300—60—1600—100—1800 रुपए

भत्ते

महंगाई भत्ता तथा (नगर) प्रतिकर भत्ता दोनों ही सैनिक तथा सिविलियन अफसरों के लिए समान है इसके अलावा सैनिक अफसरों को किट अनुरक्षण भत्ता, विशेष डिस्टैंक्स भत्ता, आउट फिट भत्ता, योग्यता वेतन, यदि ग्राहय हों, मिलते हैं।

मकान किराया

सैनिक अधिकारियों के मामले में आवास व्यवस्था एक सेवा शर्त है किन्तु सिविलियन अफसरों के मामले में ऐसा नहीं है।

सैनिक अफसरों के मामले में प्रभारित लाइसेंस फीस वेतन का 5% (ब्रिगेडियर के रेंक तक तथा 10% जनरल अफसरों के मामले में) या निर्धारित लाइसेंस फीस, इसमें जो भी कम हो।

सिविलियन अफसरों के मामले में लाइसेंस फीस वेतन का 10% या निर्धारित लाइसेंस फीस, इसमें जो भी कम हो।

छुट्टी

सैनिक अफसर वर्ष में 20 दिन की आकस्मिक छुट्टी, एक वर्ष में 60 दिन की वार्षिक छुट्टी तथा प्रत्येक 3 वर्ष में दो माह की फरलो छुट्टी जो कि असंचित होगी के हकदार हैं।

सिविलियन अफसर 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी, 2 प्रतिबंधित छुट्टीयों तथा डयूटी की अवधि के दिनों का 1/11 अर्जित छुट्टी प्राप्त करते हैं।

विशेषज्ञ अध्ययन पर व्यय

एम० ई० एस० में तैनात सैनिक अफसरों को लगभग 3 महीना का वर्क्स अटैचमेंट के लिए विशेष अध्ययन मंजूर किया जाता है। यह केवल उन अफसरों को जो मेजर के रूप में पहली बार एम० ई० एस० में तैनात किए जाते हैं प्रशिक्षण के लिए मंजूर किया जाता है। जिन अफसरों को प्रारम्भ से केप्टन के रूप में तैनात किया जाता है, वर्क अटेचमेंट नहीं मंजूर किया जाता है। निर्माणकार्य नियुक्तियों के लिए अन्य सब विशेषज्ञ प्रशिक्षण सिविलियन अफसरों को भी दिए जाते हैं जैसे निर्माण कार्य प्रबन्ध पाठ्यक्रम, जहां प्रत्येक पाठ्यक्रम में 20 सिविलियन अफसरों तथा 10 मिलिट्री अफसरों को एम० ई० एस० प्रक्रिया प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी नहीं श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस (एम० इ० एस०) में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का अनुपात

1557. श्री हरी सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तक के पद पर असैनिक और सैनिक अधिकारियों का अनुपात 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपरिन्टेंन्डेंट इंजीनियर तक के सभी पदों पर असैनिक अधिकारियों को रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) और (ग) : अधीक्षक-अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता के ग्रेडों में सिविलियन अधिकारियों की वर्तमान संख्या हरेक ग्रेड में कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम है। कार्यपालक अभियंता को अधीक्षक अभियंता के ग्रेड में पदोन्नति के लिए एक नामिका बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब से लगभग चार वर्षों तक

सहायक कार्यपालक अभियंता से ग्रेड के अधीक्षक अभियंता के ग्रेड में पदोन्नत करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि न्यायालयों में कतिपय अनिर्णीत मामलों के कारण सीधे भर्ती वालों तथा विभागीय पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के बीच आनुपातिक वरिष्ठता स्थापित नहीं की जा सकी।

सैनिक अधिकारियों की विधवाओं को पेट्रोल पम्पों और कुकिंग गैस की एजेंसिओं का आवंटन

1558. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक अधिकारियों की विधवाओं को, उनके पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत, कितने पेट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की कितनी एजेंसियां दी गई हैं ; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि ये सुविधायें कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा बनामी प्राप्त हुई कर दी गई हैं और विधवाओं को इन एजेंसिओं से नाममात्र लाभ हो रहा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) अभी तक 3 पैट्रोल पंप तथा 53 गैस एजेंसियों का आवंटन किया गया है।

(ख) बेनामी संधि के दो संदिग्ध मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। एजेन्सियों को चालू करने की अनुमति देने से पूर्व ऐसी बेनामी सन्धियों को रद्द करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई ।

पुर्तगाली सामाज्यवादियों के विरुद्ध अफ्रीकी उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति सेनाओं को समर्थन

1559. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी उपनिवेशों में पुर्तगाली साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लड़ रही राष्ट्रीय मुक्ति सेना को ठोस समर्थन देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जैसा कि सदन को अनेक अवसरों पर सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों को ठोस सहायता दी है और दे रहा है । इस सहायता में दवाइयां, कम्बल, कपड़ा, स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक साज-समान तथा भारत मे तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के लिए वजीफे शामिल हैं।

युद्ध में हुए शहीदों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए योजनाओं की क्रियान्विति

1560. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में हुये शहीदों की विधवाओं के पुनर्वास की योजनाएं क्रियान्वित की ज़ा चकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : पुनर्वास योजना का मुख्य तत्व उदार पेंशन लाभ है। इसमें जै सी ओ जवानों के द्वारा अन्त में लिया गया वतन और अफसरों के द्वारा मृत्यु के समय धारित रेंक के वेतन का तीन चौथाई है। पेंशन का यह लाभ उन सभी के लिए मंजूर किया गया है जो उसके पात्र थे। इसके अतिरिक्त वीरगती प्राप्त व्यक्तियों के बच्चे प्रथम डिग्री स्तर तक निशुल्क शिक्षा पाने के पात्र हैं, जिसमे पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दियां, सरकार

8—1LSS/73

द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भोजन और आवास पर होने वाला व्यय भी शामिल है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों के लिए पात्रता पत्र जारी किए गए हैं।

रोजगार दिए जाने के मामले में मृतक सैनिकों के दो आश्रित व्यक्तियों तक के लिए प्राथमिकता दिए जाने की सुविधा दी गई है। अपने किसी धंधे में स्वयं लग जाने के संबंध में तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने में सहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है। विभिन्न मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के माध्यम से ये दोनों प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। यह चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अभी तक एकत्रित की गई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि 259 आश्रितों के लिए नियोजन खोजा गया तथा उसके लिए पेशकश की गई, यह इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि ऐसे रोजगार जितना सम्भव हो सके उनके घरों के निकट हों। 53 युद्ध विधवाओं के लिए, उनके अनुरोध पर व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था की गई, यह प्रशिक्षण उनके घरों के जितने निकट के प्रशिक्षण संस्थानों में संभव हो सका व्यवस्था की गई है। भारतीय तेल निगम ने युद्ध विधवाओं तथा युद्ध के असहाय आश्रितों के लिए 199 एजन्सियां आवंटित की हैं। इस बात को पुनः ध्यान में रखा गया है कि ये एजेन्सियां उनके सामान्य निवास के यथा सम्भव निकट स्थित हों।

Losses due to strike by workers of NCDC and other collieries

1561. Shri Shankar Dayal Singh :

Shri Robin Sen :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state total loss suffered by Government as a result of strike in the National Coal Development Corporation and in other collieries of Bihar and Bengal recently ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Subodh Hansda) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

बागान श्रमिक अधिनियम का संशोधन

1562. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागान श्रमिक अधिनियम का संशोधन करने और एक समान नियम लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : एक विधेयक जिसमें, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 को संशोधन करने के प्रस्ताव है, शीघ्र ही प्रस्तुत करने का विचार है। तथापि एक समान नियम लागू करने के लिए बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 को संशोधित करने का, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत नियम राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिन के मार्ग-दर्शन हेतु आदर्श नियम तैयार किए गए और उनमें परिचालित किए गए।

बरसुआ लौह अयस्क खान के श्रमिकों की बर्खास्तगी

1563. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रुरकेला इस्पात संयंत्र के बरसुआ लौह अयस्क खान के महासचिव, कार्यालय सचिव और कार्यकारी समिति के सदस्यों सहित 16 श्रमिकों की एकदम बर्खास्तगी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : 23-8-72 को प्रमाणीकृत स्थायी आदेशों के अधीन बरसुआ लौह खान यूनियन के महा-सचिव सहित सोलाह श्रमिकों को प्रबन्ध-मण्डल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। यूनियन ने एक औद्योगिक विवाद उठाया और सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रुरकेला ने समझोता कार्यवाही की, जो कि असफल रही। सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) रुरकेला से समझौते की असफलता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विवाद को 6-2-1973 को, न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण के पास भेज दिया गया है।

भारतीय सेनाध्यक्षों और अन्य देशों के सेनाध्यक्षों की यात्राओं पर हुआ व्यय

1564. श्री रेणुपद दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में हमारे सेनाध्यक्षों और विभिन्न अन्य देशों के सेनाध्यक्षों ने एक दूसरे के देशों की अनेक सद्भावना यात्रायें की थीं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जग जीवन राम) : (क) से (ग) : 1972 के दौरान इस प्रकार की दो सद्भाव यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया था :—

1. (1) भारतीय थल सेनाध्यक्ष ने अपनी पत्नी और 4 व्यक्तियों के दल के साथ 8 से 11 मई, 1972 तक नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा पर 6,460 रुपए का व्यय हुआ।

(2) शाही नेपाली सेना के कमांडर-इन-चीफ ने अपनी पत्नी और 7 अधिकारियों तथा स्टाफ के साथ 8 से 14 दिसम्बर तक भारत की यात्रा की । इस संबंध में 18,600 रुपए का व्यय हुआ ।

2. (1) सोवियत संघ के बेड़े के एडमिरल एस० जी० गोरश्कोव तथा सोवियत संघ की नौसेना के कमांडर-इन-चीफ ने अपनी बेटी तथा कुछ स्टाफ अधिकारियों के साथ 3 से 12 अप्रैल, 1972 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा पर 33,000 रुपए का व्यय हुआ।

(2) नौसेनाध्यक्ष ने अपनी पत्नी तथा कुछ वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों के साथ 27 अगस्त से 6 सितम्बर, 1972 तक सोवियत संघ की यात्रा की। इस यात्रा पर 44,002 रुपए का व्यय हुआ ।

इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में भारतीय सेनाध्यक्षों द्वारा की गई सद्भाव यात्रा के उत्तर में 1972 में सेवारत विदेशी अध्यक्षों द्वारा भारत की यात्रा की। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) युगोस्लावी सेना के चीफ आफ दी जनरल स्टाफ, कर्नल जनरल विक्टर बुबंज ने अपनी पत्नी तथा चार अधिकारियों सहित 25 फरवरी से 7 मार्च, 1972 तक भारत की यात्रा की जो अक्तूबर/नवम्बर 1970 में भारतीय थल सैनाध्यक्ष द्वारा की गई यूगोस्लाविया की यात्रा के बदले में थी। इस यात्रा पर 32,800 रुपए का व्यथ हुआ ; और

(ख) ब्रिटिश नौसेनाध्यक्ष तथा फर्स्ट सी लार्ड एडमिरल सर माइकल पोलोक, जी सी बी, एम वी ओ, डी एस सी ने अपनी पत्नी तथा कुछ स्टाफ अधिकारियों सहित 1 से 7 दिसम्बर, 1972 तक भारत की यात्रा की जो 1971 में भारतीय नौसेनाध्यक्ष द्वारा की गई ब्रिटेन की यात्रा के बदले में थी। इस यात्रा पर 26,000 रुपए का व्यय हुआ था।

प्रतिरक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों की यूनियनों के पंजीकरण को समाप्त करना

1565. श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने फरवरी, 1972 से अब तक की अवधि के दौरान राज्यों के ट्रेड यूनियनों से पंजीयकों को कोई निदेश दिए है कि भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों के आधार पर भी प्रतिरक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों की यूनियनों के पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों के नाम क्या हैं और किन कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है;

(ग) इस आधार पर अब तक कितनी और किन किन यूनियनों का पंजीकरण समाप्त किया गया है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात वितरण व्यवस्था संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट

1566. श्री सी० जनार्दनन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के वितरण को वर्तमान व्यवस्था के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सिफारिशे की है; ?

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिए है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई मेटल एण्ड अलायस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा आयरन एण्ड मेटल ट्रेडर्स लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1567. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई मेंटल एण्ड अलायस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और आयरन एण्ड मेटल ट्रेडर्स लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों के पिछले सात महीनों से बराबर हड़ताल पर रहने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ।

Supply of Iron and Steel to Industrial Units in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujrat

1568. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a large number of small industiral units in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat have been closed or are facing closure on account of non availability of steel and the necessary iron material;

(b) the quantity of material supplied by the Government to a various industrial units in the said States during 1971-72; and

(c) the quantity of material ased for by the industrial units during 1971-72-

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) o (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मशीनीकरण विषयक समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

1569. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीनीकरण विषयक दांडेकर समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सम्बन्धित पक्षों से परामर्श लेते हुए रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी गैर-कोंकिग कोयला खानों के लिए केन्द्रीय सहायता

1570. डा० हरी प्रसाद शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने गत दिसम्बर में राज्य में अनेक बंद पडी गैर कोकिंग कोयला खानों को पुन: खोलने अथवा उनमें खनन कार्य पुन: शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था;

(ख) यदि हां, तो बंद तथा निष्क्रिय कोयला खानों, जिसकी और सरकार का ध्यान दिलाया गया था, के बारे में सरकार के पास क्या जानकारी है और कितनी तथा किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री ने तारीख 11–11–72 के अपने पत्र में सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल में 40 कोयला खानों की बंदी की ओर आकर्षित किया। राज्य सरकार ने सरकार द्वारा कोयला खानों का प्रबंध ग्रहण करने का सुझाव दिया था । राष्ट्रीयकरण होने तक सरकार ने कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन 31–1–73 को समस्त कोयला खानों का प्रबंध ग्रहण किया है ।

Manufacture of Bombs without Uranium and Platinum

1571. **Shri Hukam Chand Kachavai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the articles published recently in the Science journals that the manufacture of bombs is possible even without uranium and pletinum;

(b) whether such type of bombs would prove useful for Indian Army; and

(c) the measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have seen press reports regarding the possibility of producing "fusion bombs" without using uranium and platinum.

(b) and (c) : Government's policy on the manufacture of nuclear weapons has been explained in Parliament on several occasions. It is to use nuclear energy for peaceful purposes only. Government policy in this regard remains unchanged.

Payment of Ration Money to Employees of Defence Department posted in North-Western Border and Western Border during Indo-Pak War, 1971

1572. **Shri Hukam Chand Kachawai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the civilian employees of the Defence Department posted in North Western border and Western border during Indo-Pak war of 1971 were given ration money;

(b) whether the farm employees of the Defence Department were deprived of this benefit whereas Government has announced to give them also ration money; and

(c) if so, Government's reaction thereto and the measures proposed to be taken by Government for giving ration money to the deprived farm employees,

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) : The civilian employees of the Defence Depertment posted in north-western border and western border during the Indo-Pak war of 1971 and serving with units and formations whose combatant personnel have been allowed field service concessions, were eligible for grant of free rations or ration money in lieu if free rations could not be issued to them for administrative reasons.

As a rule, personnel employed in static formations and units, including Military Farms were not entitled to field service concesstions. Hence, civilian employees of such Farms are not eligible for free rations or ration money laieu in, However, an exception was made in favour of personnel of the Military Farm at Chhamb in view of its special location and the difficult living conditions. Government have made no announcement to the effect that employees of other Military Farms would be given free rations or ration money in lieu.

भारतीय इंजीनियरों के लिये मलयेशिया सरकार का अनुरोध

1573. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि वह उसे इंजीनियर दे कर विकास परियोजनाओं में विलम्ब को रोकने में मदद करे; और

(ख) यदि हां, तो उस का सारांश क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1971-72 में सतर्कता निदेशक द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के मामले

1574. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग के सतर्कता निदेशक ने वर्ष 1971–72 के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया, उनकी जांच की और उन्हें निपटाया; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप उक्त मामलों में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क)

(1) वे मामले, जिनका पता लगाया गया और जांच की गई . .	54
(2) (क) 1971–72 के दौरान निपटाये गए मामले . .	24
(ख) बाद में निपटाये गए मामले	18
(ग) वे मामले जिनमें अभी जांच की जा रही है . .	12

(ख)

(1) वे अधिकारी जिन्हें चेतावनी दी गई	3
(2) वे अधिकारी जिनके कार्यों में परिवर्तन किया गया . .	2
(3) वे अधिकारी जिनकी निन्दा की गई	1

Supply of Iron and Steel at Fair Prices through permits

1575. **Shri Mulki Raj Saini**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the arrangements made for the supply of iron to consumers at fair prices;

(b) the percentage of increase in prices of steel during the years 1971-72 and 1972-73; and

(c) whether Government propose to make arrangements to ensure the supply of material to consumers at fair prices by issuing permits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines : (Shri Subodh Hansda) : (a) & (c) Almost the entire availability of iron and steel is distributed to actual consumers at regulated fair prices in accordance with prescribed distribution procedures which have been published from time to time.

(b) In 1971-72 there was no increase in prices in so far as the return to the main steel producers is concerned, although excise duties were revised w.e.f. 13th December, 1971 and 17th March, 1972.

With effect from 22-7-1972, prices of the following categories have been increased by amounts as indicated against each :

(i) Billets	Rs. 80/- per tonne.
(ii) Bars and rods	Rs. 85/- per tonne.
(iii) Structural and rails	Rs. 50/- per tonne.

Steel Quota Holders in Saharanpur

1576. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of Steel permit and quota holders in Saharanpur District;

(b) the list of their names and the types of their goods;

(c) the nature of the arrangements for checking them;

(d) the action taken by Government to detect bogus firms; and

(e) the features of the future scheme of Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) In the current distribution procedure, the system of allocation of quotas and permits has been abolished. There are, therefore, no quota and permit holders at present.

(b) & (c) : Do not arise.

(d) Regional Officers of the Iron and Steel Controller have been set up at different places in the country. One of the main functions is to check misutilation of steel. Where necessary, the help of the CBI is also taken in detecting and prosecuting bogus firms.

(e) Distribution procedures are kept regularly in review and improvements are introduced wherever called for.

शहरों में भवन निर्माण के लिए इस्पात की सप्लाई करने हेतु समिति

1577. **श्री ई० आर० कृष्णन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ही की तरह अन्य शहरों में भी भवन-निर्माण हेतु इस्पात के सामान को आवंटित करने और उस में समन्वय करने के लिए समिति गठित करने की योजना के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के विस्तार से सम्बन्धित मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) अब दिल्ली के अलावा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, कोचीन, बंगलौर तथा सिकंदराबाद में भी मुख्य इस्पात उत्पादक समितियां बनाई गई हैं। यह समितियों

भवन निर्माताओं के सभी आवेदनों पर सम्बन्धित शहरों के मुख्य इस्पात उत्पादकों के सभी स्टाकयार्डों की उपलब्धि को देखते हुए संयुक्त रूप से विचार करती हैं और समन्वित रूप से आबंटन करती हैं। यह योजना ठीक वैसी ही चलाई जा रही है जैसे दिल्ली में शुरू की गई थी ;।

इस्पात के सामान के निर्माण के लिए संयंत्रों की स्थापना करने की योजनाएं

1578. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने माइल्ड, हाई कार्बन अलाय और स्प्रिंग स्टील बिलेटों के निर्माण के लिए देश में विद्युत भट्टियों एवं कन्टीन्यूअस कास्टिंग उद्योग समूहों की स्थापना के लिए जो 17 योजनाएं मंजूर की है उन की मुख्य बातें क्या हैं:

(ख) कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं; और

(ग) उन के दवारा उत्पादन कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय उन 17 योजनाओं से है जिनका उल्लख राज्य सभा के दिनांक 17–11–1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर में किया गया है । इन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातों के बारे में एक विवरण संलग्न है **(ग्रंथालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 4346/73)**

(ख) और (ग) : इस समय पांच कारखानों उत्पादन कर रहें हैं। शेष योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके यथा समय कार्यान्वित होने की संभावना है ।

स्क्रेप री-रोलर मिलों को इस्पात का वितरण

1579. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय के आदेश को वापस ले लिये जाने के पश्चात से पुरानी रेल लाइनों का वितरण विनियमित रूप से किस संस्था के माध्यम से और किस ढंग से स्क्रैप री रोलर मिलों में किया जा रहा है;

(ख) री–रोल्ड उत्पादों का वितरण किस संस्था के माध्यम से किया जाता है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य की सहायता के लिये कितनी मात्रा में सलाखें और छडें दी गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : न्यायालय के आदेश को वापस ले लिये जाने के पश्चात् रेलवे से प्राप्त हुई 2 लाख टन के लगभग प्रयुक्त रेल की पटरी में से लगभग 1.5 लाख टन पटरी स्क्रैप पुनर्वेलकों को मुख्यउत्पादकों स्टाकयार्डों की मार्फत दी जाएगी । उससे उत्पादित पुनर्वेतित उत्पादों का वितरण भी स्टाकयार्डों द्वारा किया जाएगा और स्क्रैप पुनर्वेलकों को केवल परिवर्तन खर्च दिया जाएगा।

(ग) यथा उपलब्ध जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिलेटों का निर्माण करने की संयुक्त क्षेत्र को योजनायें

1580. **श्री ई० आर० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) बिलेट बनानें को जिन दो योजनाओं को इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि उन्हें संयुक्त क्षेत्रे में क्रियान्वित किया जायेगा; उन के निर्माताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह शर्त पूरी कर ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या संयुक्त क्षेंत्र की इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वित होनें की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय निम्नलिखित दो स्कीमों से है :–

(i) मेसर्स स्टील कम्पलेक्स लिमिटेड, केरल

(ii) मेसर्स गोगट बिरहान महाराष्ट्र स्टील लिमिटेड, बम्बई

(ख) और (ग) : इन दोनों का मामलों में वित्तीय प्रबन्ध के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है । क्योंकि उनके लिए पूंजी एकत्रित नहीं की गई है । दोनों स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

मेघालय में संघ प्रतिनिधियों की मांगे

1581. **श्री धीरेन दत्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और मेंघालय के सरकारी उपक्रमों के 63 कर्मचारी और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने 1 सितम्बर 1972 को शिलांग में मेघालय के मुख्य मंत्री से भेंट की थी ।

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थी; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करनें के लियै क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस बैठक के बारे में श्रम मंत्रालय के पास सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक संबंधों के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत

1582. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 20 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के साथ दो घंटे की बैठक की थी और उन्होंनें अन्य बातों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे मे मख्य मंत्रियों ने क्या क्या सुझाव दिये; और

(ग) क्या बैठक में उक्त मामले पर कोई मतैक्य हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : मुख्य मंत्री 20 जनवरी 1973 को प्रधान मंत्री से मिले। यह महसूस किया जायेगा कि किस प्रकार की बातचीत हुई इस संबंध में सदन में बयान करना संभव नहीं है।

इस्पात के आयात के माध्यम से सम्बन्धित योजना के बारे में असन्तोष

1583. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरी उद्‌योग, जो आयातित और देशी इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता है, लघु उद्‌योंगों ने इस्पात के आयात के माध्यम से सम्बन्धित वर्तमान योजना के कार्यकरण पर असंतोष व्यक्त किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के आयात के माध्यम से सम्बन्धित योजना में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और **(ख) :** अभिकरणों के माध्यम से इस्पात के आयात की वर्तमान योजना के कार्यकरण में अपर्याप्तता, विलम्ब, मूल्यन तथा अन्य कमियों के बार में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। माध्यम अभिकरणों से षरामर्श कर के इन अभ्यावेदनों की शीघ्रता से जांच की जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर मामलों में वास्तविक उपयोक्ता विशिष्टियों को अन्तिम रूप देंने तथा प्रस्तुत करने और वित्तीय प्रबन्ध करनें में बहुत समय लेते हैं। माध्यम अभिकरण रिलीज आर्डरों पर इस्पात की शीघ्र सप्लाई करने का भरसक प्रयत्न कर रहें है। सरकार माध्यम प्रणाली के कार्यकरण पर निरन्तर कडी नजर रखती है और इस्पात की माध्यम योजना के कार्यकारण में सुधार लाने के लिए यथावकाश अपेक्षित उपाय किये जायेंगे।

लौह अयस्क निर्यात को नियमित करने के लिए लौह अयस्क बोर्ड की योजना

1584. **डा० रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क बोर्ड ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने देश में लौह अयस्क उद्योग के उचित नियमन, परिक्षण और विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) जी, हां, 20 जनवरी, 1973 से ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Sale/Purchase of Animals by Kota Military Guard Training Centre

1585. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether all animals like cows and buffaloes beloging to Kota Military Guard Training Centre have been sold and is so, the amount earned by the sale of these animals;

(b) whether some cows and buffaloes would be purchased in their place;

(c) the present arrangements of milk supply to Jawans and whether any contract for supply of milk has been awarted to some persons; and

(d) if so, the rate thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The requisite information is not readily available and is being collected. On receipt, it will be placed on the Table of the House.

(c) Milk to Jawans at Kota is supplied by the Military Farm Depot KOTA by purchasing the requirement daily from M/s DAULAT RAM WASDEO of JAiPPUR on the basis of an annual contract, operative from 1st May 1972 to 30th April, 1973.

(d) The purchase rate of milk is Rs. 96.50 per 100 litres.

कोयला क्षेत्रों में स्थापित किये गये बचाव केन्द्र

1586. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला क्षेत्रों में खनिजों की बचाव और रिकवरी कार्य मे प्रशिक्षित करने तु कितने बचाव केन्द्र स्थापित किये गये है, !

(ख) खानों में बचाव और रिकवरी कार्य करने के लिए बचाव उपकरणों और अन्य उपकरणों के क्रय और रख रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) खानों में खतर को कम करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में ग्यारह बचाव केन्द्र स्थापित किए गए है, जिनमें दो बचाव केन्द्र झरिया कोयला क्षेत्रों में और अन्य रानीगंज क्षेत्र में बचाव तथा रिकवरी कार्यमें प्रारंभिक प्रशिक्षण से संबध रखते हैं ।

(ख) बचाव उपकरणों को खरीदनें में 1964–65 से 1971–72 तक 30,12,333.00 रु० खर्च हुए ।

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के ब्यौरे कोयला खान विनियम, 1957 में दिए गए हैं । खान अधिनियम, 1952 के सुरक्षा संबंधी उपबन्धों को लागू करने के लिए निरीक्षण किए जाते है । फिल्मों और अन्य श्रव्य-दृश्य पद्धतियों के माध्यमों से और सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन करके श्रमिकों में सुरक्षा चेतना जगाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है । इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षा प्रणीलियों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में सेना को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ दल

1587. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और विभिन्न क्षेत्रों में स्वनियोजन संबंधी योजनाओं के विस्तार के बारे में सना को सलाह देने के लिए कोई विशेषज्ञ दल गठित किया गया है;

(ख) विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिश क्या है, और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : औपचारिक रूप से किसी भी विशेषज्ञ दल का गठन नहीं किया गया है। तथापि भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-नियोजन योजनाओं को विस्तार करने के लिए मामला विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श पर विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त महा निदेशालय पुनर्व्यवस्थापना को अभी हाल ही में औद्योगिक तथा कृषि योजनाओं के साथ नियो जन में विशेषज्ञों की व्यवस्था करके शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे कि वे भूतपूर्व सैनिकों को इन क्षेत्रों के कार्यकलापों के संबंध में सलाह तथा सहायता दे सकें।

मिश्रित इस्पात और छीलन के मानकीकरण के बारे में कार्यकारी दल की रिपोर्ट

1588. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न वर्गों के मिश्रित इस्पात का मानकीकरण करने, छीलन का उपयोग करने, छीलन की उपलब्धता और संग्रह में सुधार करने के उपायों का अध्ययन करन के लिए नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : भारतीय मानक संस्था की विशिष्टियों के अनुरूप मिश्र और विशेष इस्पात के सेक्शनों के मानकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित किए गए एक अध्ययन दल ने मुख्य उपभोक्ताओं अर्थात मोटर गाडी उद्योग की आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रश्न पर मोटे तौर पर विचार किया गया था । इस दल ने कुछ सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों के अनुसार मोटर गाडी उद्योग में काम आने वाले मिश्र और विशेष इस्पात की उपयुक्त श्रेणियों को सरकार ने पहले ही अधिसूचित कर दिया है और विदेशी विशिष्टियों के अनुरूप तथा प्राय: अनुरुप के अनुसार उत्पादन बन्द कर दिया गया है ।

जहां तक स्क्रप के इस्तेमाल और स्क्रैप को इकट्ठा करने और इसकी उपलब्धि बढाने का सम्बन्ध है एक दुसरे अध्ययन दल की, जिसने रद्दी लोहे के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी, सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है । और जहां तक उन्हें स्वीकार किया गया है, उन्हें लागू किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में रक्षा आयुध कारखाने की स्थापना

1589. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना मे मध्य प्रदेश में किसी प्रतिरक्षा आयुध कारखाने की स्थापना की जायेगी; और

(ख) यदी नही, तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हॉं, श्रीमन् । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में इटारसी के समीप एक प्रणोदी फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान सैनिक स्कूलों का खोला जाना

1590. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान सैनिक स्कूलों की संख्या मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या पांचवी योजना के दौरान उक्त प्रकार के और अधिक स्कूल खोले जाने की कोई योजना है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूलों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) तथा (ग) हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि उस राज्य में अब तक कोई सैनिक स्कूल नहीं चलाया गया है ।

गैर-कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण में प्रगति

1591. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण करने के क्या कारण है और कोयला क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर सघो की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रियाएं हैं ;

(ख) क्या कोयला खानों से सम्बन्धित लेखे और अन्य आवश्यक कागजात एवं ऐसी खानों की अन्य सम्पत्तियों को समुचित रुप से सरकारी एजेन्सियों को सौंप दिया गया है;

(ग) क्या ऐसे हस्तान्तरण की प्रक्रिया में सरकार के सामने कोई कठिनाई आई; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी कठिनाईयां सामने आई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्राइवेट कोयला-खान स्वामियों की ओर से खानों के विकास के लिए नए विनिधानों की दिशा में प्रयत्नों में कमी थी और खनिज संरक्षण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था एवं अनुरक्षण की कमी के कारण विद्यमान खानों को भी हानि पहुंचने का तत्काल खतरा था। आसनसोल-रानीगंज कोयला पट्टी में अनेक खानें बंद की गई थी और कार्यरत खानों द्वारा भी अपनी क्षमता का उपयुक्त रुप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था और कई खानों में मजदूरी बोर्ड पंचाट को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार के देय का बहुतसा संदाय बकाया था। इसके अतिरिक्त पंचम पंच-वर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर में की खानों द्वारा 280 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा का योगदान किए जाने की संभावना है जिसके लिए अधिक मात्रा में विनिधान अपेक्षित होगा जो कि प्राइवेट स्वामियों की क्षमता से बाहर की बात थी। इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन समस्त अकोककारी कोयला खानों का, ऐसी खानों के राष्ट्रीयकरण तक, प्रबन्ध ग्रहण किया है।

कोयला क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसाय संघों ने इस प्रबंध ग्रहण का स्वागत किया है।

(ख) सुस्पष्ट रुप से यह बताना समय पूर्व की बात होगी कि क्या इन कोयला खानों से संबंधित लेखे और आवश्यक कागजात तथा इस प्रकार की खानों की सम्पत्ति सरकारी अभिसरणों को उचित रुप से सौंपी गई है अथवा नहीं। लेखा पुस्तकें और दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे है और अभिरक्षकों द्वारा उनका परीक्षण किया जा रहा है। यह निर्धारण करने के लिए कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती प्रबन्धको द्वारा कागजात प्रस्तूत नही किए गए है, कूछ समय लगेगा।

(ग) और (घ) प्रबन्ध ग्रहण संक्रिया के दौरान, अपूर्ण रजिस्टरों और कोयला खानों में रोकड़ की सामान्य अनुपस्थिति को छोड़कर किन्हीं सामान्य कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा था।

गैर कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण के पश्चात् कोयले की कीमतों में वृद्धि

1592. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण के पश्चात् घरेलू उपभोक्ताओं के काम आने वाले कोयले की कीमत में तीव्र वृद्धि हो गई है और गैर-कोकिंग कोयले की कमी हो गई है; और

(ख) गैर-कोकिंग कोयला की कीमत में वृद्धि को रोकने, कोयले के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन को सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा खानों का अधिग्रहण किये जाने से पूर्व के स्तर पर उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : कोयला खानों का प्रबंध ग्रहण करने के पश्चात कोयला खान प्राधिकारी द्वारा विक्रय किए जा रहे कोयले की कीमतें भारतीय खनन संगम द्वारा अधिसूचित कीमतों पर आधारित हैं। तथापि, मध्यजन द्वारा कीमतें वर्धित करने के बारे में कुछ रिपोर्ट मिली हैं। कोयला खान प्राधिकारी कीमतें कम करने के लिए कोयला आपूर्ति में वृद्धि और जहां कहीं आवश्यक हो नए अभिकरण खोलने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

युद्धबन्दियों को स्वदेश वापस भेजने संबंधी मामले को सुलझाने के बारे में सरकार की नीति

1593. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान में युद्धबन्दियों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) भारत तथा पाकिस्तान के युद्धबन्दियों को रिहा करने के मामले को सुलझाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत में 73,965 पाकिस्तानी युद्धबन्दी हैं जबकि रेड क्रास की अन्तरराष्ट्रीय समिति के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास अब कोई भारतीय युद्धबन्दी नहीं है।

(ख) भारत में अब वे पाकिस्तानी युद्धबन्दी हैं जिन्होंने पूर्वी क्षेत्र में भारत बंगलादेश की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण किया था। इन युद्धबन्दियों के प्रत्यावर्तन के लिए किसी बात-चीत में बंगलादेश का सहयोग तथा भाग लेना अनिवार्य है और पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता न देना संबंधित तीनों देशों के बीच इस विषय पर बात-चीत आरम्भ करने में विलम्ब के लए जिम्मेवार है।

भारत में युद्धबन्दियों की स्थिति और उनके साथ बर्ताव के बारे में विदेशों में प्रचार

1594. श्री समर गुह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान बन्दियों की स्थिति, उनके साथ किये जा रहे बर्ताव और उनके बिच निकलने के प्रयासों और परिणामी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचना देते रहने के लिये सरकार ने क्या कदम उठायी हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : विश्व जनमत को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की है कि भारत में पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि जेनेवा समझौते में इसके लिए व्यवस्था की गई है। युद्धबन्दी शिबिरों में होने वाली सभी घटनाओं की सूचना भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को दी जाती है और जब भी कोई घटना होती है, उन्हें तुरंत संबंधित युद्धबन्दी शिबिरों का दौरा करने के लिए बुलाया भी जाता है।

दंडाकारण्य क्षेत्र में शरणार्थियों द्वारा आन्दोलन

1595. श्री समर गुह : क्या श्रम और पुर्नवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डाकारण्य क्षेत्र में शरणार्थियों का आन्दोलन जारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है और आन्दोलनकारियों की मांगे क्या हैं ;

(ग) आन्दोलन की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) दण्डाकारण्य क्षेत्र के शरणार्थियों की वैध शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

Offer from Lebanon to Mediate for improving Indo-Pak Relations

1596. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Lebanon has offered to mediate for improving Indo-Pak relations;

(b) whether Lebanon has made such an offcer after consultation with Pakistan; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra **Pal Singh**) **:** (a) No, Sir;

(b) and (c) Do not arise.

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में उड़ीसा के कर्मचारी

1597. श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों में स्थानीय लोगों का प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए कर्मचारियों की भर्ती कलकत्ता में की जाती है और उड़ीसा में रिक्त स्थान, राज्य के बाहर से कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके भरे जाते हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिज उत्पादों के लिए दी गई मूल्य दरें

1598. श्री देवेन्द्र सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बिहार और उड़ीसा राज्यों को खनिज उत्पादों की भिन्न-भिन्न मूल्य दरे दी है ;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा के खान मालिको से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की इस कार्यवाही की शिकायत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम खनिज-उत्पादों का व्यापार नहीं करता है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

मास्को में सोवियत संघ के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भारतीय प्रतिनिधि

1599. डा० कर्णी सिंह :

श्री फत्तेह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमण्डल भी उपस्थित था;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी और यह कार्य स्वीकृत राजनीतिक सिद्धांतों और परम्पराओं के अनुरूप था;

(ग) क्या श्री डांगे ने अपने भाषण में कुछ बातें भारत सरकार की नीति के प्रतिकूल कहीं थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मास्को में ये समारोह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमंडल और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद् द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किए गए थे और उन्होंने संयुक्त रुप से ही निमंत्रण भी भेजे थे। भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ती नहीं थी।

(ग) और (घ) भारत में राजनीतिक पार्टियों के नेताओ को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और इस प्रकार व्यक्त किये गए निजी विचारों पर टिप्पणी करने की सरकारी परम्परा नहीं है।

बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में हुई हानि

1600. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 और जनवरी, 1973 में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना एकत्र की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग का बाइसवा प्रतिवेदन तथा ज्ञापन आदि

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री रामनिवास मिर्धा कि और से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि सम्बन्धी 22 वां प्रतिवेदन।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के करणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4317/73]

तुन्गभद्रा स्टील पाडक्टस लिमिटेड का वार्षिक पतिवेदन तथा समीक्षण

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4318/73]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

68 वां प्रतिवेदन

श्री सेम्मियान (कुम्बकोणम) : मैं डाक और तार के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 46 वें प्रनिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 68वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त इस संबंध की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 28 फरवरी, 1973 को अपनी बैठक में स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधयक, 1973 पास किया हैं।

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन विधेयक

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVEABLE PROPERTY (AMENDMENT BILL)

राज्य सभा द्वारा—पारित रुप में

सचिव : मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1973 की, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

धोलपूर के निकट चंबल पूल को हुई क्षति और दिल्ली-बम्बई यातायात के बन्द होने के बारें में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING DAMAGE TO CHAMBAL BRIDGE NEAR DHOLPUR AND SUSPENSION OF DELHI-BOMBAY TRAFFIC

अध्यक्ष महोदय : श्री राजबहादूर।

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : यह एक लम्बा वक्तव्य है। क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री राजबहादूर : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

24 फरवरी, 1973 में सांय को राजस्थान सार्वजनिक विर्माण विभाग के भारतपुर डिवीजन के कार्यकारी इंजीनियर से सूचना मिली कि धोलपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 पर चम्बल पुल का एक पाया बैठ गया है और पुल के साथ साथ की सड़क की लम्बाई का भाग नीचे बैठ गया है और यह कि पुल यातायात के लिय बन्द कर दिया गया है।

यह पुल जो 2434 फुट लम्बा है केन्द्रीय सार्वजनकि निर्माण विभाग द्वारा दिसम्बर 1959 को बनाया गया था और मार्च, 1960 में यातायात के लिय खोला गया था। पुल एक निम्मजक पुल है और इस नदी में कभी कभी ही सबसे ऊंची वाढ़ आती है इसलिये एक उच्च स्तरीय पुल अनावश्यक खर्चीला समझा गया, अत: यह विचार किया गया कि एक निम्नजक पुल जिसके डेक का स्तर ऐसा रखा जाये कि यह केवल असाधारण बाढ़ में अल्प काल के लिये डूबे, व्यावहारिक होगा। पुल का डेक सूखे मौसम के दौरान नदी में पानी के सतह से लगभग 93 फी० ऊपर है। यह पुल पीछे तीन अवसरों पर डूबा। सितम्बर, 1961 में डेक के डुबाव की गहराई 6 फीट, अगस्त, 1969 में 4.5 फुट और जुलाई 1971 में 5.33 फुट थी।

25 फरवरी, 1973 के प्रात: तत्काल इस मंत्रालय के तीन अधिकारियों का एक दल इस पुल के निरीक्षण के लिये भेजा गया मेरे मंत्रालय के महानिदेशक (सड़क विकास) भी अपर महानिदेशक के साथ 26 फरवरी, 1973 को पुल के घटना स्थल पर गये और 27 तारीख को राज्य मुख्य इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क), राजस्थान जो इस समय पुल के प्रभारी हैं, अपर मुख्य इंजीनियर, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ और इंजीनियर इनचीफ मध्य प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ पुल का निरीक्षण किया।

उपलब्ध सूचना से यह मालूम हुआ है कि इस पुल के पाया नं० 17 जिसपर पूर्वबलित सीमेन्ट कॉन्क्रीट डाट पटिया टिका हुआ है और जिसके कुओं की नीव चट्टान पर रखी गई है लगभग 2 फुट बैठ गया है और फलस्वरुप सड़क की सतह और पाये के दोनों ओर के डाट में "दरारें" पड़ गई हैं और लगभग 200 फुट के भाग का सड़क पथ स्वयं नीचे बैठ गया है। जब तक जांच की जाती है और आवश्यक मरम्मत की जाती है तब तक किसी वाहन यातायात को पुल से होकर जाने दे देना वांछनीय नही होगा। इस बीच यातायात को निम्नलिखित रास्तों को मोड़ दिया गया है :-

1. इंदौर-कोटा-जयपुर-दिल्ली
2. शिवपुरी-कोटा-जयपुर-दिल्ली
3. शिवपुरी-झांसी-काल्पी-भोगनीपुर और पश्चिम में आगरा को या पूर्व में कानपुर को
4. ग्वालियर-भिन्ड-इटावा हल्के यातायात के लिये जो 5 टन से अनधिक हो क्योंकि इस सड़क पर इटावा के पास चम्बल के ऊपर पीपे के पुल क्षमता सीमित है।

समस्त संबंध सिविल अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।

चूंकि वाहन यातायात को इसके वर्तमान हालत में इस पुल पर जाने की कोई अनुमति नहीं दी जानी है अत: वर्तमान पुल के पास ही एक कच्चे पुल की व्यवस्था करने के लिये वैकल्पिक प्रबंध किये जा रहे हैं। इस संबंध में महानिदेशक (सड़क विकास) ने सेना के इंजीनियर इन-चिफ के ब्रांच के निर्माण कार्य के महानिदेशक और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग जिनके पास पीछे के पुलों का स्टाक से सम्पर्क स्थापित किया उनमे से किसी एक से भी उन्हे प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और यथा शीघ्र पीपे का पुल लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि पीपे का पुल केवल बरसात की अवधि तक पुल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, अतः एक मील नीचे की ओर रेल पुल को डेक करने की शक्यता की सम्भावनाओं पर भी रेल अधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है, यदि रेल पुल का डेक करना व्यवहार्य न हुआ तो बरसात के दिनों के दौरान नाव चलाना आवश्यक होगा।

चूंकि इस पाय के चारों ओर लगभग 30 फुट पानी की गहराई है और नदी में कुछ तेज बहाव भी है अतः नीव के स्तर इत्यादि और नीव को हुई क्षति के व्यापक जांच के लिये विशेष प्रबंध किये जा रह हैं।

मंत्रियों द्वारा गलत वक्तव्य देने के आरोप के बारे में

RE. ALLEGED WRONG STATEMENTS BY MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी इच्छानुसार जब चाहें खड़े न हों। इसका कोई लाभ नहीं है। जब तक मैं उनका नाम नहीं पुकारता तब तक उन्हें नहीं बोलना चाहिये (**व्यवधान**) मैंने श्री मिश्रकों ये कागजात भेज दिये थे। उन्होंने सुबह मुझ से कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ संदेह हैं। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहूंगा। आप मंत्री महोदय का वक्तव्य आज चाहेंगे अथवा कल? ठीक है, आज ही। श्री शुक्ल।

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

22 दिसम्बर 1972 को इस सदन में कार के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी नीति के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री श्याम नन्दन मिश्रा ने अपने भाषण में भूमि अर्जन में तथाकथित अनियमितताओं और रक्षा विभाग के आदेशों के तथाकथित उल्लंघन का उल्लेख किया था, औद्योगिक विकास मंत्री ने अपने वक्तव्य में भूमि अर्जन सम्बन्धी आलोचना का उत्तर देते हुए यह बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती गई है। उन्होंने साथ ही सदन को इस बात का भी आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई अथवा कोई आरोप होगा और उनके सम्बन्ध में लिखित प्रमाण उपलब्ध होंगे तो उनकी छानबीन की जाएगी। इस पर श्री श्यामनन्दन मिश्रा ने बीच में यह प्रश्न किया था, "रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में क्या स्थिति है उन्हें अब वहां से कैसे हठाया जा रहा है ?" इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि "किसी को हटाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।" ऐसा मैंने इस लिए कहा था कि किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान को उनके स्थान से हटाने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें वहां बने रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे इस कथन का आधार निम्नलिखित था।

2. भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 के अंतर्गत ऐसे स्थान संकर्म के अहाते में आनेवाली भूमि के प्रयोग तथा उपभोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगा रहे हैं जिनकी घोषणा धारा 3(1) में की गई है। इन प्रतिबन्धों का सविस्तर विवरण उक्त अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है। इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि ये प्रतिबन्ध धारा 3(2) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से तथा उसके बाद लागू होंगे। किस प्रकार इन प्रतिबन्धों को लागू किया जाएगा इस का उल्लेख अधिनियम में ही किया गया है। सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमोदन से इन प्रतिबन्धों में छुट की भी व्यवस्था है। भारतीय रक्षा-संकर्म अधिनियम 1903 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 15-12-1962 को प्रकाशित सा० नि० अ० सं० 315 में घोषणा की गई थी, जिसमें तत्कालीन पंजाब राज्य में आर्मी अम्युनीशन डिपो, गुड़गांव की बाह्य मुंडेर से 1000 गज तक की सीमा को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस डिपो को सन् 1966 में बन्द कर दिया गया था और इसका सारा अहाता वायु सेना ने ले लिया था। सन् 1968 में

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

गुड़गांव जिले में रक्षा मंत्रालय की 415 एकड़ भूमि को लौटा देने का निर्णय किया गया। यह सूचना लोक सभा में 31 जुलाई 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर में दी गई थी। इसमें एयर फोर्स डिपो की कुछ भूमि भी शामिल थी। इस परिवर्तित स्थिति के कारण भारतीय रक्षा-संकर्म अधिनियम, 1903 के अन्तर्गत एक नयी घोषणा प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ी, ताकि प्रतिक कायम रहें। तदनुसार वह घोषणा 11 जनवरी 1969 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा० नि० अ० सं० 6 के अन्तर्गत जारी की गई।

3. तथापि इस घोषणा को लागू करने के लिए कानूनी अपेक्षा भूल से पूरी न की जा सकी। कानून के अनुसार सम्बन्धित जिला संमाहृता "अतिसूचना का सारांश इलाके में आम सुविधाजनक स्थानों पर, सार्वजनिक नोटिस के रुप में लगाएंगे" इसके लिए कानून व्यवस्थानुसार भूमि का एक ऐसा नक्शा तयार कर के समाहृता को दिया जाना था, कि सम्बन्धित भूमि की सीमाओं का माप एक मील के लिए छः इंच से छोटा नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसे नहीं किया गया। इस घोषणा की अथवा सांवधिक नक्शे की प्रति न तो राज्य सरकार को भेजी गई और न ही गुड़गांव के समाहृता को। परिणा समाहृता ने उक्त घोषणा का सारांश सार्वजनिक नोटिस के रुप में नहीं लगाया और न भूमी के नक्शे को ही उपायुक्त, गुड़गांव, के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया। फलतः अधिनियम की धारा 7 में दिए गए प्रतिवर्ष लागू नहीं हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि राजपत्र में घोषणा के प्रकाशित हो जाने के उपरान्त, गुड़गांव के समाहृता को सूचित कर दिया गया था कि अधिसूचना जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह सब बातें उस समय की हैं जब कि मैसर्स मारुती लिमिटेड की कल्पना तक भी नहीं की गई थी।

4. इसके अतिरिक्त, राजपत्र में प्रकाशित घोषणा के साथ लगी अनुसूचियां अस्पष्ट हैं, क्योंकि उनमें न तो वह भूमि स्पष्ट निर्दिष्ट की गई है जिसपर प्रतिबन्ध लगाया गया है और ना ही उनमें प्रतिबन्धों से सम्बन्धित संकर्म के बाह्य मुंडेर निर्दिष्ट किया गया है। अतः स्थिति यह है कि भले ही घोषणा में सम्बन्धित भूमि स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं की गई, लेकिन कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार उस घोषणा को लागू नहीं किया गया और इस प्रकार वह अमान्य रही। अतः उसके उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने के विचार से रक्षा मंत्रालय इस बात की छानबीन कर रहा है कि वह घोषणा ठीक तरह से क्यों लागू नहीं की गई।

5. सन 1962 की घोषणा जारी होने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर भी व्यावहारिक रुप से उस घोषणा का उलंघन किया गया। वहाँ पर कुछ मकान सन् 1962 से पहले के भी हैं। मई 1969 तक प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर 521 मकान और अनेकों कुएं तथा नलकूप बनाए गए। जब यह क्षेत्र सेना के कब्ज में था तब भी इसके अन्दर कुछ मकान बनाने की इजाज़त दी गई थी। 11 जनवरी 1969 को राजपत्र में घोषणा प्रकाशित हुई और तब से अब तक इस क्षेत्र में अनेकों मकान बनाए जा चुके हैं।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सन 1966 में आर्मी अम्युनीशन डिपो के बन्द किए जाने के बाद इस क्षेत्र में कानूनी रूप में कोई भी प्रतिबन्ध लागू नहीं था। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर और औद्योगिक विकास मंत्री को मैंने जो सूचना दी थी, उस आधार पर ही उन्होंने सदन में बताया था कि जहां तक रक्षा संदर्भ का सम्बन्ध है, किसी भी प्रतिबन्ध का उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे वक्तव्य को भी उसी संदर्भ में पढ़ा जाय।

7. एअर फोर्स यूनिट के अफसर कमांडिंग के दिनांक 11 मार्च, 1971 के पत्र का जिसे अभी श्री श्याम नन्दन मिश्र ने प्रस्तुत किया है, 11-1-1969 की घोषणा से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह पत्र भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 के अन्तर्गत, वायु सेना को छोड़कर अन्य किसी

भी अभिकरण द्वारा भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में लगाए गए प्रतिबन्धों से सम्बन्धित है और साथ ही रक्षा मंत्रालय के दिनांक 13-8-1956 के पत्र के संदर्भ में हरियाणा सरकार के द्वारा भूमि अर्जन के आम प्रश्न से भी सम्बन्धित है। जहां तक भारतीय रक्षा संकर्म अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गये प्रतिबन्धों का संम्बन्ध है मैं ने इसके सम्बन्धमे सविस्तर पहल ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। मै इसे पुन: दुहराना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के संबन्ध मे अधिनियन 1903 के अन्तर्गत कोई घोषणा सक्रीय रुप से लागू नहीं की गई थी। रक्षा मंत्रालय का दिनांक 13-8-1956 का परिपत्र, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ट्रावनकोर तथा कोचीन तथा पेप्सू सरकारों को दिए गए कतिपय ऐसे सुझावों के बारे में था जो वायु सेना प्रतिष्ठानों के आस-पास भवनों तथा अन्य संरचानाओं के निर्माण के सम्बन्धित थे। पत्र में यह बताया गया था कि उन सुझावों के आधार पर कुछ विधान बनाए जाने का विचार है। लेकिन ऐसा विधान नहीं बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के पत्र में यह भी व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए जब भी आवश्यक हो केन्द्र तथा राज्य सरकार एक दूसरे से परामर्श करेगी वास्तविक तथ्यों के आधार पर तदनुसार हरियाणा सरकार के साथ इस मामले पर विचार किया जाता रहा।

8. अत: उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे अथवा औद्योगिक विकास मंत्री के वक्तव्यों में कोई भी असंगति नहीं थी तथा वास्तविक तथ्यों को दबाने तथा छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : श्रीमन, मेरा अनुरोध है कि ... ...

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप उन्हें मुझे भेजिये मै उनको देखूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है मुझे उसका विरोध करने का अधिकार है। सदन इस बात का निर्णय करे। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : इस मामले का सम्बन्ध श्री श्यामनन्दन मिश्र और सरकार से ही नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वायुसेना के पत्र व्यवहार तथा मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी में विरोधाभास है। सदन के पास ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिससे पता चलता है कि देश की रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से उठायी गए आपत्तियों को भी दबा दिया जाता है... (**व्यवधान**)। सदन के सम्मुख एक गम्भीर मामला है, आप इस विशेषाधिकार समिति को भेज सकते है। यदि आपका विचार ऐसा नही है तो आप इस मामले को समिति को भेजने के सम्बन्ध में सदन से निर्णय करने के लिए कह सकते है।

श्री पिलु मोदी (गोधरा) : जिन्होंनें वक्तव्य सुना है वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि अथवा गलत। इस मामले की और जांच की जानी आवश्यक है। क्या आप ऐसा करायेंगे अथवा इसे जांच के लिये विशेषाधिकार समिति के पास भेजेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी एक व्यवस्था है मैं उस दिन के वादविवाद का अंश पढता हूँ जिसमें श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा है–

> "मैं उनकी ओर से यह बात कह रहा हूं। मेरा यह कहना उनके कहने से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है।"
>
> ...(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1962 का आदेश अभी चल रहा है । जो कुछ उन्होंने किया है उससे देश की सुरक्षा को क्षति पहुंची है ... (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : औद्योगिक विकास मंत्री के वक्तव्य में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि उन्होंनें रक्षा मंत्री से परामर्ष किया । यदि सदन रक्षा मंत्री के स्थान पर इस मामले में रक्षा मंत्रालय के राज्यमंत्री को उत्तरदायी समझता है । तब तो और बात है अन्यथा रक्षा मंत्री से भी हमें पूछताछ करनी होगी। (**व्यवधान**)

दुसरे, औद्योगिक विकास मंत्री ने मिथ्या अभिमान में कहा है कि जो कुछ वह कहते है वह रक्षा उत्पादन मंत्री के कथन से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उनका कथन कनिष्ठ मंत्री के वक्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका यह भी अर्थ है कि मंत्री मंडल का सदस्य होने के नाते वह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात से अवगत है और इस मामले में सामूहिक उत्तरदायित्व दूसरे मंत्रियों से परामर्ष करके उपस्थापित किया जाता है । अत: आपने जो वक्तव्य मुझे दिया है वह पर्याप्त नहीं है । हमने जो उनका उत्तरदायित्व ठहराया है यदि वह इससे दोषमुक्त होना चाहते है तो उन्हें पूरा वक्तव्य देना होगा ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मेरे व्यक्तव्य में रक्षा मंत्री से तात्पर्य श्री जगजीवनराम से नहीं है श्री शुक्ल से है । मैंने रक्षा उत्पादन मंत्री का संदर्भ दिया है । मैंने किसी विरोध से बचने की चेष्टा नहीं की है । यदि कोई विरोध है तो मैं उसमें आता हूं क्यों कि मैंने चर्चा में भाग लिया है । जो कुछ मैंने कहा है आपको उसे स्पष्ट रूप में समझना चाहिये। मेरा तात्पर्य रक्षा उत्पादन मंत्री से है । वह यहां उपस्थित थे, मैंने उनसे परामर्श किया था और तब वक्तव्य दिया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण से एक बात और उठती है । रक्षा उत्पादन मंत्री का इस दायित्व से सीधा सम्बन्ध नहीं है । अत: उन्होंनें गलत व्यक्ति से परामर्श किया (**व्यवधान**) यह बात भी उन्हें स्पष्ट करनी होगी । सदन के निर्णय के लिये मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। मैं मंत्री महोदय की प्रत्यक बात का उत्तर दूंगा। इसके पश्चात सदन निर्णय करे ।

अध्यक्ष महोदय : मै सभा के अधिकार से इंकार नही करता । हम पहले भी ऐसा करते आये है और अब भी ऐसा कर रहे है । लेकिन मुझे यह अवश्य विदित होना चाहिये कि वह किस बारे में संतुष्ट नहीं है। श्री श्यामनन्दन मिश्र उन मामलों के बारे में मुझे सूचित करें और मै उनकी जांच करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे सदन में रखूंगा।

श्री पिलू मोदी (गोधरा) : यदि आप इस मामल में निर्णयक होंगे तो मै यह प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा कि विशेषाधिकार समिति को समाप्त कर दिया जाये और उसके अधिकारों को अध्यक्ष को सौंप दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मै इस विषय में सन्तुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सदन के सम्मुख जो कोई मामला होता है उस मामले पर या तो सदन में निर्णय लिया जाता है अथवा सदन की किसी समिति द्वारा उस मामले पर निर्णय लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मे इस बातसे इंकार नहीं करता कि सभा को इस मामले की जानकारी है । मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं किस मामले को सदन में रखूं और सदन से उस मामले पर निर्णय लेने का अनुरोध करुं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मंत्री महोदय ने विशेषाधिकार के मामले पर बहुत जल्दी में और बडा लम्बा वक्तव्य दिया है । माननीय सदस्यों द्वारा वक्तव्य का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। अतः किसी भी विषय पर चर्चा किये बिना उसको समाप्त नही किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात के बारे में कोई आपत्ति नहीं है... (**अन्तर्बाधाएं**) यदि सभा यह निर्णय करती है कि इस विषय पर चर्चा की जाये तो आप अब इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You permitted Shri Mishra to raise the matter and thereafter you requested the Hon. Minister to make a statement. After the Ministers statement the House should be given the opportunity to study that statement of the Minister, Shri Mishra may also give his statement and it may be circulated and the matter may be discussed in the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात सें सहमत हूं (**अन्तर्बाधाएं**) श्री मिश्राजी, यदि आप पुन: बोलना चाहते है तो अब बोलने से कोई लाभ नही है । यदि सदन की यह इच्छा है कि इस मामले की सदन में चर्चा की जानी चाहिये और इस विषय पर सदन को निर्णय लेना चाहिये, तो मैं इसके लिये समय निर्धारित कर दूंगा। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल–भारतीय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस प्रकार वक्तव्य को सभा में नहीं रख सकते।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा का इस समय कोई प्रश्न नहीं है । यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से चर्चा कर सकते हैं।

श्री पिलू मोदी : हमे इस बारे में अध्ययन करना होगा।

श्री इन्द्रजित गुप्त (अलीपुर) : चुंकि श्री मिश्र को वक्तव्य उपलब्ध हो गया था अत: यदि सिर्फ श्री मिश्र इस बारे में अपना वक्तव्य देना चाहे तो उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : After the Statement by the Hon. Minister there is no necessity of any discussion on it. The Hon. Speaker may please study the matter and then give his rulings.

Mr. Speaker : I have already asked Shri Mishra to send his statement in writing or he may give his statement just now.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यद्यपि इस मामले में बहुत घोटाला हुआ है, लेकिन इस मामले को मैं विशेषाधिकार के मामले के रूप में उठाऊंगा । मैं इस सम्बन्ध में राजनीतिक विवादास्पद मामलों को नहीं उठाऊंगा ।

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

मेरा यह कहना है कि दोनों मंत्रियों ने झूठा वक्तव्य दिया है । उन्होंनें सभा को गुमराह करने के लिए ऐसा किया है । इस मामलो में प्रश्न और उत्तर पूर्णतया स्पष्ट हैं। उस समय कमांडिंग आफिसर द्वारा लिखित पत्र मौजूद था। यह एक वास्तविक तथ्य है । दोनो मंत्रियों ने इस पत्र के बारे में इंकार नहीं किया है और न ही उन्होंनें आपत्ति की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है । (व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया है । कोई भी सदस्य विशेषाधिकार का मामला उठा सकता है लेकिन इस मामले पर अध्यक्ष की अनुमति से ही चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है । मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी थी और मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने को कहा था (**अन्तर्बाधाएं**) मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दे दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में किन किन बातों से संतुष्ट नहीं है जिससे मै इस बारे में निर्णय ले सकूं । (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : If the members do not want discussion here, the whole matter may be referred to the Privilege Committee.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री शुक्ल यह भी तर्क नहीं दे सके कि इस बात से उन्हें आश्चर्य हुआ है क्योंकि 22 नवम्बर को मैंने उन्हें पत्र लिखकर इस बारे मे पक्की जानकारी प्राप्त करनी चाही थी। लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है। मंत्री महोदय और मामलों में यह दलील दे सकते थे कि इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करनी है लेकिन गजट अधिसूचना को कैसे झूठा ठहराया जा सकता है ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुसार 15 दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 350 के अन्तर्गत गुडगांव डिपो की बाहरी मुंडेर से 1,000 गज की भूमि प्रतिबन्धित भूमि घोषित की गई की और वह क्षेत्र प्रतिबन्धित सीमा में आता है । अब मंत्री महोदय का यह कथन है कि उक्त डिपो वर्ष 1966 में बन्द कर दिया गया था और उस डिपो को वायु सेना ने अपने अधिकार में ले लिया था (**अन्तर्बाधाएं**)

मंत्री महोदय का कहना है कि 1966 में डिपो के बन्द हो जाने के बाद कानूनी तौर पर यह प्रतिबन्ध बाकी नहीं रहा था और इन प्रतिबन्धों को जारी करने के लिये नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक था । यह बहुत ही तर्क विरुद्ध बात है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य यह उल्लेख करना भूल गये है कि 415 एकड भूमि छोड दी गई थी अत: इसके लिये नई अधिसूचना की आवश्यकता थी। कुछ भूमि जो सैनिक डिपो के अधीन थी वो दे दी गई थी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : 11 जनवरी, 1969 को जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि मे से 415 एकड भूमि पर से, जिसमें 258 एकड भूमि डिपो की भी शामिल है, प्रतिबन्ध उठाने की बात कभी भी कानूनी रूप नहीं ले सकी । अत: दिनांक 11 जनवरी, 1969 की अधिसूचना का उल्लंघन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1962 को अधिसूचना जारी नहीं की गई थी अथवा विधि अनुसार प्रकाशित नहीं हुई थी। इसमे कोई संदेह नही है कि अधिसूचना 1962 में जारी नहीं की गई थी। अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत यदि अधिसूचना द्वारा कोई घोषणा की जाती है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि

उस भूमि को इमारतों और अन्य संस्थानों से मुक्त रखना आवश्यक है। अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार अधिसूचना स्वयं समाप्त हो जाये अथवा वापिस ले ली जाये अथवा अप्रभावी हो जाये। अधिनियम की धारा 38 में उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना उस समय तक वैध रहेगी जब तक उसका विखंडन नहीं होता।

डिपो बन्द होने के बाद वायुसेना के अधिकार में वह स्थान आ गया था। अतः रक्षा का निर्माण कार्य हो ही रहा था। डिपो के तुरन्त बन्द होने के बाद न तो अधिसूचना वापिस ली गई थी और नही उसे रद्द किया गया था। जैसे ही वह स्थान विस्फोटक पदार्थों का डिपो बनाया गया, जैसा कि 11 मार्च 1971 के कमान अधिकारी के पत्र में कहा गया है, दिनांक 15 दिसम्बर 1962 की अधिसूचना तुरन्त प्रभावी हो गई। यहां हमें कमान अधिकारी और मंत्री के कथन में अन्तर दिखाई पडता है।

रक्षा मन्त्री ने कहा है कि क्योंकि इन भूमियों को पूरी तरह चिन्हित नहीं किया गया था अतः 11 जनवरी 1969 की अधिसूचना प्रभावी नहीं है। उनकी यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि घोषणावाली अधिसूचना निसंदेह जारी की गई थी और वह घोषणा इस बात की प्रमाण थी कि भूमि अधिग्रहीत की गई थी।

अधिनियम के अनुसार घोषणा के बारे में सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक है, सूचना देने का तरीका निर्धारित नही है। सूचना जारी करने का उपबन्ध निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं।

सेना के कब्जे में भूमि रहते हुए अनुमति देना इस बात का प्रमाण है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिसूचना की पूरी जानकारी थी।

माननीय मंत्री ने यह अजीब दलील दी है कि गजट अधिसूचना और उसका ब्यौरा कलेक्टर या राज्य सरकार को नही दिया गया। क्या सरकार किसी नागरिक को अधिसूचना की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगी? सूचना केवल गजट में प्रकाशित की जायेगी। जब किसानों को इस बात का पता लगा तो, उन्होनें 1969 में इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया था। माननीय मंत्री ने जो सूचना दी है उससे सभा का अवमान होता है।

यह केवल अवमान का ही प्रश्न नहीं है, यह तो भारत रक्षा अधिनियम के उल्लंघन का भारी अपराध है।

मेरा सुझाव है कि चूंकि यह मामला देश की रक्षा और सुरक्षा से सम्बन्धित है अतः माननीय मंत्री को इस मामले को स्वयं विशेषाधिकार समिति को सौपने का अनुरोध करना चाहिये। इससे मामले में पूरी जांच करने में सहायता मिलेगी और इस संबंध में तथ्य सामने आयेंगे।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : इस सम्बन्ध में आपका क्या विनिर्णय है। क्या आप सब सदस्यों को सब वक्तव्य परिचालित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : परिचालन का कोई प्रश्न नहीं उठता। सभा में जो कुछ कहा जाता है वह परिचालित समझा जाता है।

नियम ३७७ के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

मेरठ में पाकिस्तानी जासूसकी गिरफ्तारी के बारेमें मामला

Shri Atal Bihari Vajpayee : In today's newspaper there is a news item that a Pakistani Spy has been captured in Meerut. According to the Meerut Police, he had been a police inspector in Pakistan and was roaming in a suspicious condition in Meerut Cantt.

Two letters have been recovered from him, one has been written by some Union State Ministers and the other by Some Members of Parliament. The Government should make a clear Statement in this regard.

श्री समर गुह : सरकार को इस बारे में वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये यदि उक्त समाचार सच है तो क्या किसी केन्द्रीय राज्य मंत्री अथवा संसद् सदस्य का पाकिस्तानी जासूस से कोई सीधा सम्बन्ध रहा है। जब तक इस बात का खंडन नहीं किया जायेगा तब तक यही समझा जायेगा कि ऐसी सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय करना चाहिये कि ऐसे मंत्री अथवा संसद सदस्य को तब तक सभा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जब तक उनके विरुद्ध लगे आरोपों का स्पष्टीकरण न किया जाय। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह वक्तव्य दे कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित ये समाचार सच है अथवा नहीं?

समाचार पत्रों में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने ब्लॅक दिसम्बर द्वारा गृह मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में दी गई धमकियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि बम्बई में कुछ तालाबों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है क्योंकि उनमे जहर मिलाने की धमकी दी गई थी अतः सरकार को 'ब्लॅक दिसम्बर' द्वारा दी गई धमकियों के बारे में भी शीघ्र एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (आंसग्राम) : चंडीगढ से 250 स्वयंसेवकों के साथ आये हमारे नेता को सब स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं? वे लोग मूल्य वृद्धी, बेरोजगारी की समस्या और बिजली संकट पर चर्चा करने के लिये यहां आये थे। अतः गृह मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये और उन सब को रिहा कर देना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आकाशवाणी के समाचार से हमें उडीसा सरकार के त्यागपत्र का पता चला।

Mr. Speaker : Resignations do take place.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उडीसा के 23 विधायक कांग्रेस छोडकर अपनी पहली पार्टियों में चले गये है। और मुख्य मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। राज्यपाल को अल्पमत के मंत्रीमंडल के परामर्श पर नहीं चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को यहां क्यों रख रहे हैं?

श्री पी० के० देव : मध्य प्रदेश में ऐसी ही स्थिति में अन्य कार्यवाही की गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उडीसा में विरोधी दलों की सरकार बनायी जानी चाहिए थी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया है।

Shri Atal Behari Vajpayee : There was no necessity to dissolve the Assembly.

अध्यक्ष महोदय : यह राज्यपाल का स्वविवेक है।

Shri Atal Behari Vajpayee : A conspiracy in New Delhi is going on to impose President Rule in Orrissa.

Mr. Speaker : You should not have such doubts.

Please have mercy on me and do not continue such tempo.

श्री सुरेंद्र महन्ती (केन्द्र पाडा) : बहुमत का यह रवैया है जिससे श्रीमती नन्दनी सत्पथी के मंत्रीमंडल का अंत हुआ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर पांच मिनटपर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled at five minutes past fifteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**]

[*Mr, Deputy Speaker in the Chair.*]

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे अभी अभी एक संदेश प्राप्त हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुरेंद्र महन्ती : मैं केवल दो मिनट चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सीधी बात करें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उडीसा के मुख्य मंत्री . . .

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह बात प्रातः उठायी गई थी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं एक अन्य दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं जो लोग दल बदली के कारण सत्तारूढ हुए हैं। उन्हें दल बदली के कारण सत्ता छोडनी पडेगी। अल्पमत में आने के पश्चात मुख्य मंत्री को राज्यपाल को परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें विकल्पी सरकार की सम्भावनाओं को अवसर देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : कानपुर की जे० के० जूट मिल में 3000 कर्मचारियों की हडताल जारी है। वे कलकत्ता के श्रमिकों के समान वेतन चाहते हैं। आप मंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य देने को कहें।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री **रघुनाथ रेड्डी**) : सरकार कानपुर की हडताल से चिन्तित है। मैंने राज्य के श्रम मंत्री को पहले ही लिख दिया है।

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

Statutory Resolution Re. Proclamation in relation to the State of Andhra Pradesh

*श्री **के० सूर्यनारायण** (एलूरू) : ऊच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में मामला उठने पर मुल्की नियमों का मामला प्रकाश में आया था ।

इस बारे में जो करार हुआ उसके विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में गया जिसका निर्णय सरकार के विरुद्ध गया । सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय का निर्णय सरकार के पक्ष में रहा ।

एकतावादियों का कहना है ये नियम इस राज्य के किसी भी क्षेत्र के लोगों के हितों के विरुद्ध नहीं है । किन्तु स्थिति यह है कि उस समय हमें बडी अजीब स्थिति का सामना करना पडता है जब किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के अपने ही राज्य की राजधानी में दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है । आन्ध्र प्रदेश के कुछ कर्मचारियों को नौकरी छोडने के लिये कहा गया है । ऐसी स्थिति में उन्हें न्यायालय की शरण जाना पडता है । जब वे उच्चतम न्यायालय में गये तो ये मुल्की नियम रद्द कर दिये गये क्योंकि ये नियम भारत के संविधान में निहित मौलिक सिधान्तों के विरुद्ध पडते हैं । अक्तूबर में उच्चतम न्यायालय द्वारा मुल्की नियमों के संबंध में निर्णय रोक देने के कारण यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था ।

प्रधान मंत्री ने हमें बताया है कि ये मुल्की नियम हैदराबाद के नागरिकों की सुरक्षा के लिये हैं ।

हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में यह बात समझानी चाही परन्तु लोग अपने अधिकारों को सीमित किए जाने पर असंतुष्ट रहे । धीरे धीरे आन्दोलन जोर पकडता गया । लोग भला अपने लिये द्वितीय श्रेणी की नागरिकता की स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकते है । जिस क्षेत्र ने 26 सदस्यों को चुना था वही यह कहने लगे कि मैं श्रीमती इन्दिरा गान्धी का एजेन्ट हूं । जब मुलकी नियमों का विधेयक संसद में रखा गया तो मैंने इस बारे में जनता के विचार जानने चाहें ।

हम समझते थे कि भारत के गणतन्त्र में भूतपूर्व राजाओं द्वारा जारी की गई व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं होगा ।

जब हैदराबाद राज्य का पडौसी राज्यों में विलय हुआ तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को पृथक रखना चाहा ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह आन्दोलन श्रीमती इन्दिरा गान्धी में अविश्वास के कारण नहीं हुआ था । स्थिति अब इतनी बदल गई है कि जनता के अधिकांश प्रतिनिधियों का मत यह है कि कांग्रेस में बने रहने का कोई लाभ नहीं है । आपको भी अपने स्रोतों से पता चल गया होगा कि सम्पूर्ण आन्ध्र क्षेत्र की स्थिति बडी विषय बन गई है ।

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर ।

*Summarised translation version of English translation of speech delivered in Telugu.

यदि हमने विरोधी दलों का सहयोग मांगा है तो उसका उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्ति मात्र ही है। मैं तेलुगू भाषी सदस्यों से मांग करूंगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के लिये कार्य करें।

मैं कहना चाहता हूं कि पृथक आन्ध्र और तेलंगाना राज्यों के निर्माण का समय आ गया है। सरकार को शीघ्र ही इस बारे में व्यावहारिक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि उनका प्रभाव आन्ध्र और तेलंगाना से समाप्त न हो जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : श्री सूर्यनारायण द्वारा कही गई बातें वास्तविकता से बहुत दूर है। मुल्की नियमों के बारे में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मामला और भी बिगड गया है। मुल्की नियमों के कुछ अंशों को ही पुनः लागू करने की चेष्टा की गई थी, न कि पूरे रूप में। मैं समझता हूं कि इस आन्दोलन से यह भ्रम पैदा किया गया था कि सारे मुल्की नियमों को पुनः लागू किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं कहा है कि समस्या उन 500–700 कर्मचारियों की थी। समस्या का आन्ध्र की आम जनता से कोई संबन्ध नहीं है। दाखलों के मामले में भी कुछ भेदभाव बरते गये थे। परन्तु यह समस्या सीमित ही थी।

जो लोग कांग्रेस को छोड कर गये हैं वे पुनः पार्टी में आ सकते हैं।

सरकार ने पंचसूत्रीय योजना को लागू करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। यह थोडे से संरक्षण भी आन्ध्र क्षेत्र के नेताओं को सह्य नहीं है।

रायल सीमा आन्ध्र प्रदेश का अत्यन्त पिछडा क्षेत्र है जिसमें कोई उल्लेखनीय उद्योग नहीं है। मैं श्री सूर्यनारायण से पूछना चाहता हूं कि जब वह तेलंगाना के लिए सीमित संरक्षणों को सहन करने को तैयार नहीं हैं तो रायल सीमा के विकास के लिये विशेष व्यवस्था को कैसे सहन करेंगे।

श्री के० सूर्यनारायण : श्री पी० वेंकटासुब्बया के अलावा रायलसीमा के सभी संसद सदस्य इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों कि सेनाएं उनके सिर पर बैठी हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं सेनाओं से नहीं डरता।

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री सूर्यनारायण खडे होते हैं तब आप बैठ जाते हैं। हर बार ऐसा करना ठीक नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कह रहा था कि सरकार ने शिक्षा सुविधाओं को देने में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही आन्दोलन कर रहे उच्च सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

अब जब की आन्दोलन धीमा पडता जा रहा है उसे जारी रखने के लिये सेनाओं का उपयोग किया जा रहा।

श्री पीलू मोदी : क्या आन्ध्र में साम्यवादी दल नहीं है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : साम्यवादी पार्टी इन सेनाओं के साथ संघर्ष कर रही है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

श्री पीलू मोदी के समर्थक समाचार पत्र 'करेन्ट' में छपा है कि द्रु० मु० क० ने 2500 स्वयंसेवक आन्ध्र में गुरिल्ला तरीके सीखने के लिये भेजे हैं। उसमें कहा गया है कि श्री विश्वनाथन ने कहा है कि यदि आन्ध्र का संकट न सुलझाया गया तो हम पूरे दक्षिण के पृथक्करण की मांग करेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : यह गलत है। मैं ने पहले ही इसका खण्डन कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह भी कह गया है कि आत्म रक्षा में बिल्ली भी शेर बन जाती है। श्री जी० विश्वनाथन ने कहा बताते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिये तो एक बिल्ली भी शेर का रूप धारण कर लेती है फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दक्षिण भारतीयों को सैनिक कार्यवाही की धमकी दी गई तो वे पृथक हो जाना चाहेंगे और फिर आप की सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बेकार हो कर रह जायेंगे। अतः दक्षिण भारतीयों के संबंध में सावधानीपूर्वक कोई रवैया अपनाया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं उक्त समाचार का खण्डन कर चुका हूं। मैंने उक्त वक्तव्य नहीं दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भी श्री जी० विश्वनाथन के इस वक्तव्य का खंडन करता हूं जिसमें कहा गया है कि आंध्र में विधान सभा में साम्यवादी दल के नेता श्री श्रीकृष्ण को पृथकतावादी लोगों के आक्रमणों के फलस्वरूप हुई क्षति के लिये 15,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। यह समाचार अखबारों में छपा था। बाद में जब मेरे मित्र श्री ईश्वर रेड्डी ने इसको चुनौती दी तो श्री जी० विश्वनाथन ने कहा कि यद्यपि मुआवजे के लिये आदेश पास हो गये थे परन्तु राष्ट्रपति शासन के पश्चात् वहां पर तैनात किये गये श्री सरीन ने उन आदेशों को रद्द कर दिया। अब श्री सरीन ने भी उक्त आरोप को निराधार बताया है तथा कहा है कि भारतीय साम्यवादी दल के नेता ने सहायता के लिये कोई आवेदन नहीं किया है और यदि श्री विश्वनाथन में साहस हो तो वह लोक सभा से बाहर आकर ऐसा वक्तव्य दें तथा न्यायिक कार्यवाही का सामना करें।

उस दिन श्री सत्यनारायण ने कहा कि भारतीय साम्यवादी दल के सचिव श्री राजेश्वर राव एक जमींदार हैं तथा 'कम्मा' जाति के हैं। परन्तु सच यह है कि वे 'कम्मा' जाति के तो हो सकते हैं परन्तु उनके तथा उनकी पत्नी के पास केवल 10–11 एकड ही भूमि है। साम्यवादी दल में आने के बाद उन्होंने अपनी सारी भूमि त्याग दी।

कोई नहीं चाहता कि आंध्र में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक के लिये बना रहे। अन्ततः चुनाव ही इसका विकल्प होंगे परन्तु चुनाव भी तभी होने चाहिये जब पहले जैसी सामान्य स्थिति पैदा कर दी जाये। आज जो हो रहा है उसे देखते हुए तो चुनावों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। स्थिति सामान्य हो जाने पर तो हर विषय पर विस्तार से और खुले दिल से चर्चा हो सकती है, हर प्रश्न पर सोच विचार किया जा सकता है। केवल ऐसी स्थिति में ही लोग भी अपने मत की अभिव्यक्ति स्वच्छन्द होकर कर सकते हैं। वह स्थिति इस समय विद्यमान नहीं है और न जाने कब पैदा होगी। मेरा मत है कि इस संदर्भ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सेना की कार्यवाही की बजाये राजनैतिक तथा आर्थिक मंच पर कार्यवाही करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे खुशी है कि वहां से सेना वापस बुलाई जा रही है। इस से स्थिति सामान्य होने में बडी सहायता मिलेगी। राजनैतिक वातावरण पैदा होगा तथा आंध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के लोग पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इस बीच सरकार वहां एक सांविधिक विकास बोर्ड का गठन करने

तथा उपयुक्त धन राशि प्रदान करने के कार्य को आगे बढाये । तेलंगना के सूखा पीडित क्षेत्र की बिकट दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । इस क्षेत्र के लिये तुरन्त ही राहत कार्य किये जाने चाहिये और रायल सीमा क्षेत्र के लिये पर्याप्त निधि दी जानी चाहिय ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं राष्ट्रपति के अध्यादेश का समर्थन करता हूं। इस विषय पर चर्चा के दौरान सभी संबंधित बातें कह दी गई हैं । अपने भाषण के अन्त में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने चुनावों के बारे में कहा ताकि लोगों के विचारों का पता लग जाये। परन्तु मत जानते समय यह प्रायः देखा गया है कि यदि विवादास्पद विषय छोटा राज्य अथवा बडे राज्य के चयन का हो तो स्वाभाविक ही है कि लोग छोटे राज्य के वरीयता देंगे । इन परिस्थितियों में इस विषय को चुनाव का मामला बना लेने से अन्य संबंधित तथा अधिक महत्वपूर्ण विषय पीछे रह जायेंगे चाहे वे आंध्र से संबंधित हो अथवा देश के किसी अन्य राज्य से संबंधित हो ।

हमें पृथकता तथा अखण्डता को समान स्तर पर रखकर विचार नहीं करना चाहिये। मुल्की नियमों को इतना उछाला गया है कि उनका प्रभाव एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर होते हुए भी उन्हें पृथक होने का बहाना बना लिया गया है । कुछ तो समाचार पत्रों ने उन्हे आवश्यकता से अधिक प्रचारित किया तथा कुछ न्यायालय के निर्णय ने उन्हें आपके जटिल बना दिया और संसद के समक्ष भी यह विषय आ गया ।

कर्नाटक और आंध्र का इतिहास पिछली कम से कम पांच शताब्दियों से एक समान चलता आ रहा है तथा अब वहां राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद- ३ के अधीन लगाया गया है जो कि एक राज्य के गठन से संबंधित है । मेरा अनुरोध है कि इस समय आंध्र प्रदेश की निलंबित हुई विधान सभा को भंग न किया जाये तथा इस विवाद के कारण विधायकों को इतना कडा दंड नहीं दिया जाना चाहिये । नये चुनावों तक तो यह विषय भी मृत-प्रायः हो जायेगा पुराना पड जायेगा ।

केन्द्रींय रिज़र्व पुलिस को बहुत बदमाश किया गया है जब कि पुलिस चाहे केन्द्र सरकार की हो अथवा राज्य सरकार की, उसे अपना कर्तव्य निभाना होता है । ये लोग दूर दूर से आकर यहां अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उनके शांति तथा व्यवस्था स्थानिक करने के प्रयास की निन्दा करना उचित नहीं है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अपने कार्य के लिये केंद्र सरकार की उत्तरदायी है तथा केन्द्र सरकार को संसद के सामने जवाब देना पडता है । माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे पुलिस के कार्य तथा कर्तव्यपरायणता की सराहना करें।

कोई विवाद जब हल नहीं हो जाता तो वह राजनैतिक समस्या बन जाती है । भारत में ही नहीं विश्व भर में अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो गत 25 वर्षों में भी हल नहीं हो सके हैं। अरब–इजरायल तथा ताइवान संबंधी विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं । अलास्का का प्रश्न गत 500 वर्षों से उलझा पडा है । अतः किसी क्लिष्ट प्रश्न पर तुरन्त निर्णय करना इतना सरल नहीं होता है । कृष्णा गोदावरी विवाद, नर्मदा बेलगाम आदि से संबंधित विवाद ऐसे ही विषय हैं । इनके किसी हल के फलस्वरूप ऐसे ही कई अन्य विवाद भी जन्म ले सकते हैं । परन्तु मेरे विचार से आंध्र तथा तेलंगना का विवाद अपने आप में एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसके पश्चात् मैसूर या कर्नाटक में भी ऐसा विवाद खडा हो जायेगा । अतः आंध्र के प्रश्न को एक विशिष्ट प्रश्न मान कर हल किया जाना चाहिये ।

हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असन्तुलन विद्यमान है । जब किसी राज्य में, विकास निधि के आबंटन आदि संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन बढ जाता है तो वहां के लोग चिल्ला उठते हैं ।

[श्री बी० वी० नायक]

आज का प्रश्न पृथकतावादियों तथा अखडतावादियों के मध्य नहीं है बल्कि यह एक त्रिकोण समस्या है । एक तीसरा पक्ष भी है जो टुकड़े कराना चाहता है । हमें उसके प्रयास को रोकना है तथा इस संबंध में सप्रयोजन बातचीत करनी चाहिये । हमें चाहिये कि हम तेलंगना का उदाहरण सामने रखकर क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का प्रयास करे ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : अनुच्छेद 346 के अधीन, आंध्र प्रदेश में लागू किये गये राष्ट्रपति शासन का मैं विरोध करता हूँ ।

राज्यपाल को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि समझा जाता है परन्तु उन्होंने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी है वह स्वयं उनकी लिखी हुई न होकर किसी अन्य द्वारा लिखी गई लगती है । राज्यपाल का नाम तो केवल उस समय सामने आया जबकि उच्च शक्ति प्राप्त सचिव ने वहां जाकर तथा बातचीत के बाद यह निश्चय कर लिया कि मुख्यमंत्री का त्यागपत्र दे देना चाहिये । इस सम्बन्ध में राज्यपाल तथा आंध्र प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों की तो सलाह ही नही ली गई है । इस प्रकार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति तथा उच्च शक्ति प्राप्त एक सचिव के कहने पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । स्टेट्समन में छपे एक समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री राव को टेलीफोन द्वारा तुरन्त पिछली बुलाया गया तथा फिर उन्हें मंत्री-मण्डल की राजनैतिक मामलों संबंधी समिति में ले गया जोकि नीति बनाने वाली सर्वोच्य समिति है । यहां यह सिद्ध हो जाता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल तथा केन्द्र सरकार में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है दोनों के बीच कोई अन्तर नहीं है । मेरा कहना है कि राज्य पाल के पद तथा संविधान के उपबंधों को शासक दल की सुविधा के अनुसार उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिये । यह लोकतंत्र का उपहास है ।

आज राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात भी वही अधिकारीगण तथा वही पुलिस राज्य में कानून और शांति की व्यवस्था कर रही है । शासक दल समझता है कि आंध्र प्रदेश की सभी समस्याओं का दल राश्ट्रपति शासन लागू करना है । अतः इस संबंध में मैं तो सारा दोष केन्द्र सरकार और कांग्रेस दल का समझता हूँ ।

राष्ट्रपति के शासन में भी वहां इसी प्रकार की अव्यवस्था जारी है । गुन्तुर में बहुत-सी महिलाओंने मिलकर पुलिस सुपरिन्टेन्डेट को अरचिका पेश की थी उसी बीच महिला होम गार्डो को बुलाकर प्रदर्शन करने वाली स्त्रियों के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न किया गया । फिर एक सब इन्स्पेक्टर उनकी ओर बढ़ा । संसदीय कार्य मंत्री के चुनाव क्षेत्र में यह स्थिति है ।

आंध्र की स्थिति आज इसी लिये ऐसी दयनीय तथा भीषण हुई है कि वहां लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों में से नहीं बल्कि मनोनीत करके मुख्य मंत्री भेजा गया ।

हम आज एक दूसरे को गालियां तो देते हैं परन्तु आंध्र की मूल समस्या को नहीं समझ सके हैं । हम केवल परस्पर एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहें एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं । इससे कोई समस्या हल नहीं हो सकती ।

हम सब जानते हैं कि एक बड़े आकार का राज्य होने से क्या क्या लाभ रहते हैं परन्तु हमें दूसरे पहलू को भी देखना चाहिये लोगों में यह भावना व्याप्त है कि यदि आंध्र प्रदेश विभाजित हो गया तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा । वर्तमान स्थिति यह है कि विधान सभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को तेलंगाना क्षेत्र के निकायकों की स्वीकृति भी मिलनी चाहिय, दो-दो बजट तैयार किये जाते हैं, दो मुख्य सचिव हैं एक आंध्र के लिये तथा दूसरा तेलंगाना के लिये, आपका उत्पाद शुल्क आधिका आदि का भी बंटवारा होता है । इस प्रकार वास्तविक रुप से हो पहले से ही दो राज्य विद्यमान हैं । वे तो बस अब अलग अलग राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा राजधानी चाहते हैं । इसका विचार किया जाये ।

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन नज़रबन्द किये गये लोगों को तो केवल 4.5 रुपये दैनिक मिलता है जबकि तेलंगाना के लोगों को 7.5 रुपये मिलते हैं। यह भेद दूर किया जाना चाहिये। आंध्र प्रदेश के लोग सौ-सवासौ नौकरियों की परवाह नहीं करते। यहां के लोग बड़े भावुक तथा सज्जन हैं परन्तु अपने ही राज्य तथा अपनी ही राजधानी में स्वयं को दूसरी श्रेणी का नागरिक समझते हैं। यह मनोभावना दूर की जानी चाहिये। यदि दोनों क्षेत्रों के लोगों को अलग ही होना है तो वे मित्रों की भांति अलग हों कट्टर शत्रुओं की तरह नहीं।

Shri V. Tulshiram (Peddapalli) : Ten out of thirteen M.P. s from Telangana were elected on Telangana Praja Samiti ticket and joined Congress in response to a 6 - point formula put fourth by the prime minister. But no solution come out. After the Supreme Court's verdict on Mulki Rules, no result come out of the joint discussion held by the leader of Andhra and Telangana and so the matter was left to the Prime Minister to decide. A 5-point formula put by her two was not acceptable to both sides and so there are agitations and the situation has been going from bad to worse some people were feel that nothing is going on in Andhra Predesh; so I appeal to the Prime Minister to send some senior members of other States to see what is happening there lets them find the truth about both the areas.

The drought conditions in both areas have created an all out shortage of essential commodities and to the Government should speed up relief measures. Particularly people of my constituency Peddapalli are suffering very much. The Kesho Ram Cement. Factory there has been closed and people have been redender jobless. Government should find out some solution for it immediately.

It is wrong to say that candidates belonging to Telangana Praja Samiti have won the elections with very feeble majority. I myself won by a majority of 1,40,000 votes and that too in contest with Shri M. R. Krishna a Deputy Minister in the centre. Similarly it is very urgent to say that the movement in Telangana is not massive.

We have always been at the Prime Ministers side although there had been a difference of opinion on the issue of separate Telangana. If she agrees to a separate Telangana we are again with her. Let her withdraw President's rule and declare seperate Telangana State forthwith.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आंध्र प्रदेश की इतनी खराब हालत केन्द्रीय सरकार तथा विशेष रुप से गृह मंत्रालय की असावधानी के कारण हुई है। उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी गह मंत्रालय को संभाले हुई थीं।

आंध्र तथा तेलंगाना के लोगों ने दो वर्ष पूर्व अपनी यह मांग पेश की थी कि दोनों क्षेत्र अलग अलग राज्य बनें। उस समय भी न जाने कितना खून बहा था, कितने लोग मरे थे तथा कितने कष्ट लोगों पर से गुजरे थे परन्तु सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस आन्दोलन को उस समय दबा दिया था। परन्तु वहां के लोगों ने भी चुनावों में कांग्रेस को हार देकर तथा सत्ता से हटाकर अपने विश्वास के लोगों के दल को अपना समर्थन दिया। परन्तु दुर्भाग्य से यहि लोग फिर कांग्रेस के हाथों बिक गये तथा अपने क्षेत्रवासियों को भी बेच दिया।

परन्तु आज फिर इसी प्रकार खून खराबे की स्थिति पैदा हो गई। अब की बार यह स्थिति तेलंगाना की बजाय आंध्र में पैदा हुई। अब दोनों ही पक्ष पृथक होना चाहत हे फिर भी न जाने क्यों तथा किस कानून के अधीन उन्हें इकट्ठा रहने पर बाध्य किया जा रहा है। दो वर्ष पूर्व जो लोग अखण्डता की बात करते थे आज वे भी पृथक राज्य बनाने का आग्रह करते हैं तथा इसे ही समस्या का एकमात्र हल समझते हैं।

[श्री पीलू मोदी]

आंध्र का आन्दोलन अत्यन्त अहिंसात्मक है। छात्रों ने यह आन्दोलन शुरु किया तथा बाद में राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों ने उसको साथ दिया। मेरे तथा अन्य दलों ने इसका समर्थन किया है। आज लोग स्वयं अपना शासन वहां चला रहे हैं। यह कहना सर्वथा बेहूदा है कि यह आन्दोलन कुछ जमीदारों के मन की उपज है। छात्र, राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी जमींदार तो नहीं है। फिर सबसे सुन्दर बात यह है कि वे लोग पूरी तरह अहिंसावादी हैं। वहां कोई स्थानीय सरकार नहीं है तथा केन्द्र सरकार का भी दबाव वहां नहीं काम करता। लोग स्वयं ही अपना शासन कर रहे हैं तथा बहुत खुश हैं। हां, वहां जो उपद्रव फैला रहे हैं वे हैं साम्यवादी दल, पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस। मेरे पास 939 घटनाओं की सूची हैं जिसके लिये केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा स्थानीय पुलिस उत्तरदायी है। यह सूची विजयवाडा की बार एसोसिएशन ने तयार की है, मैंने नहीं। इन घटनाओं में हिंसा, लूटमार तथा बलात्कार की घटनायें हैं। वहां के विभिन्न संगठन चिल्ला चिल्लाकर दया की भीख मांग रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि और कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा लोग अपनी मांग पेश कर सकते हैं, अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं। ये आन्दोलन केवल आंध्र या तेलंगाना में ही नहीं सभी ओर देख लीजिये। हर जगह आपको मोर्चे, धरने, प्रदर्शन आदि दिखाई देंगे। सभी यहां दिल्ली आकर देवी के सामने अपनी पुकार रखते हैं क्योंकि समुचे देश के निर्णय वहीं लेती हैं।

मैंने प्रधान मंत्री से पूछा था कि क्या कोई ऐसा लोकतंत्रात्मक उपाय नहीं है जिससे आंध्र और तेलंगाना का पृथकीकरण हो सके। सभी कुछ केवल आप पर ही क्यों छोड़ा जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि सरकार पर छोड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि केवल वही सरकार हैं तो फिर शेष 59 मंत्री क्या हैं? प्रधान मंत्री के कहे बिना कुछ भी देश में नई हो सकता। हमारे लोकतंत्र में सब से भीषण बात तो यहीं है।

प्रधान मंत्री के 5-बिन्दू फार्मूले के समय भी मैंने यह कहा था कि यदि आंध्र संबंधी विधेयक पास हुआ तो फिर खून खराबा होगा। और अन्तता वही हुआ।

अब मेरी अपील है कि स्थिति संबंधी उचित-अनुचित को भूलकर, मेरी-तेरी को छोड़कर आंध्र तथा तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं को स्वीकार कर दीजिये तथा दो पृथक राज्य बना दीजिये।

श्री एम० संजीवी राव (काकीनाड़): मैं आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का समर्थन करता हूं जो कि वहां की सरकार को हटाकर किया गया है क्योंकि वह सरकार आंध्र तथा तलंगाना के लोगों का विश्वास खो बैठी थी। मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र ही दोनों क्षेत्रों की पृथक पृथक सरकार बना कर, पूरे राज्य का बंटवारा कर के वहां सामान्य स्थिति पैदा करेगी।

मैं ने आंध्र क्षेत्र का भरपूर दौरा किया है तथा पाया है कि वहां की 99 प्रतिशत जनता पृथक आंध्र राज्य चाहती है। तेलंगाना के लोग भी पृथक तेलंगाना चाहते हैं और उसके लिये उन्होंने 1969 में आन्दोलन भी किया था। मेरी अपील है कि स्थिति को समझते हुए शीघ्र ही यह पृथकीकरण कर दिया जाना चाहिये।

आंध्र राज्य का जन्म कोई नई बात नहीं है। यह प्रदेश तो 1953-56 में भी था। केन्द्र सरकार के हैदराबाद राज्य के तेलंगाना भाग को 1956 में इसमें शामिल किया गया था। इसके फलस्वरुप परस्पर अविश्वास की भावना ने जन्म लिया। और सोलह वर्ष से यही चलता आ रहा है।

दोनों क्षेत्र के लोगों को जबाब समझौता करने पर बाध्य करने से कोई लाभ नहीं होगा। कारण दोनों क्षेत्रों के अराजपत्रित कर्मचारी एक कमरे तक में साथ साथ बैठना नहीं चाहते हैं। हमें गर्व है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोक तंत्र है तथा यहां लोक तंत्रात्मक परम्पराओं ने जन्म लिया है ये परम्पराओं बनायी रखी जानी चाहिये, समाप्त नहीं की जानी चाहिये। आंध्र तथा तेलंगाना दोनों क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाये तथा शीघ्र ही इस राज्य का विभाजन किया जाये ? स्वयं महान नेहरू भी यह मानते थे कि लोक-तंत्र प्रणाली में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होता जिसे रद्द न किया जा सके।

अनेक लोक कहते हैं कि पानी, बिजली आदि अनेक समस्याओं का क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा कि मद्रास राज्य ने तुंगभद्रा बांध निर्मित किया था परन्तु आज आंध्र और मैसूर के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तथा परस्पर सद्भावना से उसका उपयोग कर रहे हैं।

तुंगभद्रा बाँध बोर्ड में केन्द्र द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति अध्यक्ष है और समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर रहे हैं और दोनों राज्य ही पानी का उपभोग कर रहे हैं। नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण तब किया गया था, जब आन्ध्र राज्य भूतपूर्व हैदराबाद रियासत से अलग था। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि दाहिने किनारे की नहर से आन्ध्र में सिंचाई होती है और बायें किनारे की नहर से तेलंगाना के मिलों में सिंचाई होती है। यह बात बिजली के बारे में भी है। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना और आन्ध्र के ताओं के के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने से इसका आसानी से समाधान किया जा सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन का सारा कार्य केन्द्र को राज्यों से अपने हाथों में ले लेना चाहिये। दक्षिणी ग्रिड बन ही चुकी है और उत्तरी क्षेत्र की ग्रिड भी बनने हों वाली है। दोनों ग्रिडों को आपस में जोड़ देने पर सारे देश में टैरिफ की एक समान दर हो सकती है। पन बिजलीघरों, तापीय बिजलीघरों और परमाणु बिजली घरों के माध्यम से पर्याप्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। एक समान दर न होने पर सभी राज्यों का समान विकास नही हो सकता।

मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि केन्द्र को साहसपूर्ण निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने अपने दिल में विभाजन करने का निर्णय कर लिया है। अब उन्हें विभाजन की शीघ्र घोषणा करनी चाहिए जिससे राष्ट्रपति शासन के बजाय दोनों क्षेत्रों में दो सरकारें बन सकें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): अगर आन्ध्र प्रदेश संयुक्त बना रहता, तो हमें खुशी होती। प्रधान मन्त्री ने अपने फार्मूले के बारे में जब विरोधी पार्टियों से परामर्श किया तब मैंने बता दिया था कि इस बारे में पर्याप्त विचार नहीं किया गया। यही कारण था कि आन्ध्र प्रदेश में दोनों ही पक्ष इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं और हमें इस बात की आशंका थी कि इससे स्थिति में और बिगाड़ आयेगा।

यह कहना सत्य के प्रति विडम्बना है कि वहाँ की घटनाओं के लिए विरोधी पार्टियाँ जिम्मेदार हैं। वहाँ की हिंसक घटनाओं और आन्दोलनों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उत्तरदायी हैं।

तीन चार साल पहले जब तेलंगाना आन्दोलन हुवा था, तब केन्द्रीय सरकार ने सावधानी नहीं बरती और ठीक समय पर कार्यवाही नहीं की। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मुल्की नियमों को निर्णय हेतु उच्चतम न्यायालय भेज दिया था।

जब वहाँ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात थी, तब बदलती हुई स्थिति का शीघ्रता से सामना करने के लिए नागरिक व्यवस्था नहीं थी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में इस प्रकार के कर्मचारी थे, जिनके कारण दोनों क्षेत्रों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा मिला। गलती किसी ने भी की हो या कोई भी वर्तमान स्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार हो, स्थिति का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है। पिछले तीन चार

[श्री श्याम नंदन मिश्र]

महीने से प्रशासन ठप्प है, शैक्षणिक संस्थाएं बन्द पड़ी हैं और परिवहन एवं संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और आन्ध्र प्रदेश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिये बेहतर यही होगा कि दोनों क्षेत्रों को शांतिपूर्वक अलग अलग कर दिया जाय।

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि दबाव के अन्दर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या दबाव डालकर एकता बनाय रखी जा सकती है? सरकार ने इसे तिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और इसीलिए सरकार निर्णय की घोषणा करने में विलम्ब कर रही है।

अगर प्रधान मंत्री और सरकार ने निर्णय कर लिया है, तो उन्हें आन्ध्र के विभाजन के बारे में आज शाम तक घोषणा कर देनी चाहिए। इस बारे में सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग के आन्ध्र प्रदेश के बारे में दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुन्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र की सारी जनता के महान त्याग और बलिदान के पश्चात ही आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया था।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwary *in the chair*]

यह कहना गलत है कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ लोगों की यह एक बहक मात्र थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य का गठन किया गया अथवा संयुक्त आन्ध्र के गठन के बारे में तेलंगाना की जनता ने विरोध किया था।

आन्ध्र प्रदेश का 1956 में गठन चार नेताओं के त्याग के कारण हुआ था और वे थे आन्ध्र केसरी प्रकाशम पन्तुलू, आयाडुवर कालेश्वर राव पन्तुलू, मदापत्ति हनुमन्तराव पन्तुलू ओर बुरप्पुल रामकृष्ण राव। इनमें से बाद के दो नेता तेलंगाना क्षेत्र के थे।

डा० मेल्कोटे का यह कथन सही नहीं है कि तेलंगाना क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनता संयुक्त आन्ध्र राज्य के लिए सहमत नहीं थी। पं० नेहरू जैसा लोकतान्त्रिक नेता जनता के समर्थन के बिना संयुक्त आन्ध्र प्रदेश का गठन नहीं कर सकता था। सर्वसम्मति प्रत्येक बात पर नहीं हो सकती।

आन्ध्र प्रदेश चौदह साल पूर्व अस्तित्व में आया था और तब से राज्य अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। 1969 में कुछ असन्तुष्ट राजनीतिज्ञों ने अलग तेलंगाना के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

संसद और विधान सभा के लिए चुनाव हुए और विधान सभा में तेलंगाना की मांग के समर्थक लोगों ने काँग्रेस का समर्थन किया और उनकी यह इच्छा थी कि तेलंगाना क्षेत्र के प्रतिनिधि को मुख्य मन्त्री बनाया जाय। यह माँग भी मान ली गई। डा० मेल्कोटे का यह कहना गलत था कि आन्ध्र के लोगों को तेलंगाना का व्यक्ति मुख्य मंत्री के रूप में पसन्द नहीं था।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति के 20 सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य तेलंगाना क्षेत्र के थे और दो तिहाई सदस्य आन्ध्र क्षत्र के थे और सभी की यह सर्वसम्मत राय थी कि आन्ध्र प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था पुन: कायम करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में और केन्द्र में दोनों ही जगह काँग्रेस का शासन था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

किसी भी बात के लिए आन्दोलन करना आसान है, परन्तु आन्दोलन के बाद व्यवस्था को पुन: कायम करना कठिन होता है। आन्ध्र प्रदेश देश के बड़े राज्यों में से एक है और आज देश में उसकी जो प्रतिष्ठा है, वह विभाजित होने पर नहीं रह सकती। मेरा अनुरोध है कि हैदराबाद में आन्ध्र-वासियों को जो कठिनाईयाँ हो ही रहैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

विभाजन के समर्थक नेता कांग्रेस हाई कमान से चर्चा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मुझे आशा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण विचार विमर्श होगा और राज्य की कठिनायों का समाधान ढूंढा जायेगा और एक बड़े राज्य के रूप में आन्ध्र प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान देगा।'

मैं अराजपत्रित कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे अपने काम पर वापस आ जायें और छात्र अपने अध्ययन को पुनः आरम्भ करें और समस्याओं को सुलझाने का काम राजनीतिज्ञों पर छोड़ दें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा से राज्य सभा के एक महत्वपूर्ण उप-चुनाव में एक निर्दलीय 17 वोटों से विजयी रहा है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस विधान मण्डल पार्टी का सदन में बहुमत समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए।

श्री एम० सत्य नारायण राव (करीमनगर) : मैं आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं। वहाँ राष्ट्रपति शासन इसलिये लागू किया गया था जिससे विधान सभा राज्य का विभाजन करने सम्बन्धी संकल्प को पारित न कर पाये। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, परन्तु उस समति को वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी सिफारिश करने का कोइ अधिकार नहीं था। यह अलोकतान्त्रिक और असंवैधानिक है। राज्य में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था।

मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता और कुछ उपद्रवियों द्वारा अपनाये गये हथकंडों की निन्दा करता हूं। यह कहना ठीक नहीं है कि विधायकों ने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया था। संभव है कुछ लोगों ने आन्दोलनकारियों को उत्तेजित किया हो।

मन्त्रिमण्डल का विस्तार किये जाने से पूर्व सभी को आशा थी कि श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को मन्त्रिमण्डल स्तर का मन्त्री बनाया जायगा, परन्तु आन्ध्र स्थिति के बारे में वह प्रधान मन्त्री को सही सलाह नहीं दे रहे हैं। वर्तमान प्रधान मन्त्री के पिता श्री जवाहर लाल नेहरू और वर्तमान गृह मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के पिता श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने यह आश्वासन दिया था कि अगर आन्ध्र प्रदेश की जनता सन्तुष्ट न हो तो 5 अथवा 10 साल बाद आन्ध्र का विभाजन किया जा सकता है। अब यह विभाजन तत्काल किया जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस सदन में आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के समर्थन और विरोध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। प्रजातन्त्र में किसी भी समस्या का समाधान करने की अन्तिम कसौटी जनता की इच्छा होती है। आन्ध्र और तेलंगाना की जनता अपनी इस माँग के ऊपर एकमत हैं और दृढ़ हैं कि आन्ध्र प्रदेश का शान्तिपूर्ण ढंग से विभाजन किया जाय। वहाँ केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना तैनात है। कानून, व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक तन्त्र भंग हो चुका है।

सरकार को इस बात का भय है कि अगर आन्ध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया तो देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की विभाजन की माँगें प्रस्तुत की जायेंगी। आन्ध्र आन्दोलन अप्रत्यक्ष रूप से देश के लिए एक वरदान है। भाषाई राज्यों की माँगों और बड़े राज्यों के गठन के कारण भाषाई संकीर्णता को जन्म मिला है और अब 'सन्स आफ़ सायल' के नये सिद्धांत का उदय हुआ है, जिससे देश के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा बढ़ा है। अगर एक भाषी बड़े राज्यों को छोट छोटे राज्यों में बाँट दिया जाय, तो यह अच्छी ही बात होगी। मैं प्रधान मन्त्री से इस बात में सहमत हूं कि अभी राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त का अवसर नहीं आया है। परन्तु देश के सभी बौद्धिक लोगों को भाषाई राज्यों के निर्माण से उत्पन्न परिणामों और भाषाई संकीर्णता से देश के समक्ष उपस्थित खतरे पर विचार करना चाहिए।

[श्री समर गुह]

सरकार को इतने बड़े जन आन्दोलन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रधान मन्त्री ने कल कहा था कि अभी किसी भी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

असाम को कई छोटे छोटे राज्यों में बाँट दिया गया है, परन्तु उससे आसाम के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी है। अगर दो नये राज्य और बन जाते हैं, तो उससे भारत की एकता -अखण्डता और तुम्हारी पार्टी के शासन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

श्री के० नारायण राव (बोविली) : पृथक आन्ध्र और तेलंगाना राज्यों की मांग से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हमें इस प्रश्न पर इसी पृष्ठभूमि के ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये।

पांच सूत्रीय फार्मूले में एलिस्टेंट सिविल सर्जन तथा अवधि को 1977 और 1980 तक बढाने सम्बन्धी नई मदें जोड दी गयी हैं। इसके बारे में आंध्र प्रदेश के लोग 1956 से ही जानकारी रखते आये हैं।

1956 में एक समझौदा हुआ था। उसके बाद कई घटनायें हुई। मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें इन सब समस्याओं पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। इन और सब बातों पर सभी नेताओं को विचार करना चाहिये।

मुल्की प्रमाणपत्र पेश किये बिना हमें शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। सभी छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय उत्तर में हैं जिनमें से दक्षिण में एक भी नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समस्या को हल करने के लिए हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I listened to the ideas of Hon. members on the problem of Andhra. Not single leader of opposition parties raised his voice in favour of united Andhra. They generally talked about stopping the loss to the public property and all that and after coming here they cast aspecious and the Prime Minister.

The Prime Minister has categorically declared that a way out will be found after normaliasation of situation in Andhra Pradesh which is, in fact a democratic way to deal with such situations. Unanimous decision needs to taken in the matter of separation of re-organisations of states. We take a better decision in case of Punjab and Harayna Why not to take similar decision in the case of Telangana and Andhra in order to avoid further loss to public property.

I would also like to say that the opposition parties should also support the decision taken in this behalf. The leaders of all the parties should give a correct lead to the public and find out ways and means to slove the problems peacefully There is hardly any justfication in demanding biafurcation of state on the basis of its backwordness. Lastly I would request that bifurcation of Andhra and Telcugana, if at all it is to take place, may be done at the earliest in order to avoid feelinigs af mistrust among the people of these two regions.

Shri Shashi Bhushan (South (Delhi) : All what is happening in Andhra can not be toberated for long President's rule has been imposed in Andhra. Those who once talked about one India are today talking about dividing India in to so many parts We believe in peace and democratic way of life, We should be very vigilant about the unity of India. We are facing the problem of famine and draught. Our party is working for the unity of the country. It has given appreciable lead in case of Andhra crisis

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव को सदन ने बिना किसी गम्भीर आलोचना के स्वीकार कर लिया है। आन्ध्र के बारेमें सरकार के दृष्टिकोण की सदन को जानकारी है। मैं उन माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में रुचि ली है।

इस चर्चा के द्वारा कई इस प्रकार की समस्यायों पर प्रकाश पड़ा है जो आन्ध्र ही नही बल्कि सारे देश के लिये महत्वपूर्ण हैं। कल जो चर्चा हुई थी उसमें मुख्य चर्चा इस बात पर हुई कि क्या हमारे संसदीय प्रजातंत्र द्वारा कठिन समस्याओं का समाधान सम्भव है ? यदि हम पीछे देखें तो इस सदन ने पहले भी इस प्रकार की कई समस्याओं का समाधान किया है। अतः इन समस्याओं को हल करने के लिये हमें संसद की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिये।

सरकार की नीति आज यही है कि सामान्य स्थिति होने के बाद ही संसद और सरकार इस दिशा में निर्णय ले सकती है।

श्री सूर्यनारायण ने देश व राज्यों से सम्बन्धित संवैधानिक मामलों पर चर्चा की। यह एक गंम्भीर विषय है और आन्ध्र के संदर्भ में इसकी चर्चा करन से पहले हमें इसकी पृष्ठ-भूमि को देख लेना चाहिये।

आर्थिक पिछडेपन और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक विषमता के बारे में भी चर्चा हुई। पिछडापन आन्ध्र ही नही बल्कि अन्य राज्यों की भी समस्या है।

आन्ध्र के बारे में केन्द्रीय तथा आन्ध्र के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है।

ऐसी स्थिति में जबकि बातचीत चल रही है, इस बारे में कोई बात करना या राय देना उचित नही होगा।

आन्ध्र बनने के समय बहुत सी गम्भीर गतिविधियां हुई और लोगों ने बहुत कुर्बानि या दीं। यह सच है. . .

श्री एल० बी० गिरी (वारंगल) : तेलंमाना के लोगो ने इसका विरोध किया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चंद्र पंत : अनेक माननीय सदस्यों ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का भी जिक्र किया है। तेलंगाना के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के बारें में आन्ध्र विधान सभा ने 25 नवम्बर 1955 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और 1 फरवरी 1956 को उपमुख्य मंत्री द्वारा पुरःस्थापित प्रस्ताव में भी इस आश्वासन पर जोर दिया गया था।

इसी प्रस्ताव के फलस्वरूप समझौते पर हस्ताक्षर हुये।

अक्तूबर, 1972 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही आन्ध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार मुल्की नियम विधेयक क्यों लायी ? यह विधेयक इस लिये लाया गया है क्यों कि आन्ध्र प्रदेश की स्थिति में बहुत अनिश्चितता आ गई थी। मुल्की नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से

[श्री कृष्ण चंद्र पंत]

लागू करने और जो लोग 1956 से तेलंगाना में नियुक्त हुए थे उनके सम्बन्ध में निर्णय से हजारों व्यक्ति प्रभावित है और पिछले बहुत से वर्षों में यह निर्णय लिये है । अनिश्चितता के वातावरण को दूर करने के लिये ही मूल्की नियम विधयक पास किया गया था।

पांच सूत्रीय फार्मूला आन्ध्र क्षेत्र तथा तेलंगाना क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद ही तैयार किया गया है । श्री चव्हाण ने राज्य के अनेक राजनीतिक नेताओं से बातचीत करके कोई समझौता करने का प्रयत्न किया था किंतु समझौता न हो सका। इसके बाद ही राज्य के नेताओं राज्य सरकार, संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि इस जटिल मामले के बारे में वह निर्णय दे । राज्य के नेताओं के अनुरोध पर ही और स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये सहमत हुई यह सच है कि बहुत से लोग इस फार्मूले से संतूष्ट नही हुए है । प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने वाला हल नहीं ढूंढ़ा जा सकता।

पांच सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया है और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिये चाहे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, उपलब्ध किया गया है, अतः सबसे पहली बात यह है कि विद्यार्थियोंको अपनी कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिये । अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही अपना बहुमूल्य समय बरबाद कर रहे है यदि विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में चले जायें तो उनका एक वर्ष बच सकता है । ऐसा सभी संसद सदस्यों के सहयोग से ही किया जा सकता है।

आन्ध्र की समस्यायें गम्भीर है हिंसा और अराजकता ने आन्ध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर आघात पहुंचाया है । अब भी रेलगाडियों के पटरी से उतारे जाने, रेलवे स्टेशनों को जलाये जाने, डाकघरों और टेलीफोन एक्सचैंजों पर आक्रमण करने के समाचार प्राप्त हो रहे है । इससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता कैसे मिल सकती है ?

आन्ध्र सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है । संचार व्यवस्था अस्तव्यस्त हुई है और अन्न के लाने ले जाने में रुकावटें पैदा हुई हैं। कोयले के ले जाने में भी बाधा डाली गयी है। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते है कि आंध्र होकर उत्तर से दक्षिण की और जाना कितना कठिन है ... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा (**व्यवधान**) कार्यवाही वृतान्त में यह सब कुछ नहीं जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अतः मैं सुझाव दूंगा कि अब समय आ गया है जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामान्य कार्य पर फिर से जाना चाहिये। छात्र अपनी पढ़ाई पर फिर से लग जाये और अराजपत्रित कर्मचारी अपने काम पर लौट आयें। सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित किया जाना चाहिये। सामान्य व्यक्ति को अब अधिक तंग नही किया जाना चाहिये । मैं यह अपील करता हूं कि सामान्य व्यक्ति को अब और अधिक नही सताया जाना चाहिये।

अनुमानों के अनुसार 14 फरवरी 1973 तक राज्य में अराजकता की 1964 घटनाओं के समाचार मिले हैं । इसमें हत्या के दो मामले, आगजनी के 290 मामले, तोडफोड के 47 मामले लूटमार के 13 मामले और सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण के 85 मामले शामिल है । अतः केन्द्रीय आरक्षण पुलिस और सशस्त्र सेनाओं को वहां तैनात करना पडा, जिसका पर्याप्त औचित्य था। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने गोली चलाये जाने के कारण

अनेक मौतें हुई और हमें उन पीडीतों और शोकसन्तप्त परिवारों के साथ सहानुभूती है। इसके साथ ही हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है। जिनकी निजि सम्पत्तियां नष्ट हो गई है और जिन्हें इन आन्दोलनों के दौरान किसी प्रकार भी क्षति पहुंची है सारा दोष अराजकता और हिंसा की शक्तियों का है। जो राज्य में खुले आम काम कर रही है।

मैं सभी सदस्यों और आंध्र प्रदेश के अन्य नागरिकों से यह अपील करता हूं कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाये। इससे केवल उन लोगों के हाथ मजबूत होते है जिनका उद्देश्य लोकतंत्र में स्थापित मूल्यों को नष्ट करना है। सामान्य स्थिति के स्थापित होते ही केन्द्रीय आरक्षण पुलिस अथवा सेना को, जो कुछ भी वहां होगी, वापस बुला लिया जायेगा। सरकार उन्हें आवश्यकता से एक दिन भी अधिक वहां नही रखना चाहती है।

गम्भीर विचार किये बिना कोई भी स्थायी हल निकालना सम्भव नही होगा। अतः यह आवश्यक है कि इस मामले के सभी पहलुओं पर ठंडे शान्त और तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिये। उत्पादन पर जितना विपरित प्रभाव आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण से पडता है उतना अन्य किसी बात से नही पडता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"की यह सभा आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 18 जनवरी 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

रेलवे बजट–1973-74–सामान्य चर्चा

Railway Budget—1973-74—General Discussion

सभापति महोदय : अब सभा मे रेलवे बजट पर चर्चा होगी। श्री मोहम्मद इस्माईल।

Shri Mohammad Ismail (Bairkpur) : Sir, I want to say ...

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 2 मार्च, 1973/11 फाल्गुन 1894 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 2, 1973/ Phalguna 11, 1894 (Saka).

GIPN—S3—1 LSS/73—18-5-73—490.